मस्लके अहनाफ़
व
मस्लके गैर मुकल्लिदीन
का
तक़ाबुली मुतालआ़

(कुरआन व हदीस की रौशनी में)

पसन्द फरमूदा

हज़रत मौलाना मूहम्मद अबु बकर साहब
ग़ाज़ीपुरी रह०

मुफ्ती मुहम्मद रफीक़ साहब क़ासमी
उस्ताज़ मदरसा हुसैन बख़्श, जामा मस्जिद दिल्ली-6

रब्बानी बुक डिपो
1813 कटरा शेख़ा चाँद लाल कुआँ दिल्ली 110006
मोबाईल न० 9811504821, 9873875484

मस्लके अहनाफ़
व
मस्लके ग़ैर मुक़ल्लिदीन
का
तक़ाबुली मुतालअ़

(कुरआन व हदीस की रौशनी में)

पसन्द फ़रमूदा

हज़रत मौलाना मूहम्मद अबु बकर साहब
ग़ाज़ीपुरी रह.

मोअल्लिफ

मुफ़्ती मुहम्मद रफ़ीक़ साहब क़ासमी
उस्ताज़ मदरसा हुसैन बख़्श, जामा मस्जिद दिल्ली-6

रब्बानी बुक डिपो
1813 कटरा शैखा चाँद लाल कुआँ दिल्ली 110006
मोबाईल न० 9811504821, 9873875484

नाम किताब : मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़ाबुली मुतालआ

मुअल्लिफ़ : अबू ज़ुबैर मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी (आतिफ़ी मेवाती)
मोबाइल: 8285805441, 9582786854

कम्पोज़िंग : रब्बानी कम्प्यूटर, देहली-6 फ़ोन : 23217840

सन् तबाअत : अक्तूबर 2012 ई.

तबाअत : रब्बानी प्रिंटर्स, दिल्ली-110006 मोबाइल: 9811504821

बएहतमाम : अब्दुर रब्बान मोबाइल: 9873875484

क़ीमत : 120 रुपये

किताब मिलने के दीगर पते

☆ देहली व देवबन्द के तमाम मकतबों में दस्तियाब

☆ मेवात में: क़ासमी कुतुबख़ाना, बड़ा मदरसा मार्किट

फ़िहरिस्त

इन्तिसाब

अबू उज़ैर मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी जालिकी मेवाती

ख़ादिमे तदरीस मदरसा हुसैन बख़्श, जामे मस्जिद, देहली-6

अहक़रुल-वरा अपनी इस अदना सी काविश को मरहूम वालिदैन, जनाब डॉक्टर ईसा ख़ाँ साहब मरहूम, जुमला असातिज़ए किराम बिल्ख़ुसूस शैख़ नसीर अहमद ख़ाँ साहब क़ुद्दिस सिर्रहू, भाई डॉक्टर लियाक़त अली साहब दाम अलयना ज़िल्लुहू और मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की तरफ़ मन्सूब करने को बाइसे सआदत समझता है।

मुअद्दिबाना दरख़्वास्त

मैं अपने जुमला क़ारिईन किराम-व-नाज़िरीने इज़ाम में से हर ख़ास-व-आम से रस्मन नहीं बल्कि निहायत ख़ुलूस के साथ आजिज़ाना व मुअद्दिबाना दरख़्वास्त करता हूँ कि ये हज़रात इस किताब में कोई लफ़्ज़ी या मअनवी ग़लती देखें तो बराए करम बन्दे को मुत्तलअ फ़रमाएं। ऐन नवाज़िश होगी।

बन्दा मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी मेवाती

मोबाइल: 8285805441, 9582786854

ख़ादिमे तदरीस मदरसा हुसैन बख़्श, जामे मस्जिद, देहली-6

माख़ज़-व-मराजेअ

1. क़ुरआन शरीफ़
2. बुख़ारी शरीफ़ : इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद इस्माईल अल-बुख़ारी (194-252 हिजरी)
3. मुस्लिम शरीफ़ : इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-निसाबुरी (206-261 हिजरी)
4. अबू दाऊद शरीफ़ : इमाम अबू दाऊद अल-अशअसुस-सजिसतानी (202-275 हिजरी)
5. तिर्मिज़ी शरीफ़ : इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अल-तिरमिज़ी (206-297 हिजरी)
6. नसई शरीफ़ : हाफ़िज़ अबू अबदुर्रहमान अहमद बिन शुऐब बिन अली अल-निसाई (215-303 हिजरी)
7. इब्ने माजा : हाफ़िज़ अबू अबदुल्लाह मुहम्मद बिन ज़ैद-अल्-क़ुज़वैनी, (207-275 हिजरी)
8. मुअत्ता इमाम मालिक : इमाम अबू अबदुल्लाह मालिक बिन अनस अल-असबई (93-179 हिजरी)
9. मुअत्ता इमाम मुहम्मद : इमाम अबू अबदुल्लाह बिन हसन-शैबानी (135-189 हिजरी)
10. मुसनद अहमद : इमाम अहमद बिन हमबल-शैबानी (164-241 हिजरी)
11. सुनने बेहक़ी : हाफ़िज़ अबू बक्र अहमद बिन हुसैन बिन अली (458 हिजरी)
12. सहीह इब्ने हिब्बान : अमीर अलाउद्दीन कब्न बलबान अल-फ़ारसी, (739 हिजरी)
13. मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा : हाफ़िज़ अबू बक्र अबदुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबी शैबा अल-कूफ़ी, (235 हिजरी)
14. ज़ादुल्-मआद : इमाम शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबू बक्र

दमिश्की (691–751 हिजरी)

15. अत्तरग़ीबुत्–तरहीब : हाफ़िज़ ज़कीउद्दीन अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल क़वी अल–मुन्ज़िरी, (656 हिजरी)
16. किताबुल्–आसार
17. कनज़ुल्–आमाल : अल्लामा अलीउल–मुत्तक़ी अल–हनफ़ी, (975 हिजरी)
18. मिश्कात शरीफ़ : शैख़ वलीउद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह तबरेज़ी (741 हिजरी)
19. फ़तहुल्–बारी : हाफ़िज़ अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी, (733–856 हिजरी)
20. उमदतुल्–क़ारी : इमाम बदरुद्दीन अबू मुहम्मद महमूद बिन अहमद अल–ऐनी, (855 हिजरी)
21. शरहे मुहज़्ज़ब : शैख़ मुहीउद्दीन अबू ज़करया यहया बिन शर्फ़–नव्वी, (631–676 हिजरी)
22. आसारुस्–सुनन अल्लामा मुहम्मद बिन अली अन्नैमवी (1322 हिजरी)
23. अल–तालीक़ुल्–हसन अला आसारिस्–सुनन
24. फ़तहुल्–मुल्हिम : अल्लामा शब्बीर अहमद उसमानी
25. मआरिफ़ुस् सुनन : शैख़ सय्यिद मुहम्मद यूसुफ़ अल–बनूरी, (1297 हिजरी)
26. तोहफ़तुल्–अहवज़ी : शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, (1238–1353 हिजरी)
27. अवनुल्–माबूद : इमाम अबू तय्यिब मुहम्मद शम्सुल्–हक़, अज़ीम आबादी, (1173–1250 हिजरी)
28. नयलुल्–अवतार : क़ाज़ी मुहम्मद बिन अली मुहम्मद शोकानी (1255 हिजरी)
29. सुब्लुस्–सलाम : अल्लामा मुहम्मद बिन इस्माईल सनआनी, (1099–1182 हिजरी)
30. सुनने दारे क़ुतनी : शैख़ुल–इस्लाम अली बिन उमर दारे क़ुतनी, (306–385 हिजरी)
31. तलख़ीसुल्–हबीर : अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.), (733–856 हिजरी)
32. मोजिमे कबीर लित्तबरानी : हाफ़िज़ अबू–क़ासिम सलमान बिन तबरानी, (260–360 हिजरी)

33. तहज़ीबुत्-तहज़ीब : अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर, (773-856 हिजरी)
34. मीज़ानुल्-ऐतदाल : इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद ज़हबी, (748 हिजरी)
35. इत्तिहाफ़ अल-महरा : अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर, (773-856 हिजरी)
36. अबवाब-व-तराजिमुलि-सहीह-अल-बुख़ारी : शैख़ुल-हदीस अल्लामा ज़करिय्या कान्धलवी
37. हाशिया-ए-बुख़ारी : अल्लामा शैख़ अहमद सहारनपुरी
38. अल-जौहरुन्-नक़ी : अल्लामा अलाउद्दीन बिन अली उसमान अल-मार्दीनी, (683-750 हिजरी)
39. अल-अरफ़ुश्-शज़ी : अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.), (1252 हिजरी)
40. फ़ैज़ुल-क़दीर शरहे जामे सग़ीर : इमाम मुहम्मद अल-मद्ऊ लि-अब्दुर्रऊफ़ अल-मनावी
41. फ़तहुल्-क़दीर : इमाम कमालुद्दीन मुहम्मद बिन अब्द-अल-वाहिद......अल-मादूम इब्ने हुमाम, (681 हिजरी)
42. अल-किफ़ायह : मौलाना जलालुद्दीन अल-ख़्वारमी
43. अल-इनायह : इमाम अकमलुद्-दीन मुहम्मद बिन महमूद अल-बाबरती, (786)
44. हिदायह : शैख़ बुरहानुद्-दीन अबुल्-हसन अली इब्ने अबी बक्र अल-फ़र्ग़ानी अल-मर्ग़ीनानी, (593 हिजरी)
45. दर्से तिर्मिज़ी : हज़रत मौलाना तक़ी उसमानी साहब मदेज़िल्लाहुल आली
46. फ़तावा-ए-सनाइयह : हज़रत मौलाना अबुल्-वफ़ा सनाउल्लाह अम्रतसरी (रह.)
47. फ़तावा-ए-नज़ीरियह : शैख़ुल-कुल हज़रत मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी
48. फ़तावा-ए-रहीमियह : हज़रत मौलाना मुफ़्ती अब्दुर्रहीम साहब लाजपुरी (रह.)
49. अत्-तालीक़ुल-मुग़नी अला दारे-क़ुतनी : अल्लामा अबू तय्यिब मुहम्मद शमसुल हक़ अज़ीम आबादी, (1173-1250 हिजरी)
50. तफ़सीर इब्ने कसीर : हाफ़िज़ इमादुद्दीन अबुल-फ़िदा इस्माईल बिन उमर बिन कसीर, (700-774 हिजरी)
51. अहकामुल्-क़ुरान : हुज्जतुल-इस्लाम इमाम अबू-बक्र अहमद बिन अली

जस्सास, (370 हिजरी)

52. तहावी शरीफ : इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन मुहम्मद अत्-तहावी (रह.), (236-321 हिजरी)
53. मुहल्ला इब्ने हज़्म : इमाम अबू मुहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद बिन हज़्म, (356 हिजरी)
54. फ़तावाए अल्लामा अब्दुल-अज़ीज़ इब्ने बाज़ (रह.)
55. शरहे विकायह : अल्लामा अब्दुल्लाह बिन मसूद बिन हज्आज ताजुश्-शरीअह सअद
56. अहसनुल्-फ़तावा : हज़रत मौलाना मुफ़्ती रशीदुद्दीन साहब
57. इग़ाशतुल्लुहफ़ान : अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.), (751 हिजरी)
58. तफ़सीरे-क़ुरतुबी : इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन अहमद अल-क़ुरतुबी, (271 हिजरी)
59. तफ़सीरे-ग़राइबुल-क़ुरान
60. अज़्वाउल-बयान : शैख़ मुहम्मद बिन अमीन अश्-शनक़ीती, (1353 हिजरी)
61. ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी : हज़रत मौलाना अबू-बक्र ग़ाज़ीपुरी र०
62. ग़ैर मुक़ल्लिदीन पर एक नज़र : हज़रत मौलाना सय्यद असद मदनी र०
63. मुहाज़रा-ए-इल्मिय्यह बर मौज़ू-ए-रद्दे ग़ैर मुक़ल्लिदिय्यत : हज़रत मौलाना मुफ़्ती राशिद साहब आज़मी (मद्देज़िल्लहुल आली)
64. अत्तिबुज़्-ज़की
65. ईज़ाहुत्-तहावी
66. नज़्लुल-अबरार
67. अरफ़ुल-जादी
68. हाशिया-ए-जलालैन
69. कन्ज़ुल-हक़ाइक़
70. ईलाउस्-सुनन
71. नस्बुर्-रायह
72. अल-अस्माउ-वल-कबीर
73. अदिल्लाए-कामिला

74. अत्-तहकीक इब्ने जौज़ी
75. नुख़्बतुल्-फ़िक्र
76. अन्-निहायह फी ग़रीबिल्-हदीस वल्-असर
77. इब्ने खुज़ैमह
78. किताबुल्-इलल
79. बुदूरुल-अहिल्लाह
80. फैजुस्-समाई
81. मोजमुल्-बुलदान
82. तीन तलाक
83. सुनन-ए-सईद बिन मनसूर
84. इख़्तिलाफ़ुन्-नुबला
85. अत्-ताजुल-मुकल्लल
86. तैसीरुल-बारी
87. फतावा-ए-सत्तारियह
88. फतावा-ए-उलमा-ए-अहले हदीस
89. ग़ैर मुकल्लिदीन इमाम बुख़ारी की अदालत म
90. तरीके मुहम्मदी
91. तमबीहुल्-ज़ाल्लीन
92. तरजुमाने वहाबियह

ताईद-व-तौसीक़

फ़ज़ीलतुश-शैख़ हज़रत मौलाना अब्दुल ख़ालिक़ साहब सम्भली मुद्देज़िल्लुहुल आली

نائب محتمم و استاذ دار العلوم دیوبند، یو-پی- الهند-

باسمہٖ تعالیٰ

نحمدہٗ ونصلّی علیٰ رسولہٖ الکریم۔ و بعد۔

बन्दे के पेशे नज़र किताब मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़ाबुली मुतालिआ' का मुसव्वदा है जिस को अज़ीज़ मुकर्रम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह (उस्ताज़ मदरसातुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, देहली) ने तर्तीब दिया है, मुख़्तलिफ़ जगह से मैंने इसको देखा। यह किताब मिल्लते इस्लामिया के लिए इन्शाअल्लाह बेहद मुफ़ीद साबित होगी। इस किताब में मुअल्लिफ़ ने तक़ाबुली मुतालिआ पेश किया है। ऐहले हक़ के मसलक व नाम-निहाद ऐहले हदीस (ग़ैर मुक़ल्लिदीन) के मसलक के दर्मियान तक़ाबुल दिखाया है जो सफ़्हे के दो कालमों में नुमायाँ किया गया है। मुरत्तिबे किताब ने दलाइल के साथ मसाइल ब-हवाला दर्ज किए हैं। किताब अपने मौज़ू पर निहायत उम्दा है। जिसे देख कर हर क़ल्बे सलीम रखने वाला ब-ख़ूबी यक़ीन कर लेगा कि

अहनाफ़ का मसलक और उन का अमल क़ुरान व सुन्नत के ऐन मुताबिक़ है और उस के मुक़ाबिल दूसरे कालम (मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन) को देख कर वह पहली नज़र में यह बावर कर लेगा कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन का हदीस शरीफ़ से महज़ दिखावे का तअल्लुक़ है। नीज़ उन का अमल बिल-हदीस का दावा बिल्कुल खोखला है।

बहरहाल यह किताब उम्मत के लिए निहायत मुफ़ीद साबित होगी और भोले भाले मुसलमानों के ग़ैर मुक़ल्लिदीन की चालें, हदीस के साथ खिलवाड़ और उन का दीन के साथ मज़ाक़ अयाँ हो जाएगा।

दुआ है कि अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ की दीगर तालीफ़ात (ईसाइयत का शीश महल व तीन तलाक़ वग़ैरह) की तरह इस को भी मक़बूले आम फ़रमाए और मज़ीद इल्मी ख़िदमात की तौफ़ीक़ बख़्शे।

अल्लाह करे ज़ोरे क़लम और भी ज़्यादा
आमीन या रब्बल आलमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन

अब्दुल ख़ालिक़ सम्भली
ख़ादिम दारुल उलूम देवबन्द, यू.पी.
अल–हिन्द
10.12.1431 हिजरी

इज़्हारे मसर्रत

मुहद्दिसे कबीर हज़रत मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ साहब

मद्देज़िल्लुहुल आली

बानी व शैख़ुल हदीस दारुल उलूम मेवात, नूह, हरियाना
व अमीरे शरीअत हरियाना, पंजाब व हिमाचल

मोहत्रम जनाब मौलाना मुहम्मद रफ़ीक़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जनाब ने मुझ हेचमदाँ को अपनी गिराँक़द्र तालीफ़ की ज़ियारत और उससे इस्तिफ़ादा का मौक़ा मरहमत फ़रमाया। जनाबे वाला का ज़ौक़ तालीफ़ तर्ज़े निगारिश दलाइले शरइया से इस्तिख़राज मनाते मुद्दआ व रद्दे दलाइले ख़सम पर बसीरत अफ़रोज़ तबसरा व तशरीह से अज़ हद मसर्रत हुई। अल्लाह तआला मज़ीद दर मज़ीद तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और शर्फ़े क़बूलियत से नवाज़े। आमीन!

मुहम्मद इस्हाक़ अफ़िय अन्हु
14 ज़िलहिज्जा 1430 हिजरी

इर्शादे आली

क़ातिए ग़ैर मुक़ल्लिदियत हज़रत मौलाना अबू बकर ग़ाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैही

(मुदीर माहनामा ज़मज़म)

بِاسمِ اللّٰہِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

अज़ीज़म मौलाना मुहम्मद रफ़ीक़ सल्लमहू दारूल उलूम देवबन्द के फ़ाज़िल हैं। मुतालिआ का ज़ौक़ है, तसनीफ़ व तालीफ़ का मिज़ाज है। बहुत थोड़ी सी मुद्दत में उन्होंने कई किताबें तालीफ़ फ़रमाकर अहले इल्म से दादे तहसीन हासिल की है। फ़ितना-ए-ग़ैर मुक़ल्लिदियत से ख़ूब वाक़िफ़ हैं, और अपनी सलाहियतों का इस मैदान में ख़ूब मुज़ाहिरा किया है। इस मौज़ू पर मौलाना रफ़ीक़ साहब की "मसलके अहनाफ़ और मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़ाबुली मुतालिआ" दूसरी किताब है। तलाक़ के मौज़ू पर उन की एक किताब पहले शाए हो चुकी है।

मौलाना सन्जीदा अन्दाज़ में अपनी बात को बहुत साफ़ और वाज़ेह और मुदल्लल करके पेश करते हैं। दुआ है कि उनकी साबिक़ा किताबों की तरह पेशे नज़र किताब को भी अल्लाह तआला मक़बूलियत से नवाज़े। उन के इल्म व अमल में बरकत दे और उन से इहक़ाक़े हक़ इबताले बातिल का काम लेता रहे।

मुहम्मद अबू बकर ग़ाज़ीपुरी

1 ज़िलहिज्जा 1430 हिजरी

कलिमाते आलिया

मुहसिन व मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना क़ारी क़ासिम साहब हफ़िज़हुल्लाह

सदरुल मुदर्रिसीन मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, जामे मस्जिद, देहली

باسم اللّٰهِ الرّحمٰن الرّحيم
نحمدهٗ ونصلّی علیٰ رسولهِ الکریم

अम्मा बाद : "मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़ाबुली मुतालिआ" नामी किताब का मुख़्तलिफ़ मक़ामात से मुतालिआ किया।

अज़ीज़म मौलवी मुहम्मद रफ़ीक़ साहब उस्ताज़ मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, देहली ने निहायत सन्जीदगी के साथ आम फ़हम ज़बान में मसाइल को हल करने की कोशिश की है, जो मौसूफ़ की इल्मी सलाहियत की दलील है।

मौजूदा दौर में अगरचे हर जमाअत अपने अपने मसलक की तरजीहात के लिए हद से तजावुज़ कर जाती है जिस से मुसन्निफ़ीन भी इनफ़िरादी तौर पर कलम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं।

बहरहाल तसनीफ़ व तालीफ़ में मुस्बत अन्दाज़े फ़िक्र उम्मत की इस्लाह के लिए ज़्यादा मुनासिब है और ख़ुद मुअल्लिफ़ के लिए भी ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत है।

दुआ है कि इस से हर आम व ख़ास नफ़ा उठाएँ।

आमीन, सुम्म आमीन

मुहम्मद क़ासिम

सदर मुदर्रिस व शैख़ सानी मदरसतुल उलूम
हुसैन बख़्श, देहली
27 ज़ी-क़ादा 1430 हिजरी

राए आलिया

हज़रत मौलाना मुफ़्ती नसीरुद्दीन साहब दाम अलैना ज़िल्लहू

शैखुल हदीस व मुफ़्ती मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, देहली

الحمد للّٰہ و کفیٰ و سلامٌ علیٰ عبادہِ الّذین اصطفیٰ، امّا بعد۔

माशाअल्लाह अज़ीज़म मौलाना मुहम्मद रफ़ीक़ उस्ताज़ मदरसतुल उलूम हुसैन बख़्श देहली की किताब "मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़ाबुली मुतालिआ" पढ़ कर मसर्रत व ख़ुशी हुई। मौलाना मौसूफ़ ने बड़ी अर्क़ रेज़ी व जिद्द–व–जहद से निहायत उम्दा तरीक़े पर क़ुरान व सुन्नत, अक़्वाले सहाबा किराम से अपनी किताब को मुबरहन व मुदल्लल फ़रमाया है और यह वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है क्योंकि आजकल ग़ैर मुक़ल्लिदीन सादा लौह लोगों को कुछ ज़्यादा ही गुमराह करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, अकाबिरीने उम्मत पर बिलख़ुसूस उलमाए अहनाफ़ पर तानव तशनी करते रहते हैं।

मौलाना मौसूफ़ ने ज़ेरे नज़र किताब में दोनों मसलकों का तक़ाबुल पेश करके दलाइल से साबित कर दिया है कि अहले क़ुरान व अहले हदीस होने का शर्फ़ दरहक़ीक़त अहनाफ़ को हासिल है। रहे यह इत्तिबाए हदीस का दावा करने वाले ग़ैर मुक़ल्लिदीन, तो उन का क़ुरान व सुन्नत से ताल्लुक़ महज़ दिखलावे का है, हक़ीक़त में यह लोग अपनी आरा व ख़्वाहिशात के पैरोकार हैं।

दुआ है कि बारी तआला मौलाना को मज़ीद इस तरह के मसाइल पर लिखने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

बन्दा नसीरुद्दीन ग़ुफ़िरलहू

मुफ़्ती मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श,

देहली

21 सफ़र 1431 हिजरी

इज़्हारे एतमाद

जनाब हज़रत मौलाना राशिद साहब दाम अलैना ज़िल्लहुल् आली

नाइब मोहतमिम दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेड़ला, भरतपुर, राजस्थान, मेवात व शैखुल हदीस कुल्लियतुत् ताहिरात, मील खेड़ला

باسم اللهِ الرّحمٰن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوٰة والسّلام علىٰ سيّدنا محمّد و آلهٖ واصحابهٖ اجمعين۔

अज़ीज़म मौलाना मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी सल्लमहू का तरतीब दादह "मुसव्वदह मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़ाबुली मुतालिआ" बवास्ताए मौलाना मुहम्मद इस्माईल साहब नाज़िमे मदरसा मदीनतुल उलूम बारा भड़कौल, ज़िला अलवर, दस्तियाब हुआ। मैं ने सोचा सरसरी नज़र डाल लूँ। मैं ने पढ़ना शुरू किया तो छोड़ने को तबीअत ने गवारा नहीं किया, यहाँ तक कि पूरा मुसव्वदह पढ़ डाला। लिखा खूब लिखा उसलूबे तहरीर सादा दिलचस्प, मौलवियाना तअल्ली से ऊपर होकर कहता हूँ कि मुसव्विदह के मुतालिए से ज़ाती तौर पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, और अगर हमारे अहले हदीस भाई और बिलख़ुसूस इस जमाअत के उलमा तअस्सुब की ऐनक उतार कर इस रिसाले का मुतालिआ करें तो वोह अपना नज़रया बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। कई मसाइल में ख़ुद मेरी ग़लत फ़हमी दूर हुई। क्या ख़ूब काम किया है, अगर मैं क़सम खाऊँ तो हानिस नहीं होऊँगा कि यह रिसालह मेरे बहुत ही देरीना ख़्वाब की ताबीर है। अल्लाह पाक इनकी ख़िदमत को क़ुबूल फ़रमाए।

अल्लाह जल्ल जलालुहू का हिफ़ाज़ते दीन का वादा है, इस के असबाब के तौर पर हर दौर में इसी सलाहियत के अफ़राद को पैदा फ़रमाते हैं, जिस नौइयत के फ़ितने जन्म लेते हैं। जालिकी और उस के अतराफ़ में कुछ लोगों ने फ़िक्ह हनफ़ी के बारे में बहुत सी ग़लत फ़हमियाँ पैदा कर दी हैं, जिन से मौलाना मुहम्मद रफ़ीक़ साहब को दोचार होना पड़ा। यह तो सबबे क़रीब है वरना हिन्दुस्तान के तमाम सूबों व तमाम मुमालिक की मुस्लिम आबादियों में

यह फ़ितना ज़ोरों पर है। हमारी नई नसल के उलमा और तलबा को इस क़िस्म के हालात से दोचार होना पड़ता है। मेरी तमन्ना है कि यह रिसाला तबाअत के मरहले से गुज़र कर हर आलिमे दीन के हाथों में पहुँचे जिससे उनका यक़ीन में इज़ाफ़ा होगा और दीन में तसल्लुब की कैफ़ियत पैदा होगी। ऐहले इल्म की तरफ़ से मौलाना रफ़ीक़ साहब मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। मेरा एक ख़्वाब और है, कि इस मौज़ू पर मज़ीद तहक़ीक़ी काम करके इख़्तिसार के साथ एक रिसालह तरतीब दिया जाए, जिस की ज़बान अरबी हो, और उसको अरबी मदारिस के निसाब में दाख़िल करके अरबी चहारुम, या अरबी पन्जुम के तलबा को पढ़ाया जाए, और उस रिसाले को बुनयाद बनाकर मक़ाला तय्यार करने का मुकल्लफ़ बनाया जाए, तो इस फ़ितने की सरकूबी के लिए बहुत जल्द एक टीम तय्यार हो जाए गी। अल्लाह करे यह काम भी जल्द हो जाए।

मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मौलाना रफ़ीक़ साहब को दीन की हिफ़ाज़त व सियानत और दावत के काम के लिए क़बूल फ़रमाए। और उन के क़लम को जिला बख़्शे।

मुहम्मद राशिद

मुदर्रिसे दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेड़ला

14 ज़िल हिज्जा 1430 हिजरी अल मुवाफ़िक़ 2

दिसम्बर 2009 हिजरी

हौसला अफ़ज़ा कलिमात

हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब क़ासमी

इमाम व ख़तीब व मुहर्रिर मस्जिद मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, देहली

باسمہٖ تعالیٰ

अज़ीज़ुल क़दर जनाब मौलाना मुफ़्ती रफ़ीक़ साहब क़ासमी उस्ताज़ मदरसतुल उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, मटिया महल जामे मस्जिद, देहली–6 ने अपनी दीगर मसरूफ़ियात के बावुजूद पूरी मेहनत व लगन और इल्मी कद्द व काविश व अर्क़–रेज़ी से बेश–बहा गिराँ–क़दर तालीफ़ का अनमोल इल्मी गुलदस्ता –

"मसलके अहनाफ़ व मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन का तक़ाबुली मुतालिआ" पेश किया है। जो दौरे हाज़िर के अदीमुल फ़ुरसत अवाम व ख़्वास के लिए चश्म–ए–इल्मे–फ़ैज़ का अहम तरीन तोहफ़ा–ए–नायाब है।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौसूफ़ की मौजूदा किताब व दीगर तसानीफ़ व तालीफ़ात व मसाई ए जमीला को क़ुबूल फ़रमाकर मज़ीद मक़बूलियत का मक़ाम अता फ़रमाए, और उम्मते मुस्लिमा के लिए नफ़ा बख़्श बनाकर सआदते दारैन का ज़रीआ बनाए।

फ़–जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।

बशीर अहमद क़ासमी

इमाम व ख़तीब व मुहर्रिर मस्जिद मदरसतुल

उलूम हुसैन बख़्श, जामा मस्जिद, देहली–6

8 रबीउस्सानी 1431 हिजरी, बरोज़ जुमेरात,

25–03–2010

باسمہٖ تعالیٰ

اَلْحمدُ لِلّٰہِ الّذی وحدہٗ والصّلوۃ والسّلام علیٰ رَسولہٖ الکریم۔ وعلیٰ آلِہٖ واَصحابہٖ اجمعین۔ امّا بعد۔

फ़िरक़-ए-ग़ैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, उसके तअल्लुक़ से हमारे अकाबिरीन उलमा ने बहुत कुछ लिख दिया है जो उम्मत की रहनुमाई के लिए काफ़ी है। अकाबिरीन उलमा की तहरीरों के सामने मुझ जैसे अदीमुल इल्म व क़लीलुल फ़हम का इस मौज़ू पर क़लम उठाना सूरज को चिराग़ दिखाने के मुतरादिफ़ है। मगर राक़िमुल हुरूफ़ के अपने वतन (जालिकी) के अतराफ़ में इस फ़िरक़े के मौजूद होने और कई मर्तबा उनसे बाज़ मसाइल में बहस व मुबाहिसा होने की वजह से यह नाचीज़ मज़ीद इस मौज़ू पर लिखने की जुरअत करता है। अगर मैं यह कहूँ कि मेरे इस मौज़ू पर क़लम को हरकत देने की वजह इन लोगों का बाज़ इख़्तिलाफ़ी मसाइल को छेड़ कर हनफ़ी मसलक के बारे में अवामुन्नास के अन्दर ग़लत फ़हमियाँ पैदा करना है तो बजा होगा।

बहरहाल पेशे नज़र किताब में अहक़र ने मसलके अहनाफ़ और मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन को क़ुरआन-व-सुन्नत पर पेश करके तक़ाबुल कराया है, ताकि अवाम को भी मालूम हो जाए कि हनफ़ी मसलक क़ुरान व सुन्नत के सबसे ज़्यादा क़रीब है। और ग़ैर मुक़ल्लिदीन का क़ुरान व हदीस पर सबसे ज़्यादा अमल करने का दावा बिल्कुल खोखला है। नीज़ उनका हनफ़ियों पर यह इल्ज़ाम लगाना कि हनफ़ी लोग क़ुरान व हदीस को छोड़ कर इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तक़लीद करते हैं। उन के क़ौल के मुक़ाबले में (अलअयाज़ु बिल्लाह) सही हदीस को छोड़ देते हैं, यह हक़ीक़त व वाक़ए के सरासर ख़िलाफ़ है और अहनाफ़ के ख़िलाफ़ प्रौपगैन्डा है। अल्लाह तआला इन के फ़रेब से उम्मत को महफ़ूज़ फ़रमाए। आमीन।

अलग़रज़ इस किताब को पढ़ने के बाद इन्शाअल्लाह रोज़े रौशन की तरह अयाँ हो जाएगा कि हक़ीक़त में क़ुरआन व सुन्नत पर अमल करने वाले हनफ़ी

लोग हैं और ग़ैर मुक़ल्लिदीन का क़ुरान व हदीस पर अमल करने का दावा बेबुनियाद है। यह लोग क़ुरान व हदीस के ज़र्क़-बर्क़ टाइटिल से लोगों को धोका देते हैं कि हम अहले हदीस हैं, जो क़ुरआन व हदीस पर अमल करतें हैं।

बड़ी नासिपासी होगी अगर इस मौक़े पर मौलाना इमरान साहब क़ासमी (साबिक़ उस्तादे हदीस जामिअतुल क़ुरान व सुन्नह बिजनौर), मुफ़्ती इब्राहीम साहब (नाइब मुफ़्ती मदरसा मुईनुल इस्लाम, ज़िला मेवात, नूह, हरयाणा), मौलाना यामीन साहब, मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब (उस्ताज़ मदरसा सुब्हानिया, कसाब पुरा, देहली), मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब (उस्ताज़ मदरसा अब्दुर्रब, देहली), मौलाना शाहिद अमीनी (राज०) और अज़ीज़म मौलाना इश्तियाक़ हरियानवी (मुतअल्लिम पन्जुम, अरबी मदरसा हुसैन बख़्श, देहली) का ज़िक्र न किया जाए कि इन हज़रात ने किताबे हाज़ा कि तसहीह वग़ैरह में तआवुन फ़रमाया है।

दुआ है कि अल्लाह तआला इस किताब को उम्मत के लिए रहनुमाई का ज़रीआ बनाए और इस नाचीज़ के लिए ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बनाए।

وما ذالك على اللّٰهِ بعزيز. آمين. يا ربّ العالمين.

अबू उज़ैर मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी

ख़ादिमुत तदरीस मदरसतुल् उलूम हुसैन बख़्श,

जामा मस्जिद, देहली-6

(1) थोड़ा पानी निजासत गिरने के बाद पाक रहेगा या नापाक?

मसलके अहनाफ़

थोड़ा पानी निजासत गिरने से नापाक हो जाएगा।

दलील :-

عن ابی هُریرةَ انْ رَسُوْلَ اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم قَالَ۔وَاِذَا سْتَیْقَظَ اَحَدُکُمْ مِن نَوْمِهٖ فَلْیَغْسِلْ یَدَهٗ قَبْلَ اَنْ یُدْخِلَهَا فِی وَضُوْئِهٖ فَاِنْ اَحَدَکُمْ لَا یَدْرِیْ اَیْنَ بَاتَتْ یَدُهٗ۔

(बुख़ारी शरीफ़ 28/1 बइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ मुस्लिम 136/1 अबू दाऊद 14/1 निसाई 20/1 इब्ने माजा 32)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब तुम में से कोई शख़्स अपनी नींद से बेदार हो तो वह अपने हाथ बरतन में डालने से पहले धो ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि उस के हाथ ने रात कहाँ गुज़ारी है।

عن ابی هریرة انّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وسلّم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعاً۔

(बुख़ारी शरीफ़ 29/1 बइख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़े मुस्लिम 137/1 अबू दाऊद 10/1 तिर्मिज़ी 10/1 निसाई 22/1 इब्ने माजा 30 मुस्नदे अहमद 214/2)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

पानी ख़्वाह कम हो या ज़्यादा निजासत गिरने से नापाक नहीं होता है, इल्ला यह कि उस की बू, मज़ा और रँग में फ़र्क़ पड़ जाए।

(देखिए : फ़तावा सनाइयह 1/414)

दलील :-

तिर्मिज़ी शरीफ़ की इस रिवायत को ये लोग इस्तदलाल में पेश करते हैं :

انّ الماء طهور لا ینجّسه شئ

कि पानी पाक है इस को कोई चीज़ नापाक नहीं करती।

वजहे इस्तदलाल यह है कि इस हदीस शरीफ़ में कमी ज़्यादती की कोई क़ैद नहीं है जिस से मालूम हुआ कि निजासत गिरने से मुतलक़न पानी नापाक नहीं होगा ख़्वाह कम हो या ज़्यादा।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस अपने ज़ाहिर पर महमूल नहीं है क्योंकि अगर हदीस के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को देखा जाए तो निजासत से रँग, बू, मज़ा बदलने के बाद भी पानी को पाक कहना चाहिए क्योंकि हदीस में इसकी भी कोई क़ैद नहीं है हालांकि आप ख़ुद इसके क़ाइल नहीं, रँग, बू, मज़ा बदलने के बाद तो आप भी पानी को नापाक कहते हैं।

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बरतन से पी ले तो वो इस बरतन को सात मरतबा धोये।

फ़ाइदा :-

इन मज़कूरा दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि थोड़ा पानी निजासत गिरने से फ़ौरन नापाक हो जाएगा। इस के लिए रंग, बू, मज़े का बदलना ज़रूरी नहीं। क्योंकि पानी में हाथ डालने और कुत्ते के बरतन में मुँह डालने से रंग, बू, मज़े में कोई तबदीली नहीं आती, इस के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होने वाले को हाथ धोने का और कुत्ते के झूटे बरतन को सात मरतबा धोने का हुक्म फरमाया।

नोट :

रंग, बू, मज़ा बदलने से पानी के जो नापाक होने का मसला है वो ज़्यादा पानी के बारे में है यानी ज़्यादा पानी उस वक़्त नापाक होगा! अब मुमकिन है कि तग़य्युरे औसाफ़ (रंग, बू, मज़ा बदलने) की क़ैद आप हज़रात "इब्ने माजा/39" की रिवायत "اَنّ الماءَ طهورٌ لا ينجسهٗ شئٌ الاّ ما غلب على طعمهٖ اَوْ لونهٖ اَوْ ريحهٖ" (बेशक पानी पाक है इस को कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती मगर जो (निजासत) उस के रंग, बू, मज़ा पर ग़ालिब आ जाए) से लगाते हों। लेकिन अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने "तल्ख़ीसुल हबीर 26/1" में तफ़सील से साबित किया है कि यह रिवायत सही नहीं।

नीज़ इमाम दारे क़ुतनी इस ज़्यादती "الاّ ما غلب على طعمه او لونه او ريحه" को नकल करने के बाद लिखते हैं: لا يثبت هذا الحديث (दारे क़ुतनी 28/1) (यह हदीस साबित नहीं) लिहाज़ा तग़य्युरे औसाफ़ की क़ैद से हदीस शरीफ़ को मुक़य्यद करना किसी सही रिवायत की बुनियाद पर नहीं। औसाफ़े सलासा में से कोई वस्फ़ बदल जाएगा इस से पहले नहीं। तो आप भी पानी को नापाक कहते हैं।

☆☆☆

इसके बाद आप अपनी पेशकर्दा रिवायत की तौजीह सुनिए। यह रिवायत "ان الماء طهور لا ينجسه شئ" कि पानी पाक है, इसको कोई चीज़ नापाक नहीं करती आम पानियों के बारे में नहीं है बल्कि यह ख़ास है बीरे बुज़ाआ (बीरे बुज़ाआ मदीना मुनव्वरा में बहुत पुराना एक कुआँ है) के बारे में। जिस की तफ़सील यह है कि ज़माना-ए-जाहिलियत में लोग इस में कूड़ा करकट डाला करते थे जिसकी वजह से सहाबा किराम

(रज़ि.) को शक हुआ कि हो सकता है कि अब भी यह नापाक हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के इज़ाला-ए-शक की वजह से फरमाया : إنّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شئٌ हासिल यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का "لا ينجّسه شئ" फरमाना ख़ास बीरे बुज़ाआ के पानी के मुताल्लिक है आम पानियों के बारे में नहीं, जैसा कि मुल्ला अली कारी (रह.) ने फरमाया।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 170/1)

लिहाज़ा इस से आम पानियों के बारे में यह हुक्म लगाना कि वोह ख़्वाह कम हो या ज़्यादा निजासत गिरने से नापाक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं।

दूसरी तौजीह :

यह है कि "إنّ الماء طهور" से मुराद यह है कि पानी अपनी तबई एतबार से पाक होता है और ज़वाले निजासत के बाद नापाक बाक़ी नहीं रहता यानी निजासत गिरने से पानी नापाक तो हो जाता है मगर निजासत निकाल देने के बाद नापाक नहीं रहता और यह ऐसा ही है जैसा कि एक हदीस शरीफ में ज़मीन के मुतअल्लिक फरमाने रिसालत है: "إنّ الارض لا تنجس" कि ज़मीन नापाक नहीं होती। इस हदीस शरीफ से यह मुराद नहीं है कि ज़मीन पर नापाकी गिरने के बाद भी ज़मीन पाक ही रहती है बल्कि मुराद यह है कि ज़मीन से नापाकी दूर करने के बाद ज़मीन नापाक नहीं रहती बल्कि पाक हो जाती है, ऐसा ही पानी का मसला है।

(देखिए : तालीकुल हसन अला आसारिस सुनन/ 19 हाफ़्ज़ा फितहावी जिल्द 13/1)

☆☆☆

(2) मनी पाक है या नापाक?

मसलके अहनाफ़

मनी नापाक है।

दलील :–

عن سليمان بن يسار سألتُ عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت كنت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصّلوٰة واثرُ الغسْل فى ثوبه۔

(बुख़ारी शरीफ़ 36/1 बइख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़ मुस्लिम 140/1 तिर्मिज़ी 31/1 निसाई 33/1 इब्ने माजा 40)

तरजुमा :–

हज़रत सुलैमान बिन यसार (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से उस मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग गई हो तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैं रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से (मनी को) धोती थी फिर आप (सल्ल.) नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते और धोने का असर आप (सल्ल.) के कपड़े में होता।

फ़ाइदा :–

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि मनी नापाक है। इसी लिए तो हज़रत आइशा (रज़ि.) इस को नमाज़ के वक़्त धो डालती थीं वरना धोने की क्या ज़रूरत थी।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

मनी पाक है।

(देखिए : फ़तावा नज़ीरिया 335/1)

दलील :–

ये हज़रात इन तमाम रिवायात को इस्तदलाल में पेश करते हैं जिन में मनी को पाक करने का तरीक़ा फ़र्क यानी रगड़ना आया है।

वजहे इस्तदलाल यह है कि मनी अगर नापाक होती तो सिर्फ़ रगड़ना काफ़ी न होता बल्कि ख़ून की तरह धोना ज़रूरी होता।

(देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 317/1)

जवाब :–

(1) यह है कि यह मनी की पाकी की दलील नहीं बन सकता क्योंकि नापाक अश्या को पाक करने के तरीक़े मुख़्तलिफ़ हैं, बाज़ जगह पाक करने के लिए धोना ज़रूरी होता है, बाज़ जगह नहीं। चुनांचे रूई को पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसे धुन दिया जाए। इसी तरह ज़मीन सूखने से पाक हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह मनी को पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसे रगड़ दिया जाए बशर्ते कि वोह ख़ुश्क हो जिस की दलील हज़रत आइशा (रज़ि.) की यह हदीस है :

كُنْتُ أَفرك المَنيّ من ثوب رَسول اللّه صلىّ اللّه عليه وسلّم إذا كان يابساً راغسلُه اذا كان رطباً۔

(दारे क़ुत्नी 125/1 तहावी 41/1)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को रगड़ देती थी जबकि वोह ख़ुश्क होती और उस को धो देती थी जबकि वोह तर होती।

(2) मनी के अन्दर रगड़ने की इजाज़त बतौरे तख़फ़ीफ़ और रुख़्सत के है लिहाज़ा इस से मनी की तहारत मफ़हूम नहीं होती।

(माख़ूज़ अज़ : अत्तालीक़ुस् सुब्की 278/1)

हज़रत इमाम तहावी (रह.) ने रगड़ने वाली रिवायात का यह जवाब दिया है कि यह तमाम रिवायात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के कपड़ों के मुतअल्लिक़ हैं। नमाज़ के कपड़ों के मुतअल्लिक़ नहीं हैं।

(देखिए : तहावी शरीफ़ 41/1)

यानी मतलब यह हुआ कि आप (सल्ल.) के पास दो तरह के कपड़े थे, सोने के और नमाज़ के। और सोने के कपड़ों में निजासत लग जाए तो उस के साथ सोने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं है।

(माख़ूज़ अज़ : ईज़ाहुत्-तहावी 179-178/1)

नीज़ क़ाबिले ग़ौर बात यह है अगर मनी पाक होती तो कहीं तो आप (सल्ल.) से मनी लगे हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ना साबित होता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मालूम हुआ कि मनी नापाक है।

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक बड़े जय्यिद आलिम अल्लामा क़ाज़ी शौकानी (रह.) भी यही फ़रमाते हैं कि मनी नापाक है।

चुनांचे मौसूफ़ अपनी किताब "नीलुल् अवतार" में तहरीर फ़रमाते हैं : "فالصواب ان المنى نجس" यानी दुरुस्त बात यह है कि मनी नापाक है।

☆☆☆

(3) कुत्ता और ख़िन्ज़ीर का झूठा पाक है या नापाक?

मसलके अहनाफ़

कुत्ता और ख़िन्ज़ीर का झूटा नापाक है।

दलील :-

عن ابی ہریرۃ انّ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم قال اذا شرِبَ الکلبُ فی اناءِ احدکم فلیغسِلہٗ سبعاً۔

(बुख़ारी शरीफ़ 29/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बरतन से पी ले तो वो उस बरतन को सात मरतबा धोए।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि कुत्ते का झूटा नापाक है इसी लिए तो आप (सल्ल.) ने इस के झूटे बरतन को सात-सात मरतबा धोने का हुक्म फ़रमाया, वरना बरतन धोने की क्या ज़रूरत थी।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

कुत्ता और ख़िन्ज़ीर का झूटा पाक है।

اختلفوا فی لعابِ الکلبِ والخنزیرِ وسُؤرِہما والارْجح طہارتہٗ۔

(नुज़्लुल् अबरार 49/ बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /249)

यानी कुत्ते और ख़िन्ज़ीर के लुआब और झूटे के बारे में इख़्तिलाफ़ है और राजह उस का पाक होना है।

अल्लाह जाने इस बारे में इन की क्या दलील है, हालांकि इन्ही के एक जय्यिद आलिम शैख़ मुहम्मद शमसुल हक़ "औनुल् माबूद 94/1" में फ़रमाते हैं :

لٰکنّ القول المحقّق نجاسۃ سؤر الکلب۔

यानी क़ौले मुहक़्क़िक़ यह है कि कुत्ते का झूटा नापाक है।

☆☆☆

जब मज़कूरा हदीस से कुत्ते का झूटा नापाक साबित हो गया तो ख़िन्ज़ीर का झूटा तो बदरज-ए-ऊला नापाक होगा।

☆☆☆

(4) हलाल जानवरों का पेशाब पाक है या नापाक?

मसलके अहनाफ़

हलाल जानवरों का पेशाब नापाक है।

दलील :–

عن ابن عبّاس قال خرج النّبىُّ صلىّ اللّه عليه وسلّم مِن بعض حيطان المدينة فسمع صوت انسانين يعذبان فِى قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان فى كبيرٍ وانّهٗ لكبيرٌ كان احدهما لا يستترُ مِن الْبول وكان الآخر يمشى بالنّميمة۔

(बुख़ारी शरीफ़ 894/1 बइख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़े मुस्लिम 141/1 निसाई 16/1 इब्ने माजा 29/)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल.) मदीना मुनव्वरा की एक चहारदीवारी के पास से गुज़रे तो आप (सल्ल.) ने दो इन्सानों की आवाज़ सुनी जिन को उन की कब्रों में अज़ाब हो रहा था। तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि उन दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है और उन को किसी बड़ी चीज़ की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा है। उन में से एक का बड़ा गुनाह तो यह था कि वोह पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुग़लख़ोरी किया करता था।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

हलाल जानवरों का पेशाब पाक है।

(देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 206/1)

यह लोग हज़रत अनस (रज़ि.) की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

انّ ناساً من عُرينة قَدِمُوا المدينة فاجْتووُها فبَعثهم رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم فى ابل الصّدقة وقال اشربوا من البانها و ابوالها۔

(तिर्मिज़ी 21/1)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उरयना से कुछ लोग मदीना मुनव्वरा आए तो उन को मदीना की आब-व-हवा मुवाफ़िक़ न आई, तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को सदक़े के ऊँटों में भेज दिया और उन से फ़रमाया कि तुम इन ऊँटों का दूध और पेशाब पियो।

वजहे इस्तदलाल यह है कि अगर ऊँटों का पेशाब नापाक होता तो आप (सल्ल.) उन को पेशाब पीने का हुक्म न फ़रमाते। जिस से मालूम हुआ कि ऊँटों का पेशाब पाक है और रहा दूसरे हलाल जानवरों का पेशाब, तो वोह इस पर क़यास की वजह से पाक है।

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم تنزّهوا من البول فانّ عامّة عذاب القبر من البول۔

(अत्-तरग़ीब वत्-तरहीब 139/1)

तरजुमा :–

हज़रत अनस (रह.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि पेशाब से बचो, इस लिए कि आम तौर से अज़ाबे क़ब्र पेशाब की वजह से होता है।

फ़ाइदा :–

दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि पेशाब मुतलक़न नापाक है, चाहे हलाल जानवरों का हो या हराम जानवरों का।

☆☆☆

(देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 204/1)

जवाब :–

यह रिवायत ऊँटों के पेशाब के पाक होने की दलील नहीं बन सकती, क्योंकि आप (सल्ल.) ने उन लोगों को पेशाब पीने का हुक्म दफ़ा ए बीमारी के लिए ज़रूरतन दिया था। देखिए : (तहावी शरीफ़ 83/1)। और बवक़्ते ज़रूरत बाज़ हराम चीज़ें मुबाह हो जाती हैं। चुनांचे फ़रमाने बारी तआला है :

قَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الّا ما اضطُرِرْتم اليه۔

(इनाम 120/)

और वोह (अल्लाह) वाज़ेह कर चुका है जो कुछ उस ने तुम पर हराम किया है, मगर जबकि तुम मजबूर हो जाओ उस के खाने पर।

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि हालते इज़्तरार (सख़्त मजबूरी) में हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती हैं। चुनांचे हालते इज़्तरार में (भूक की वजह से) मुरदार खाना भी जाइज़ हो जाता है। (देखिए : फ़तहुल् बारी शरहे सहीह अल-बुख़ारी 338/1)। पस इसी तरह अहले उरयना को पेशाब पीना जाइज़ हुआ था, लिहाज़ा इस को हलाल जानवरों के पेशाब पर पाकी की दलील समझना ग़लत है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

दूसरा जवाब :–

यह है कि हदीसे उरयना मनसूख़ है। (देखिए : अत्तालिक़ुस्सबीह 210/1)

यह लोग इस हदीस को भी दलील में पेश करते हैं : صَلُّوا فى مرابض الْغنم कि तुम लोग बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ो।

वजहे इस्तदलाल यह है कि बकरियों का बाड़ा पेशाब व मेंगनियों का मरकज़ होता है, अगर उन का पेशाब नापाक होता तो आप (सल्ल.) उस में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। (देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 205/1)

जवाब :–

यह है कि मराबिज़े ग़नम में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मसाजिद बन्ने से पहले थी बाद में यह हुक्म मनसूख़ हो गया। (देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 390/3) इस की ताईद (बुख़ारी शरीफ़ 61/1) की इस रिवायत से होती है।

عن انــس قــال قــال كـان الـنّبـىّ صـلىّ الـلّـه عـليـه و سلّم يصلّى فى مرابض الغنم۔۔۔۔قبل ان يُبنىٰ المسجد۔

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बन्ने से पहले मराबिज़े ग़नम में नमाज़ पढ़ते थे।

नीज़ यह भी मुमकिन है कि मराबिज़ से मुराद उस के आस–पास का हिस्सा हो। (देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 389/3)

यह हज़रात इस हदीस को भी इस्तदलाल में पेश करते हैं : إنّ الـلّـه لَمْ يَـجْعل شِفاء اُمّتى فيما حرّم عليها कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के लिए शिफ़ा किसी ऐसी चीज़ में नहीं रखी जो उस पर हराम हो।

वजहे इस्तदलाल यह है कि अगर हलाल जानवरों का पेशाब नापाक होता तो उस को बतौरे दवा भी इस्तेमाल करना जाइज़ न होता।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 205/1)

जवाब :–

यह है कि यह हदीस हालते इख़्तियार पर महमूल है, न कि हालते इज़्तिरार पर और हालते इज़्तिरार में हराम चीज़ हराम ही नहीं रहती। (देखिए : फ़तहुल् बारी 339/1) लिहाज़ा इस में शिफ़ा हो सकती है।

हासिल यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी "अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की शिफ़ा हराम चीज़ में नहीं रखी" इस वक़्त है जबकि हराम चीज़ को बग़ैर किसी सख़्त मजबूरी के बतौरे दवा इस्तेमाल

किया जाए, न कि ज़रूरते शदीदह के वक़्त। क्योंकि हालते इज़्तिरार (सख़्त मजबूरी) में हराम चीज़ हराम ही नहीं रहती बल्कि मुबाह हो जाती है, लिहाज़ा जानवरों के पेशाब पीने का हुक्म देना भी हालते इज़्तिरार ही में था। पस मालूम हुआ कि इस हदीस से हलाल जानवरों के पेशाब के पाक होने पर इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं। अल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

☆☆☆

(5) क्या क़ुरआने पाक को बग़ैर वुज़ू के छूना जाइज़ है?

मसलके अहनाफ़

क़ुरआने करीम को बग़ैर वुज़ू के छूना जाइज़ नहीं।

दलील :-

لا يَمَسّهٗ اِلّا المُطَهّرُوْن۔

(बुख़ारी शरीफ़ 29/1)

तरजुमा :-

नहीं छूते इसे (क़ुरआन को), मगर पाक हो।

फ़ाइदा :-

यहाँ लफ़्ज़े "मुतह्हरून" की तफ़सीर उलमा ने दो तरह से की है (1) इस से मुराद फ़रिश्ते हैं। (2) इससे मुराद वोह लोग हैं जो निजासते ज़ाहिरी व मानवी से पाक हों। यानी हदसे असग़र (बेवुज़ू होने) व हदसे अकबर (जुन्बी होने) से पाक हों।

(मआरिफ़ुल क़ुरान 286/8)

इस दूसरी तफ़सीर के पेशे नज़र बग़ैर वुज़ू के क़ुरआने करीम को छूना जाइज़ न होगा।

(देखिए : हाशिय-ए-जलालैन /448)

عن محمد بن حزم قال انّ فی الکتاب الّذی کتبهٗ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلّم لِعَمرو بن حزم لا یمسّ القُرآن الّا طاہِرٌ۔

(देखिए : मुअत्ता मुहम्मद /163)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

क़ुरआने करीम को बग़ैर वुज़ू के छूना जाइज़ है। (देखिए : अरफ़ुल् जादी/15 मजमूअ-ए मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन/234)

दलील :-

यह लोग इस हदीस لا یَمسّ القرآن اِلّا طاہِرٌ (कि क़ुरआन को सिर्फ़ पाक आदमी ही छुए) से इस्तदलाल करते हैं।

वजहे इस्तदलाल यह है कि हदीस शरीफ़ में लफ़्ज़े طاہِرٌ मुहदिसे असग़र (बेवुज़ू) को शामिल है, क्योंकि मुहदिसे असग़र के बदन पर बज़ाहिर कोई नापाकी नहीं होती।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 387/1)

जवाब :-

ग़ैर मुक़ल्लिदों के ही एक बड़े आलिम शेख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी इस के जवाब में तहरीर फ़रमाते हैं कि हदीस शरीफ़ में मज़कूर लफ़्ज़ طاہِرٌ से मुराद मुतवज़्ज़ी (बावुज़ू) है।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 387/1)

अब यह हदीस शरीफ़ हनफ़िया की दलील बन गई क्योंकि अब हदीस शरीफ़ का मतलब होगा कि

तरजुमा :—

हज़रत मुहम्मद बिन हज़म से रिवायत है कि इस तहरीर में लिखा हुआ था, जिस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर व बिन हज़म (रज़ि.) के लिए लिखा था कि क़ुरआन को सिर्फ़ ताहिर (बावुज़ू) आदमी ही छुए।

عن عبد الرّحمٰن بن يزيد قال كنّا مَعَ سليمان فى سفرٍ فانطلق فقضى حاجتهٗ ثمّ جَاءَ فقلنا لهٗ يا عبدَ اللّٰه توضّأ لعلّنا نسئلكَ عن آى من القرآن فقال سَلوْا فإنّى لَا أمسُّهٗ و انّهٗ لَا يمسّهٗ الا المُطهّرُ.

(सुनने बेहिक़ी 90/1)

तरजुमा :—

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद फ़रमाते हैं कि हम लोग एक सफ़र में हज़रत सुलैमान के साथ थे तो वोह क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए, फिर जब वो आए तो हम ने उन से कहा कि ऐ अल्लाह के बन्दे वुज़ू कर लीजिए ताकि हम आप से क़ुरआने करीम की आयात के बारे में मालूम करें तो हज़रत सुलैमान ने फ़रमाया मालूम कर लो मैं तो क़ुरान को छू नहीं सकता। क्योंकि क़ुरआन को सिर्फ़ पाक आदमी (बावुज़ू) ही छू सकता है।

"क़ुरआन को सिर्फ़ बावुज़ू आदमी ही छुए"। वाज़ेह रहे कि शैख़ अब्दुर रहमान मुबारकपुरी (ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम) इस मसले में हनफ़िया के साथ हैं। (देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 387/1) में मौसूफ़ तहरीर फ़रमाते हैं :

وَقَدْ وَقع الإجْماعُ علىٰ اَنّهٗ لا يَجوزُ لِلْمُحدِثِ حدثاً اكبر اَن يَمَسَّ المُصْحف..... و امّا المحدث حدثاً اَصغر فذَهَبَ ابنُ عباس و الشعبىُ و الضحاكُ الىٰ انّهٗ يَجوز لهٗ مسُّ المصحف وَقال القاسمُ و اَكثر الفقهاءِ لا يجوزُ كذا فِى النّيل. قُلْت القول الرّاجِحُ عِندى قول اَكثرِ الفُقَهاءِ.

यानी इस बात पर इजमा है कि मुहदिसे अकबर (जुन्बी) के लिए क़ुरान को छूना जाइज़ नहीं। बहरहाल मुहदिसे असग़र (बेवुज़ू) तो हज़रत इब्ने अब्बास, शौबी और ज़हहाक इस के लिए जाइज़ क़रार देते हैं और क़ासिम व अकसर फ़ुक़हा नाजाइज़ क़रार देते हैं। मैं (शैख़ मुबारकपुरी) कहता हूँ कि मेरे नज़दीक अकसर फ़ुक़हा का क़ौल राजेह है।

☆☆☆

मालूम हुआ कि क़ुरआने करीम को बग़ैर वुज़ू छूना जाइज़ नहीं।

☆☆☆

(6) क़ै और ख़ून से वुज़ू टूटता है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

क़ै और ख़ून से वुज़ू टूट जाता है।

दलील :-

عن ابی الدرداء انّ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم قاءَ فتوضّأ۔ قال ابُوْ عیسیٰ ورَاٰیَ غیرُ واحدٍ مّن اھل العلمِ من اصحاب النّبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم و غیرھم من التّابعین الوُضُوْ من القي و الرعاف۔

(तिर्मिज़ी 25/1, इसी मज़मून की एक रिवायत कन्ज़ुल् आमाल अला मस्नद अहमद 442/3, और दूसरी मुअत्ता मालिक में देखी जा सकती है।)

हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ै की और फिर वुज़ू फ़रमाया। हज़रत इमाम तिरमिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं कि बहुत से सहाबा किराम (रज़ि.) से और अलावा अज़ीं, हज़रात ताबईन की राय यह है कि क़ै और नकसीर से वुज़ू टूट जाता है।

عن عائشة قالتْ قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہٖ وسلّم مَنْ أصابہٗ قیٌٔ اَوْ رُعافٌ اَوْ قلَسٌ او مَذْیٌ

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

क़ै और ख़ून से वुज़ू नहीं टूटता।

(देखिए : अरफ़ुल् जादी /14 बहवाला मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /173)

दलील :-

यह हज़रात बुख़ारी शरीफ़ की इस रिवायत से इस्तदलाल करते हैं :

عن جابرٍ انّ النّبیّ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کانَ فی غزْوَةِ ذاتِ الرّقاعِ فرُمیَ رجُلٌ بسھْمٍ فنَزَفَہُ الدّم فرکع و سجد و مضیٰ فی صلاتہٖ۔

(बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए ज़ातुर्रिक़ाअ् में थे तो एक शख़्स को (नमाज़ में) तीर आ लगा जिस की वजह से ख़ून बहने लगा तो उस शख़्स ने रुकूअ् किया, सजदा किया, और बराबर नमाज़ पढ़ता रहा।

वजहे इस्तदलाल यह है कि अगर ख़ून नाक़िज़े वुज़ू होता तो यह शख़्स ख़ून निकलने के बाद बराबर नमाज़ न पढ़ता रहता।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 244/1)

जवाब :-

यह है कि इस वाक़ए में आप

فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهِ.

(इब्ने माजह /85)

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस शख़्स ने (नमाज़ में) क़ै की, या उस की नकसीर छूटी या उसको मज़ी आई तो फिर जाए और वुज़ू करे और फिर अपनी नमाज़ पर बिना करे।

फ़ाइदा :-

इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि क़ै और ख़ून से वुज़ू टूट जाता है।

☆☆☆

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीर साबित नहीं, यानी उन सहाबी (रज़ि.) ने ख़ून की हालत में नमाज़ आप (सल्ल.) के सामने नहीं पढ़ी थी कि आप (सल्ल.) उस पर नकीर फ़रमाते बल्कि यह सहाबी (रज़ि.) का फ़ेअ्ल है जो दूसरी अहादीस के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं हो सकता।

(दर्स तिर्मिज़ी 219/1)

नीज़ दरहक़ीक़त यह सहाबी (रज़ि.) नमाज़ और तिलावते क़ुरान की लज़्ज़त में इस क़दर महव थे कि या तो उन्हें ख़ून निकलने का पता ही नहीं चला, या चला भी तो ग़ल्बए लज़्ज़त की वजह से नमाज़ न तोड़ सके और यह ग़ल्बए हाल और इस्तिग़राक़ की कैफ़ियत थी जिस से कोई फ़िक़ही मसला मुस्तम्बत नहीं किया जा सकता।

(दर्स तिर्मिज़ी 1/219)

इस की ताईद उन सहाबी (रज़ि.) के इन अल्फ़ाज़ से होती है : كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ اَقْرَؤُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا. (अबू दाऊद 1/26) कि मैं एक ऐसी सूरत पढ़ रहा था कि जिस को मैं तोड़ना नहीं चाहता था।

यह लोग हज़रत हसन (रह.) के इस क़ौल को भी दलील में पेश करते हैं : مَا زَالَ الْمُسْلِمُوْنَ يُصَلُّوْنَ فِيْ جِرَاحَاتِهِمْ कि मुसलमान बराबर अपने ज़ख़्मों के साथ नमाज़ पढ़ते रहते थे।

जवाब :–

या तो यही वोह ज़ख़्म मुराद हैं जिनसे ख़ून न थम रहा हो, तो ज़ाहिर है कि यह माज़ूर हुए जैसे मुस्तहाज़ा औरत या फिर कि उन ज़ख़्मों से मुराद वोह ज़ख़्म हैं जिन से ख़ून न बह रहा हो, जिस की दलील यह है कि "मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 127/1" में सही सनद के साथ हज़रत हसन बसरी (रह:) से मरवी है कि बहने वाला ख़ून नाक़िज़े वुज़ू है।

(देखिए : उम्दतुल् क़ारी 51/3)

लिहाज़ा यह ग़ैर मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़ हनफ़िया की दलील हुई।

☆☆☆

(7) वुज़ू में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, और नियत करना फ़र्ज़ है या सुन्नत

मसलके अहनाफ़

वुज़ू में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, और नियत करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं।

दलील :-

يَـآيُّهـا الـذين آمَـنُوا إذا قُمتُمْ الىٰ الـصّلـوة فاغْسِلوُا وُجوهَكم وأيْدِيَكُمْ الىٰ الـمرافـق وامْسـحـوُا بِـرءُوسكم وأرجُلَكمْ الىٰ الكَعبَيْنِ.

(अल-माइदह /6)

तरजुमा :-

ऐ ईमान वालों जब नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरों को धोओ और अपने हाथों को भी कोहनियों समेत धोओ और अपने सिरों का मसह करो और अपने पैरों को टख़नों समेत धोओ।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा के अन्दर अल्लाह तआला ने वुज़ू का तरीक़ा बयान फ़रमाया है, लेकिन इस में नियत करने, नाक में पानी डालने और कुल्ली करने का हुक्म नहीं दिया।

जिस से मालूम हुआ कि यह चीज़ें फ़राइज़े वुज़ू में से नहीं हैं।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

वुज़ू में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, और नियत करना फ़र्ज़ है। चुनांचे नवाब वहीदुज़्ज़मां हैदराबादी लिखते हैं : فَرضُ الوُضوُ النِيّةُ والمَضْمَضَةُ والإسْتِنشاقْ.

(कन्ज़ुल् हक़ाइक़ /11 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /155)

यानी वुज़ू का फ़र्ज़ नियत करना, कुल्ली करना, और नाक में पानी डालना है।

दलील :-

यह हज़रात तिर्मिज़ी शरीफ़ की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं : إذا تَـوضّأتَ فانْتَثِرْ कि जब तू वुज़ू करे तो नाक में पानी डाल।

वजहे इस्तदलाल यह है कि فـانْتَثِرْ फ़ेअले अम्र है और अम्र में असल वुजूब है।

(तोहफ़तुल अहवज़ी 99/1)

जवाब :-

यह है कि यह तो ठीक है فـانْتَثِرْ सेग़-ए-अम्र है मगर यहाँ यह अम्र वुजूब व फ़रज़ियत के लिए नहीं है, जैसा कि आप हज़रात ने समझा है, बल्कि नुदब-व-इस्तहबाब पर महमूल है।

वरना इन का हुक्म भी आयते करीमा में ज़रूर दिया जाता, जैसे दीगर फ़राइज़ का हुक्म मज़कूर है।

عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالتْ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عَشرٌ مِّن الفِطرةِ قصّ الشّارب و اعفاء اللحيَةِ والسّواك واستنشاق الماء و قصُ الاظفار و غسل البراجم و نتف الابِطِ وحلقُ العانة وانتقاص الماءِ قال زكريا قال مصعبُ و نسِيتُ العاشرة الا انْ تكون المَضمَضةَ.

(मुस्लिम 129/1)

तरजुमा :–

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि दस चीज़ें सुन्नत में से हैं। (1)मूँछ कटाना (2)दाढ़ी बढ़ाना (3)मिसवाक करना (4)नाक में पानी डालना (5)नाखुन काटना (6)उँगलियों के पोरों को धोना (7)बग़ल के बाल नोचना (8)ज़ेरे नाफ़ के बाल मूँडना (9)कम पानी इस्तेमाल करना। हज़रत ज़करिय्या (रावी ए हदीस) फ़रमाते हैं कि हज़रत मुसअब (रह.) ने फ़रमाया कि मैं दसवीं चीज़ को भूल गया, मगर यह कि वोह "कुल्ली करना" है।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, सुनने वुज़ू में से हैं, फ़राइज़े वुज़ू में से नहीं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

☆☆☆

(8) वुज़ू में दाढ़ी का ख़िलाल करना कैसा है?

मसलके अहनाफ़

वुज़ू में दाढ़ी का ख़िलाल करना सुन्नत है।

दलील :–

عن انس بن مالك أنْ رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلّم كان إذا توضأ اَخَذَ كفًّا مِّن ماءٍ فادخله تحت حنكه فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتهٗ وقال هكذا اَمَرَ رَبّي.

(अबू दाऊद 19/1)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

वुज़ू में दाढ़ी का ख़िलाल करना दुरुस्त नहीं, और इस सिलसिले में जो भी अहादीस हैं सब नाक़ाबिले इस्तदलाल और कमज़ोर हैं। चुनांचे नवाब साहब भोपाली लिखते हैं :

واحاديث فعل تخليل لحيه خالى از مقال نيست.

(देखिए : अरफ़ुल् जादी /12 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /136)

☆☆☆

तरजुमा :–

हज़रत अनस बिन मालिक (रह.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू करते तो एक चुल्लू पानी लेते और फिर उस को अपनी ठोड़ी के नीचे दाख़िल करके उस से अपनी दाढ़ी का ख़िलाल करते और यह इरशाद फ़रमाते कि इसी तरह मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है।

عن عثمان بن عفان انّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يُخلّل لِحيَتَهٗ - قال ابو عيسىٰ هٰذا حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ.

(तिर्मिज़ी शरीफ़ 14/1)

तरजुमा :–

हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी का ख़िलाल फ़रमाते थे।

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन (सही) है।

عن عمار بن ياسرؓ قال رأيتُ رسول الله صلى الله عليه و سلّم يُخَلِّلُ لِحيَتَهٗ.

(इब्ने माजह /34)

तरजुमा :–

हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी का ख़िलाल करते हुए देखा है।

फ़ाइदा :–

इन हदीसों से मालूम हुआ कि दाढ़ी का ख़िलाल करना सुन्नत है और सही अहादीस से साबित है लिहाज़ा इस का इनकार करना दुरुस्त नहीं। ख़ुद एक ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी इस को मुस्तहब क़रार देते हैं, नीज़ इस सिलसिले में रिवायात को क़ाबिले इस्तदलाल समझते हैं।

(देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 107/1)

☆☆☆

(9) जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है या सुन्नत

मसलके अहनाफ़

जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, वाजिब नहीं।

दलील :–

عن سمرة قال قال رسول الله صلى اللّٰه عليه وسلّم من توضأ فبِها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل.

(अबू दाऊद 51/1 बहक़िलताके अल्काले तिर्मिज़ी 111/1 निसाई /155 इब्ने माजा /76 मुअत्ता मुहम्मद /74 कन्ज़ुल् आमाल कलम मुसनदे अहमद 296/3)

तरजुमा :–

हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख़्स (जुमे के दिन) वुज़ू करे तो बेहतर है और जो शख़्स गुस्ल करे तो गुस्ल करना अफ़ज़ल है।

पस मालूम हुआ कि जुमे के दिन गुस्ल वाजिब नहीं बल्कि अफ़ज़ल व सुन्नत है।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है। चुनांचे नवाब साहब भोपाली लिखते हैं : غسل برائے جمعه واجب است (अरफ़ुल् जादी /14 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /126) कि जुमे के लिए गुस्ल करना वाजिब है।

दलील :–

यह हज़रात बुख़ारी शरीफ की इस हदीस को इस्तदलाल में पेश करते हैं : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ कि जब तुम में से कोई शख़्स जुमे में आने का इरादा करे तो उस को चाहिए कि वोह गुस्ल करे।

वजहे इस्तदलाल यह है कि فَلْيَغْتَسِلْ सेग़-ए-अम्र है, और वोह वुजूब पर दलालत करता है।

जवाब :–

यही सेग़-ए-अम्र वुजूब पर नहीं बल्कि नुदुब-व-इस्तिहबाब पर दलालत करने के लिए है।

(देखिए : उमदतुल् क़ारी 166/6)

नीज़ यह लोग हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की इस हदीस को भी पेश करते हैं : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ कि जुमे के दिन हर बालिग़ पर गुस्ल वाजिब है।

जवाब :-

यह है कि यह हुक्म शुरू में एक आरिज़ की वजह से था। जब वोह आरिज़ ख़त्म हो गया तो यह हुक्म भी ख़त्म हो गया। जिस की तफ़सील (मुस्नदे अहमद 41/4) की एक हदीस शरीफ़ में मौजूद है। वहीं मुलाहिज़ा कर लिया जाए।

वोह आरिज़ यह था कि इब्तिदा में लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे जिस की वजह से गर्मियों में पसीना वग़ैरह की बू बदन से आने लगती थी, जो दूसरे लोगों के लिए ईज़ा रसानी का सबब बनती थी बिल्ख़ुसूस जुमे के दिन। चूंकि भीड़ भी ज़्यादा होती थी, इसलिए आप (सल्ल.) ने जुमे के दिन गुस्ल का हुक्म फ़रमाया।

यही मस्लक एक जय्यिद ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम साहिबे सुबुलुस्सलाम अल्लामा सनआनी (रह.) का है, चुनांचे मौसूफ़ मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत : من توضّأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجُمعَة के तहत फरमाते हैं : وفى هذه الرّواية بَيانٌ انّ غَسلَ الجُمُعَةِ لَيسَ بواجب (सुबुलुस्सलाम 86/2) कि इस रिवायत में बयान है कि जुमे का गुस्ल करना वाजिब नहीं।

☆☆☆

(10) नमाज़े फजर में इसफ़ार मुसतहब है या ग़ल्स (अन्धेरा)

मसलके अहनाफ़

फ़जर की नमाज़ में असफ़ार यानी इस को उजाले में पढ़ना मुस्तहब है।

दलील :–

عن رافع بن خديج قال قال رسولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصّبح فانّه اعظم لِأجُوْرِكُم او اعْظم لِلْاَجْرِ۔

(अबू दाऊद 61/1 बइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़े तिर्मिज़ी 40/1 निसाई 65/1 मुस्नदे अहमद 465/3 मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 282/1 इल्लाउस्सुनन 19/2)

तरजुमा :–

हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि फजर की नमाज़ को ख़ूब सुबह करके पढ़ो इस लिए कि यह तुम्हारे लिए ज़्यादती ए अजर का सबब है।

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि फजर की नमाज़ को इस्फ़ार यानि उजाले में अदा करना मुस्तहब है।

عن على بن ربيعة انّ عليًا قال ياابْن التّياح اَسْفِرْ بالْفَجْرِ۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 283/1)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

फ़जर की नमाज़ को ग़ल्स यानी अन्धेरे में पढ़ना मुस्तहब है।

(देखिए : तोहफ़तुल अहवज़ी 410/1)

दलील :–

यह लोग हज़रत आइशा (रज़ि.) की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصلّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّساءُ قال الانصارى فتمر النساء مُتَلَفِّفاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ما يُعْرَفْنَ من الْغَلسِ۔

(तिर्मिज़ी /40)

तरजुमा :–

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ाते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई आतीं, अन्धेरे की वजह से पहचानी न जातीं।

वजहे इस्तदलाल यह है कि अन्धेरे की वजह से औरतों का न पहचाना जाना दलील है कि आप (सल्ल.) फजर की नमाज़ को अन्धेरे में पढ़ते थे।

जवाब :–

यह है कि दरहक़ीक़त इस रिवायत में लफ़्ज़ "من الغلس"

तरजुमा :-

हज़रत अली बिन रबीआ (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने (इब्ने तयाह से) फ़रमाया ऐ इब्ने तयाह फ़जर की नमाज़ को इस्फ़ार में पढ़ा करो।

عن عبد الرحمٰن بن الاسود انّ ابن مسعودٍ كان ينوّر بالفجر.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 283/1)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन असवद फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद (रज़ि.) नमाज़े फ़जर को उजाले में पढ़ते थे।

عن زياد بن المقطع قال رأيت الحُسَيْن بن علي أسفر.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 283/1)

हज़रत ज़ियाद बिन मक़ता (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत हुसैन बिन अली (रज़ि.) को सुबह की नमाज़ को उजाले में पढ़ते हुए देखा है।

इन आसारे सहाबा से भी मालूम हुआ कि फ़जर की नमाज़ को उजाले में अदा करना मुस्तहब है।

☆☆☆

(अन्धेरा) जो आप हज़रात की दलील है यह हज़रत आइशा (रज़ि.) का लफ़्ज़ नहीं है, उन का क़ौल तो "ما يعرفن" पर ख़त्म हो गया और उन का मनशा यह था कि औरतें चादरों में लिपटी हुई आती थीं इस लिए उन्हें पहचाना न जाता था। किसी रावी ने यह समझा कि न पहचाने जाने की वजह अन्धेरा था, पस उन्होंने रिवायत में "من الغلس" का लफ़्ज़ बढ़ा दिया।

दलील इस की यह है कि यही रिवायत बसनदे सही (इब्ने माजह /49) पर इन अल्फ़ाज़ के साथ मरवी है।

عن عائشة قالت كنّا نساء المؤمنات يصلين مع النّبىّ صلى اللّٰه عليه وسلّم صلوٰة الصّبح ثمّ يرجعن الى اهلهنّ فلا يعرفهنّ احدٌ "تعنى من الغلس".

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हम मोमिन औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज़ पढ़तीं, फिर घरों को लौटतीं तो कोई नहीं पहचानता, यानी अन्धेरे की वजह से।

इस हदीस शरीफ़ में मज़कूर "تعنى من الغلس" (यानी अन्धेरे की वजह से) लफ़्ज़ साफ़ बतला रहा है कि "من الغلس" रावी की ज़्यादती है।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 37/2)

नीज़ हज़रत इमाम तहावी (रह.) ने यह रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ नक़ल की है "ثُمَّ يَرْجِعْنَ وما يَعْرِفُهُنَّ احدٌ" यानी हज़रत इमाम तहावी (रह.) ने "مــن الــغلــس" के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये जिस से पता चलता है कि "من الغلس" के अल्फ़ाज़ रावी की ज़्यादती है, मरफ़ू हदीस के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

(देखिए : "मआरिफ़ुस् सुनन 37/2")

जब यह साबित हो गया कि लफ़्ज़ "من الغلس" जो इन हज़रात की दलील है हदीस का टुकड़ा नहीं है तो अब इस हदीस शरीफ़ को इस्तदलाल में पेश करना दुरुस्त न होगा।

और अगर मान भी लिया जाए कि लफ़्ज़ "من الغلس" हदीस का टुकड़ा है तब भी इस से इस्तदलाल ताम न होगा, क्योंकि उस ज़माने में मस्जिदे नबवी की दीवारें छोटी थीं, छत नीची और उस में खिड़कियाँ भी नहीं थीं इस लिए इस्फ़ार (उजाले) के बावजूद भी वहाँ अन्धेरा रहता था जिस की वजह से औरतें पहचानी न जाती थीं। वल्लाहु आलम।

(देखिए : दर्से तिर्मिज़ी 403/1)

☆☆☆

(11) गर्मियों में ज़ोहर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है या जल्दी

मसलके अहनाफ़

ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है।

दलील :-

عن ابی سعید قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلّم اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔

(बुख़ारी 77/1 बाख़िलाफ़े अल्फ़ाज़े मुस्लिम 224/1 अबू दाऊद 58/1 तिर्मिज़ी 40/1 निसाई 59/1 इब्ने माजा /49 मुस्नदे अहमद 256/2 मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 286/1 तहावी शरीफ़ 138/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि ज़ोहर की नमाज़ को ठण्डी करके (ताख़ीर से) पढ़ा करो। इस लिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश मारने से है।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि गर्मियों में ज़ोहर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल होगा।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जल्दी पढ़ना अफ़ज़ल है।

दलील :-

यह हज़रात तिर्मिज़ी शरीफ़ की इस रिवायत को इस्तदलाल में पेश करते हैं।

عن عائشة قالتْ ما رأيتُ اَحَداً كان اشدّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ عليه و سلم ولا من اَبِى بكر ولا مِنْ عُمَرَ۔

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैं ने ज़ोहर की नमाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) से ज़्यादा जल्दी पढ़ने वाला किसी को नहीं देखा।

जवाब :-

यह हदीस शरीफ़ सर्दियों से मुतअल्लिक़ है, गर्मियों के बारे में नहीं है, जिस की दलील "तहावी शरीफ़ 138/1" की यह रिवायत है :

عن انس بن مالك و ابن مسعود ان رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ عليه وسلم كان يُعَجِّلُها فى الشّتاءِ و يؤخّرها فى الصّيف۔

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) और हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों में (ज़ोहर की नमाज़ को) जल्दी पढ़ा करते थे और गर्मियों में ताख़ीर से।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि ताजीले ज़ोहर से मुतअल्लिक़ रिवायात सर्दियों के बारे में हैं न कि गर्मियों से मुतअल्लक़, लिहाज़ा इन से इस्तदलाल करना दुरुस्त न होगा।

दूसरा जवाब :–

यह है कि गर्मियों में ताजीले ज़ोहर से मुतअल्लक़ जो अहादीस हैं वोह मन्सूख़ हैं (देखिए : तहावी 138/1)

दलील हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (रज़ि.) की यह हदीस है –

قال صلی بنا رسـول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و سلم صَلٰوة الظُّهرِ بِالْهَجِیرِ ثُمَّ قال اِنَّ شدّة الحرّ من فَیْحِ جَهَنَّمَ فابْرِدوْا بالصّلٰوة۔

हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम को सख़्त गर्मी में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई फिर आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया बेशक गर्मी की सख़्ती जहन्नम के जोश से है, लिहाज़ा तुम लोग ज़ोहर की नमाज़ ठण्डा करके (ताख़ीर से) पढ़ा करो।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हो गया कि गर्मियों में ताजीले ज़ोहर का हुक्म मन्सूख़ हो गया।

☆☆☆

(12) असर की नमाज़ को जल्दी पढ़ना मुस्तहब है या ताख़ीर से

मसलके अहनाफ़

ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब है।

दलील :–

عن علی بن شیبان قال قَدِمْنا علی رسول اللّٰہ صلی اللہ علیہ و سلم المدینۃ فکان یؤخر العَصْر ما دامت الشمسُ بیضاء نقیۃً۔

(अबू दाऊद 59/1)

तरजुमा :–

हज़रत अली इब्ने शैबान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग मदीना तय्यिबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए (तो हम ने देखा कि) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े असर को आफ़ताब के सफ़ेद और साफ़ रहने तक मुअख़्ख़र करते हैं।

عن رافع بن خدیج ان رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کان یأمُرُ بتاخیر العصر۔ (مسند احمد ٣/٤٦٣)

फ़ाइदा :–

हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ने का हुक्म फ़रमाते थे।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जल्दी पढ़ना मुस्तहब है।

दलील :–

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 41/1" की इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करते हैं :

عن عائشۃ انہا قالت صلی رسول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم العصرَ و الشّمسُ فی حُجْرَتِہا لم یظہر الفَیْءُ مِنْ حُجْرَتِہا۔

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के (हज़रत आइशा रज़ि. के) हुजरे में असर की नमाज़ पढ़ी, जबकि धूप हुजरे से चढ़ी नहीं थी, यानि फ़र्श पर थी, दीवार पर नहीं चढ़ी थी।

इस से मालूम हुआ कि आप (सल्ल.) असर की नमाज़ को जल्दी पढ़ते थे।

जवाब :–

यह है कि इस हदीस शरीफ़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ना साबित होता है, न कि जल्दी पढ़ना। लिहाज़ा यह हदीस ग़ैर मुक़ल्लिदों के ख़िलाफ़ हमारी दलील

عن ابن ابی مُلیکۃ ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم صلّی العصر ثمّ اَخْرَجَ ما لا یَقْسِمُہٗ یُبادِرُ بِہِ اللّیلُ.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 288/1)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने अबी मुलैका (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई फिर माल निकाल कर उस को तक़सीम करने लगे तो रात जल्दी आ गई।

फ़ाइदा :–

मज़कूरा तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि आप (सल्ल.) असर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ते थे, लिहाज़ा इस में ताख़ीर मुस्तहब होगी।

नोट :

ताख़ीरे असर से मुतअल्लिक़ मज़ीद रिवायात तिर्मिज़ी 42/1, इलाउस् सुनन 36/2, नस्बुर् रायह 1/251 में देखी जा सकती हैं। नीज़ आसारे सहाबा (रज़ि.) को मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 288/1 पर देखा जा सकता है।

☆☆☆

है, न कि उनकी हमारे ख़िलाफ़। क्योंकि यहाँ पर हुजरे से मुराद हज़रत आइशा (रज़ि.) का हुजरा है।

ज़ाहिर है कि इस सूरत में धूप के अन्दर आने का रास्ता सिर्फ़ दरवाज़े से ही हो सकता है और हज़रत आइशा (रज़ि.) के कमरे का दरवाज़ा छोटा था, इस लिए उस में धूप उसी वक़्त अन्दर आ सकती थी जब कि सूरज मग़रिब की तरफ़ काफ़ी नीचे आ चुका हो। जो आप (सल्ल.) के असर की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ने पर दलालत करता है। (माख़ूज़ अज़ दर्से तिर्मिज़ी 409/1)

ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रत अनस (रज़ि.) की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

کان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یُصلّی العَصْرَ و الشّمسُ مُرْتفِعۃٌ حیّۃٌ فَیَذْھَبُ الذّاھِبُ الی العوالی فیاتیھم و الشمس مُرتفِعۃ.

तरजुमा :–

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ाते जब कि सूरज बलन्द होता, चुनांचे कोई जाने वाला अवाली तक जाता (अवाली वोह जगहें कहलाती हैं जो मदीना तय्यिबा से मशरिक़ की जानिब तक़रीबन आठ मील या उस से कुछ फ़ासले पर आबाद हैं) (हाशिया 12, बुख़ारी 123/1) और वोह अहले अवाली के पास पहुँच जाता, हालांकि सूरज बलन्द ही रहता।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि असर की नमाज़ के बाद इतना लम्बा सफ़र जब ही हो सकता है जब कि असर की नमाज़ जल्दी होती हो।

जवाब :–

(1) असर की नमाज़ के बाद इतना लम्बा सफ़र करना ताख़ीरे असर के बावुजूद भी मुमकिन है, ख़ास तौर से गर्मियों में।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 67/2)

(2) इस हदीस शरीफ़ में इस की सराहत नहीं है कि यह सफ़र पैदल होता था या सवारी से मुमकिन है कि अवाली तक का सफ़र सवारी से होता हो। जो ताख़ीरे असर के बावुजूद भी मुमकिन है।

(देखिए : तहावी 1/140)

(3) यह हदीस मुज़्तरब है (जो क़ाबिले इस्तिदलाल नहीं), चुनांचे हज़रत इमाम तहावी (रह.) फ़रमाते हैं :

فقد اضطرب حديث انس هذا ما روى الزُهرىُ منه بخلاف ما روى اسحاق بن عبد الله و عاصم بن عمرو وابو الابيض۔

(तहावी शरीफ़ 140/1)

तहक़ीक़ कि हदीस अनस (रज़ि.) मुज़्तरब है क्योंकि हज़रत इमाम तहावी (रह.) ने जो रिवायत हज़रत अनस (रह.) से नक़ल की है वोह इस रिवायत के ख़िलाफ़ है जिस को इमाम इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह, आसिम बिन अमर और अबुल् अब्यज़ ने इससे नक़ल किया है।

लिहाज़ा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना दुरुस्त न होगा।

यह लोग हज़रत राफ़े बिन ख़दीज की इस हदीस को भी अपना मुस्तदिल समझते हैं।

قال كنّا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثمّ تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثمّ تطبخ فناكل لَحماً نَضيجاً قبْلَ مَغِيْبِ الشَمسِ۔

(اخرجة البخارى مسلم كما فى تحفة الاحوذى ١/ ٤٢٠)

हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज़ पढ़ते फिर ऊँट ज़बह

किया जाता और उस के दस टुकड़े किये जाते फिर उस को पकाया जाता, पस हम सूरज गुरूब होने से पहले ही पके हुए गोश्त को खाते।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि इतना वक़्त असर के बाद उसी वक़्त मिल सकता है जब कि असर में ताजील हो।

जवाब :-

यह हदीस भी ताजीले असर की दलील नहीं बन सकती क्योंकि माहिरीन बावरचियों के लिए यह ताख़ीर असर के बावुजूद भी मुमकिन है, इस लिए कि वोह लोग यह काम जल्दी जल्दी करते होंगे।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 67/2 तहावी शरीफ़ 143/1)

☆☆☆

(13) नमाज़े इशा में ताख़ीर अफ़ज़ल है या ताजील

मसलके अहनाफ़

ताख़ीर अफ़ज़ल है।

दलील :-

عن ابی برزة کان النّبیُ صلی اللّٰہ علیه وسلم یؤخّر الْعِشاءَ

(बुख़ारी शरीफ़ 80/1)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

ताजील यानी जल्दी पढ़ना अफ़ज़ल है।

दलील :-

अल्लाह जाने इन की दलील क्या है।

☆☆☆

तरजुमा :-

हज़रत अबू बरज़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ते थे।

عن ابی هریرة قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیهِ وسلّم لوْ لا انْ اشُقّ علی اُمّتی لَامَرْتُهمْ انْ یُؤخّروُا الْعِشاءَ الی ثُلُثِ اللّیلِ اوْ نصْفهِ۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی هریرة حدیث حسن صحیح۔

(तिर्मिज़ी 42/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक़्क़त का ख़ौफ़ न होता तो मैं उन्हें इशा की नमाज़ को तिहाई रात या आधी रात तक मुअख़्ख़र करने का हुक्म देता।

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं कि यह हदीसे हसन सही है।

عن جابر بن سمرة قال : کان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیه وسلم یؤخر العشاء الآخرة۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 291/1)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ते थे।

(14) आमीन को आहिस्ता कहना मुस्तहब है या ज़ोर से

मसलके अहनाफ़

आहिस्ता कहना अफ़ज़ल है।

दलील :–

اُدْعُوْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۔

(आराफ़ 55)

तरजुमा :–

अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारो। अल्लाह तआला हद से तजावुज़ करने वालों को पसन्द नहीं करते।

फ़ाइदा :–

अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा में दुआ को आहिस्ता करने का हुक्म दिया है, आमीन भी दुआ है। चूंकि इस के माना हैं "या अल्लाह हमारी दुआ कुबूल फ़रमा लीजिए"। इस लिए इस को भी आहिस्ता कहना मुस्तहब होगा।

चुनांचे हज़रत अता (रह.) फ़रमाते हैं कि आमीन दुआ है।

قال عطا آمين دعاء۔

(बुख़ारी शरीफ़ 107/1)

عن علقمة بن وائل عن ابيه "ان النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم و الا الضالين" فقال آمين و خفض بها صوته۔

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

ज़ोर से कहना अफ़ज़ल है।

दलील :–

यह लोग हज़रत वाइल बिन हजर (रज़ि.) की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

"قال سَمِعْتُ النَّبِى صلى الله عليه وسلّم قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِيْنَ" وقال آمين و مدبها صوته۔

(तिर्मिज़ी 57/1)

हज़रत वाइल बिन हजर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को "غير المغضوب عليهم ولا الضّالين" पढ़ते हुए सुना और आप (सल्ल.) ने आमीन को कहा और कहते वक़्त अपनी आवाज़ को खींचा।

जवाब :–

यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन को ज़ोर से कहना लोगों को आमीन के इस्तिहबाब की तालीम देने के लिए था, यानि लोगों को यह बतलाने के लिए था कि नमाज़ में सूरह फ़ातिहा के बाद आमीन का कहना मुस्तहब है इस लिए आप (सल्ल.) ने आमीन को ज़ोर से कहा, ताकि लोगों को इस का पता लग जाए कि सूरह फ़ातिहा के बाद आमीन कही जाती है।

फ़ाइदा :-

इन मज़्कूरा तीनों हदीसों से मालूम हुआ है कि इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब है।

नोट :

ताख़ीरे इशा से मुतअल्लिक़ मज़ीद रिवायात को मुस्लिम शरीफ़ 229/1 अबू दाऊद 60/1 इब्ने माजा 49/ मुस्नदे अहमद 221/1 और इलाउस् सुनन 43/2 पर देखा जा सकता है।

☆☆☆

(तिर्मिज़ी 58/1 बइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ मुसन्दे अहमद मुरत्तबुल् क़ाहिरा 205/3 – सुनने बैहक़ी 57/2)

तरजुमा :–

हज़रत अल्क़मा अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (नमाज़ में) "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" को पढ़ा और आहिस्ता से "आमीन" को कहा।

मालूम हुआ कि आमीन को आहिस्ता कहना मुस्तहब है।

☆☆☆

इस की ताईद अबुल् बशर अद्दौलाबी की किताब "الاسماء والكنى" (ج/١/١٩٧), में वाइए हदीस (हज़रत वाइल बिन हजर रज़ि.) के इस क़ौल से होती है जो मौसूफ़ ने इस हदीस को नक़ल करने के बाद ज़िक्र किया है, चुनांचे मौसूफ़ (हज़रत वाइल बिन हजर) इस हदीस को नक़ल करने के बाद तहरीर फ़रमाते हैं :

ما اراه الا ليعلمنا.

यानी मैं (हज़रत वाइल बिन हजर रज़ि.) समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से आमीन हम लोगों को तालीम देने के लिए कही थी।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 406/2)

☆☆☆

(15) रुकू के वक्त रफ़ए यदैन करना मुस्तहब है या न करना

मसलके अहनाफ़

न करना मुस्तहब है।

दलील :-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عبد اللّه بْنِ مسعودِ الا أُصلّى بِكُمْ صلوٰةَ رسوْلِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال فصلّى فَلَمْ يَرْفَعْ يديْهِ الا مَرّةً.

(अबू दाऊद 109/1 तिर्मिज़ी 59/1 निसाई 158/1 मुसनदे अहमद मुरत्तब 168/3)

तरजुमा :-

हज़रत अल्कमा (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ि.) ने (लोगों से) फ़रमाया कि क्या मैं तुम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ कर न बतलाऊँ?

रावी फ़रमाते हैं कि फिर आप (हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ी तो सिर्फ एक मरतबा (तकबीरे तहरीमा के वक्त) हाथ उठाए।

عن براء بن عازب انّ النّبيَّ صلى اللّه عليه وسلم كان إذا افْتَتَحَ رفع يديْهِ ثمّ لا يرفعُهُما حتّى يَفْرُغَ.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 213/1 सुनने बैहकी 77/2 तहावी शरीफ़ 127/1)

मसलके गैर मुकल्लिदीन

करना मुस्तहब है।

दलील :-

यह लोग बहुत सी रिवायात को इस्तिदलाल में पेश करते हैं, मगर सब से कवी तरीन रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की ही समझी जाती है। (देखिए : अदिल्लए कामिला 27/), रिवायत यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं :

رايتُ رَسُوْلَ اللّه صلى الله عليه وسلم اذا قام فى الصّلوٰةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حتّى تَكُوْنَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ و كانَ يَفْعلُ ذالك حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ و يَفْعَلُ ذالك اذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرّكوْعِ.

(बुख़ारी शरीफ़ 102/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप (सल्ल.) नमाज़ के लिए खड़े हुए तो आप (सल्ल.) ने अपने दोनों हाथ उठाए, यहाँ तक कि वोह आप (सल्ल.) के दोनों मूंढों के मुकाबिल हो गए और हुज़ूर (सल्ल.) यही

तरजुमा :–

हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रफ़ए यदैन करते, यानी तकबीरे तहरीमा के वक़्त और इस के बाद फ़ारिग़ होने तक रफ़ए यदैन नहीं करते थे।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि बाद में रफ़ए यदैन मनसूख़ हो गया था लिहाज़ा अब रफ़ए यदैन न करना ही मुस्तहब होगा।

☆☆☆

अमल करते जब रुकू के लिए तकबीर कहते, और यही अमल करते जब रुकू से सर उठाते।

जवाब :–

यह है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायात इतनी मुतआरिज़ हैं कि उन में से किसी एक को तरजीह देना मुश्किल है।

(दर्से तिर्मिज़ी 39/2)

दूसरा जवाब :–

यह है कि यह हदीस मनसूख़ है, क्योंकि रफ़ए यदैन की तमाम रिवायात इब्तिदा ए इस्लाम पर महमूल हैं, कि बाद में यह हुक्म मन्सूख़ हो गया था, चुनांचे अल्लामा ऐनी (रह.) "उम्दतुल् कारी शर्हे सहीह बुख़ारी 273/" में तहरीर फ़रमाते हैं :

وَ الّذی یحتج به الخصم من الرفع محمول علی انّه کان ابتداء الاسلام ثمّ نسخ۔

यानी रफ़ए यदैन की वोह रिवायत जिस को मुख़ालिफ़ीन दलील में पेश करते हैं कि वोह इब्तिदा ए इस्लाम पर महमुल है बाद में यह हुक्म मनसूख़ हो गया था।

इस की ताईद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) की इस रिवायत से भी होती है :

اِنّ عبد اللّه بن الزبیر رأی رَجُلاً یَرفَعُ یَدَیهِ فی الصّلوة عند الرّکوع فقال لَهُ لا تَفعَل فَاِنّ هذا شئٌ فَعَلَهُ رسُوْلُ اللّٰہِ صلی اللّٰہ علیه وسلم ثمّ تَرَکَهٗ۔

(अत्ताहक़ीक़ इब्ने जौज़ी बहवालाह नस्बुर रायह)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने एक शख़्स को नमाज़ में रुकू और रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ए यदैन करते हुए देखा, तो आप (रज़ि०) ने उस से फ़रमाया कि ऐसा (रफ़ए यदैन) न करो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ए यदैन किया था, फिर तर्क कर दिया।

इस की ताईद उस हदीस शरीफ़ से भी होती है जिस को हज़रत इमाम तहावी (रह.) ने बसनदे सहीह "तहावी शरीफ़ 163/1" में नक़ल किया है :

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابنِ عمرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِی التَّكبِيرةِ الْاُوْلٰی مِنَ الصَّلٰوةِ۔

हज़रत मुजाहिद फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी, तो उन्होंने नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ए यदैन किया।

इस हदीस शरीफ़ को नक़ल करने के बाद हज़रत इमाम तहावी (रह.) लिखते हैं:

यह इब्ने उमर (रज़ि.) हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते हुए देखा, फिर उन्होंने आप (सल्ल.) के बाद रफ़ए यदैन को तर्क कर दिया। ऐसा उसी वक़्त हो सकता है जब कि उन के नज़दीक रफ़ए यदैन का हुक्म मनसूख़ हो गया हो।

मालूम हुआ कि रफ़ए यदैन का हुक्म मनसूख़ हो गया। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

☆☆☆

(16) रुकू पाने वाले की यह पूरी रकअत शुमार होगी या नहीं?

मसलके अहनाफ़

शुमार होगी।

दलील :-

عَنْ أَبِی بَکْرَةَ أَنَّهُ انْتَهٰی اِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه وسلم وَهُوَ رَاکِعٌ فَرَکَعَ قَبْلَ اَنْ یَّصِلَ اِلَی الصَّفِّ فَذَکَرَ ذَالِکَ لِلنَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه وسلم فَقَالَ زَادَکَ اللّٰهُ حِرْصاً وَلَا تَعُدْ.

(बुख़ारी शरीफ़ 108/ बइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ अबू दाऊद 1/ निसाई 100/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू-बकरह (रज़ि.) से रिवायत है कि वोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास (मस्जिद में) पहुँचे तो देखा कि आप (सल्ल.) रुकू में हैं तो उन्होंने (रकअत छूटने के ख़ौफ़ से) सफ़ में पहुँचने से पहले ही रुकू कर लिया। (नमाज़ के बाद) आप (सल्ल.) से इस का तज़किरा किया तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया अल्लाह आप की चाहत को ज़्यादा करे आइन्दा ऐसा न करना।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि रुकू में शरीक होने वाले की यह रकअत पूरी शुमार होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

शुमार नहीं होगी। (फ़तावा ए नज़ीरियह 496/1, फ़तावा ए सनाइयह 53/1)

दलील :-

ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात हदीस शरीफ़ "لا صلوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" कि उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जिस ने सूरहे फ़ातिहा को नहीं पढ़ा, को दलील में पेश करते हैं और इन तमाम रिवायात को भी पेश करते हैं जो उस मानी में हैं।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 164/3)

वजहे इस्तिदलाल यह है कि रुकू में शरीक होने वाले से चूँकि क़याम और क़िरात फ़ौत हो जाती है, लिहाज़ा इस की यह रकअत शुमार न होगी।

जवाब :-

यह है कि रुकू हुक्मन क़याम के मुशाबेह है, पस जो हुक्म मुशब्बह बिही–क़याम का होगा वही मुशब्बह रुकू का भी होगा। देखिए : "फ़त्हुल् क़दीर 420/1", जिसकी दलील हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह हदीस है:-

اِذَا اَدْرَكْتَ الْاِمَامَ رَاكِعاً فَرَكَعْتَ قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَاسَهُ فَقَدْ اَدْرَكْتَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ.

हज़रत अबू बकर (रज़ि.) को रकअत लौटाने का हुक्म नहीं दिया, हालांकि वोह रुकू में शरीक हुए थे।

عن ابي هريرة انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلوةِ فَقَدْ اَدْرك الصَّلوةَ.

(बुख़ारी शरीफ़ 82/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अनहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस शख़्स ने नमाज़ की रकअत (रुकू) को पा लिया, उस ने नमाज़ यानि रकअत को पा लिया।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ में "رَكْعَةً" से मुराद रुकू है और "صَلوةً" से मुराद रकअत है, जैसा कि तरजुमे से ज़ाहिर किया गया है। दलील इस की यह है कि इसी हदीस शरीफ़ को हज़रत इमाम बैहक़ी (रह.) ने अपनी "सुनन 160/2" में इन अल्फ़ाज़ के साथ नक़ल किया है :

عن ابي هريرة انّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً من الصَّلوةِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا قَبْلَ اَنْ يُّقِيْمَ الاِمَامُ صُلْبَهٗ.

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

(अलइनायह अला फ़तहुल क़दीर 420/1)। कि जब तू इमाम को रुकू में पाये और तूने इमाम के रुकू से सर उठाने से पहले रुकू कर लिया तो तूने उस रकअत को पा लिया।

नीज़ हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं :

اِذا رَكَعَ اَحَدُكُم..... قبلَ انْ يَّرْفَعُوْا رُؤُوسَهُمْ يُعْتَدُّ بِها.

(अलमोजमुल कबीर 272/9)। कि जब तुम में से कोई लोगों के सिरों को उठाने से पहले रुकू करले तो उस की यह रकात शुमार होगी।

रहा क़िराअत (सूरते फ़ातिहा) छूटने का मसला तो उस का जवाब यह है कि इमाम की क़िरात मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। जिस की दलील यह हदीस शरीफ़ है :

من كان لَهٗ اِمامٌ فَقِرأَةُ الاِمَامِ لهٗ قِرَأةٌ.

(इब्ने माजा 61/ मसनद अहमद 339/3)। कि जिस के लिए इमाम हो तो इमाम की क़िरात उस के लिए क़िरअत है।

रही आप की पेश कर्दा रिवायत "لا صلوة الخ" तो इस का जवाब यह है कि यह हदीस मुक़्तदी के बारे में नहीं है बल्कि मुन्फ़रिद के बारे में है, आप लोगों के इस के समझने में मुग़ालता हुआ है जिस की दलील हज़रत जाबिर (रज़ि.) की यह हदीस है :

من صلى رَكْعَةً لمْ يقْرأ فِيْها بِاُمّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الاِمَامِ.

अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस शख़्स ने इमाम के अपनी पीठ को सीधा करने से पहले रुकू पा लिया, उस ने नमाज़ को पा लिया यानी उस ने रकअत को पा लिया।

हदीस शरीफ़ के अन्दर मज़कूर लफ़्ज़ "قبل ان يقيم الامام" इस बात की दलील है कि बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत में भी "رکعة" से मुराद रुकू है।

लिहाज़ा इस से मालूम हुआ कि रुकू पाने वाले की यह रकअत शुमार होगी। वल्लाहु तआला आलम।

☆☆☆

(तिर्मिज़ी 71/1)। कि जिस ने कोई रकअत पढ़ी और उस में सूरहे फ़ातिहा को न पढ़ा तो उस की नमाज़ न होगी, मगर यह कि वोह इमाम के पीछे हो।

नीज़ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) फ़रमाते हैं :

مَعْنٰی قَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوٰۃ لِمَنْ لَمْ یَقْرَأْ بِفَاتِحَۃِ الْکِتَابِ اِذَا کَانَ وَحْدَہٗ

(तिर्मिज़ी 71/1)। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल "उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जिस ने सूरहे फ़ातिहा को नहीं पढ़ा" मुन्फ़रिद (अकेले नमाज़ पढ़ने वाले) के बारे में है।

☆☆☆

(17) तरावीह बीस रकअत हैं या आठ?

मसलके अहनाफ़

तरावीह बीस रकात हैं।

दलील :-

عَنِ اِبْنِ عبّاسٍ انّ رَسوْلَ اللّٰهِ صلی اللّٰہ علیہ و سلم کان یُصلّی فی رَمَضانَ عِشریْنَ رَکْعَةً سِوَ الْوِتْرِ۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 163/2, सुनने बैहक़ी 496/2)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में वित्र के अलावा 20 रकअत (तरावीह) पढ़ते थे।

عن السائب بن یزید قال کانُوْا یَقُوْمُوْنَ علیٰ عهدِ عُمَرَ بن الخطاب رضی اللّٰہ عنہ فیْ شَهرِ رَمُضانَ بِعِشْرِیْنَ رَکْعَةً۔

(सुनने बैहक़ी 496/2)

तरजुमा :-

हज़रत साइब बिन यज़ीद (रह.) फ़रमाते हैं कि सहाबा (रज़ि.) हज़रत उमर बिन अल्ख़त्ताब (रज़ि.) के ज़माने में रमज़ान शरीफ़ के महीने में 20 रकअत (तरावीह) पढ़ते थे।

عن ابی الحسناء انّ عَلِیّ بن ابی طالب اَمَرَ رَجُلًا انْ یُّصلّیَ بالنّاسِ خَمْسَ ترویحاتٍ عِشرینَ رَکْعَةً۔

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

तरावीह आठ रकात हैं।

दलील :-

यह हज़रात "बुख़ारी शरीफ़ 154/1" में मज़कूर हज़रत आइशा (रज़ि.) की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं।

ماکان رَسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علیٰ اِحْدیٰ عَشرةَ رَکْعَةً۔

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकअत (तीन वित्रों के साथ) से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।

जवाब :-

यह है कि ग़ैर मुक़ल्लिदों को इस हदीस शरीफ़ के समझने में धोखा हुआ है या फिर अहनाफ़ से मुख़ालफ़त की वजह से अपने ग़लत मौक़ूफ़ पर बज़िद हैं, क्योंकि यह हदीस शरीफ़ तरावीह से मुतअल्लिक़ है ही नहीं, बल्कि यह हदीस शरीफ़ तहज्जुद से मुतअल्लिक़ है।

दलील इस बात की यह है कि हदीस शरीफ़ में रमज़ान और ग़ैर रमज़ान दोनों की क़ैद है और यह बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि ग़ैर रमज़ान में तरावीह की नमाज़ होती

(सुनने बैहक़ी 496/2 कन्ज़ुल् आमाल अला मुस्नदे अहमद 315/3)

तरजुमा :–

हज़रत अबुल् हस्ना (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने एक शख़्स को हुक्म दिया कि वोह लोगों को 5 तरवीहा में बीस रकअ़त पढ़ायें।

عن يحيىٰ بن سعيد انّ عُمَرَ بن الخطابِ اَمَرَ رجُلاً يُصَلّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 162/2)

तरजुमा :–

हज़रत यहया बिन सईद फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक शख़्स को हुक्म दिया कि वोह लोगों को 20 रकअ़तें पढ़ाये।

عن نافع بن عمر قال كان ابن ابى مليكة يصلى بنا فى رمضان عشرين ركعة۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 162/2)

तरजुमा :–

हज़रत नाफ़े बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी मुलैका (रज़ि.) हम को रमज़ान में 20 रकअ़त (तरावीह) पढ़ाते थे।

عن عبد العزيز بن رفيع قال كان اُبَىُّ بن كعب يُصَلّى بِالنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عشرينَ ركعةً و يُوْتِرُ بِثَلاثٍ۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 162/2)

ही नहीं। हाँ तहज्जुद की नमाज़ रमज़ान और ग़ैर रमज़ान दोनों में होती है। लिहाज़ा मालूम हुआ कि यह हदीस शरीफ़ तरावीह से मुतअ़ल्लिक़ नहीं है बल्कि तहज्जुद से मुतअ़ल्लिक़ है।

चुनांचे शारिहे बुख़ारी हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) "फ़तहुल् बारी शरहे सहीह बुख़ारी 27/3" में इस हदीस शरीफ़ से मुतअ़ल्लिक़ तहरीर फ़रमाते हैं।

و ظهر لى ان الحكمة فى عدم الزيادة علىٰ احدىٰ عشرة ان التهجد و الوتر مختص بصلوٰة الليل۔

कि इस हदीस शरीफ़ से मेरी समझ में यह आया है कि ग्यारह रकअ़त पर ज़्यादा न करने की हिकमत यह है कि तहज्जुद और वित्र की नमाज़ सलातुल् लैल यानि रात की नमाज़ के साथ ख़ास हैं। मालूम हुआ कि अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) भी इस हदीस को तहज्जुद पर ही महमूल करते हैं।

ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात हज़रत जाबिर (रज़ि.) की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

قال صلى بنا رسولَ الله صلى الله عليه و سلم فى شهر رمضان ثمان ركعات۔

(اخرجه طبرانى فى الصغير و ابن خزيمة و ابن حبان فى صحيحهما كما فى تحفة الاحوذى ٤٤/٣)

तरजुमा

हज़रत अब्दुल अजीज बिन रफ़ी फ़रमाते हैं कि हज़रत उबै बिन कअ़ब (रज़ि.) मदीना मुनव्वरा में रमज़ान शरीफ़ में 20 रकअ़तें पढ़ाते थे और तीन रकअ़त वित्र।

عن ابی اسحاق عن الحارث انّہٗ کان يَوُم النّـاسَ فـیَ رَمَضـانَ بِـاللّيلِ عشرِينَ رَکْعةً و يُوتِرُ بِثلاثٍ۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 162/2)

हज़रत अबू इस्हाक़ फ़रमाते हैं कि हज़रत हारिस (रज़ि.) लोगों को रमज़ान शरीफ़ की रातों में 20 रकअ़त (तरावीह) और 3 वित्र पढ़ाते थे।

عـن سعيـد بن عبيـد ان علـی بن ربيـعة كـان يُصلّـی بِهِمْ فی رَمَضانَ خَمْسَ تَرويْحاتٍ و يُوتِرُ بِثلاثٍ۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 163/2)

हज़रत सईद बिन उबैद फ़रमाते हैं कि हज़रत अली बिन रबीआ रमज़ान में लोगों को 5 तरवीहा (20 रकअ़त) पढ़ाते थे।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम (रज़ि.) का तरावीह की 20 रकअ़तें पढ़ने पढ़ाने का मामूल था। और बिहम्दिल्लाह आज भी अहले हक़ का उसी पर अमल है।

☆☆☆

हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को रमज़ान में आठ रकात पढ़ाई।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस शरीफ़ काबिले इस्तिदलाल नहीं क्योंकि यह सनद के एतबार से कमज़ोर है।

चुनांचे अल्लामा नीमवी (रह.) इस की सनद के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाते हैं :

وفی اسناده لين۔

(आसारुस् सुनन /391) कि इस की सनद में कमज़ोरी है।

कमज़ोरी की वजह यह है कि इस की सनद में एक रावी ईसा बिन जारियह हैं जिस के बारे में मुहद्दिसीन हज़रात ने कलाम किया है।

चुनांचे हज़रत यहया बिन मुईन (रह.) इस के बारे में फ़रमाते हैं :

عنده مناكير

कि उन के पास मुन्कर हदीसें हैं :

हज़रत इमाम निसाई (रह.) फ़रमाते हैं منكر الحديث वोह मुनकिरुल् हदीस है और उन से यह भी मनकूल है कि वोह मतरूकुल् हदीस है। (देखिए : मीज़ानुल् एतदाल 311-310/3)

इमाम अबू दाऊद भी इन को

मुन्करुल् हदीस गर्दानते हैं। इमाम साजी और ओकैली ने इन का तज़्किरा ज़ईफ़ रावियों में किया है।

नीज़ इब्ने अदी (रह.) फ़रमाते हैं कि इन की अहादीस महफ़ूज़ नहीं।

(देखिए : तहज़ीबुत् तहज़ीब 207/8)

☆☆☆

(18) वित्र की नमाज़ वाजिब है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

वाजिब है।

दलील :–

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم۔

(बुख़ारी 136/1)

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात वित्र पढ़ते थे।

عن عبد اللّٰہ بن بریدۃ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔

(अबू दाऊद शरीफ़ 201/1)

तरजुमा :–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि वित्र हक़ (लाज़िम) है जो शख़्स वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं। वित्र हक़ है जो शख़्स वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं। वित्र हक़ है जो शख़्स वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

वाजिब नहीं है, मगर इस की क़ज़ा है। चुनांचे नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं।

वित्र हक़ अस्त बर मुस्लिम मगर वाजिब नीस्त मअहाज़ा क़ज़ाए ऊ साबित शुदा।

(अरफ़ुल् जादी /33 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /226)

दलील :–

ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात "तिर्मिज़ी शरीफ़ 103/1" की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं।

"عن علی قال الوتر لیس بحتم کصلوتکم المکتوبۃ"۔

हज़रत अली (रज़ि.) ने इरशाद फ़रमाया वित्र तुम्हारी फ़र्ज़ नमाज़ की तरह वाजिब (बमआना फ़र्ज़) नहीं।

जवाब :–

यह है कि इस हदीस शरीफ़ में लफ़्ज़ "حتم" फ़र्ज़ के मआनी में है, लिहाज़ा अब हदीस का मतलब होगा कि वित्र की नमाज़ 5 नमाज़ों की तरह फ़र्ज़ नहीं है(बल्कि वाजिब है) जैसा कि "کصلوتکم المکتوبۃ" के अल्फ़ाज़ इस पर दाल हैं।

हासिल यह हुआ कि हदीसे मज़कूरा

عن علی قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم یا اہل القرآن اوتروا فان اللّٰہ وتر یحب الوتر۔

(अबू दाऊद शरीफ़ 200/1)

हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया ऐ क़ुरआन वालों (मुसलमानों) वित्र पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह तआला भी वित्र (ताक़) हैं वित्र को पसन्द फ़रमाते हैं।

फ़ाइदा :–

इन मज़कूरा तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि वित्र की नमाज़ वाजिब है।

नोट :

वुजूब वित्र से मुतअल्लिक़ मज़ीद रिवायात के लिए देखिए तिर्मिज़ी 103/1, निसाई 190/1, इब्ने माजा /82, मुअत्ता इमाम मालिक /44, मुस्नदे अहमद 337/3, कन्ज़ुल् आमाल अला मुस्नदे अहमद 65/2

☆☆☆

में वुजूब की नफ़ी नहीं की गई है जैसा कि हमारे ग़ैर मुक़ल्लिद भाइयों ने समझा है, बल्कि फ़र्ज़ियत की नफ़ी की गई है।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 179/4 और दर्स तिर्मिज़ी 210/2)

यह लोग हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

ان رسول اللّٰہ اوتر علیٰ بعیرۃ۔

(तोहफ़तुल् अहवज़ी 442/2) कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (अपने) ऊँट पर वित्र की नमाज़ पढ़ी।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि अगर वित्र की नमाज़ वाजिब होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस को सवारी पर न पढ़ते बल्कि नीचे उतर कर ज़मीन पर पढ़ते।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 442/2)

जवाब :–

(1) यह है कि यह रिवायत हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की एक दूसरी रिवायत के ख़िलाफ़ है क्योंकि इस में वज़ाहत है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) वित्र को ज़मीन पर पढ़ते थे और इस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ मन्सूब करते थे। रिवायत मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

عن ابن عمر انہ کان یصلی علیٰ راحلتہ و یوتر بالارض ویزعم ان رسول اللّٰہ

صلى الله عليه و سلم كان يفعل كذالك.

(तहावी शरीफ 284/1)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि वोह अपनी सवारी पर नमाज़ (तहज्जुद नफ़ली नमाज़) पढ़ते थे और वित्र को ज़मीन पर पढ़ते थे और कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे, यानी वित्र को आप (सल्ल.) ज़मीन पर पढ़ते थे। आप की पेश कर्दा रिवायत और इस रिवायत में तआरुज़ हो गया। तत्बीक़ की शक्ल यह है कि आप की मुस्तदिल रिवायत में मज़कूर वित्र से मुराद सलातुल् लैल (तहज्जुद की नमाज़) हो। चुनांचे सलातुल् लैल पर वित्र का इत्लाक़ अहादीस में मशहूर व मारूफ़ है और सवारी पर तहज्जुद की नमाज़ बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है।

(माखूज़ अज़ दर्से तिर्मिज़ी 243/2)

(2) मुम्किन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज़ सवारी पर इस के हुक्म में ताकीद आने से पहले पहले पढ़ते हों और फिर बाद में जब इस के हुक्म में सख़्ती आ गई हो तो इस की रुख़्सत न रही हो।

(देखिए : तहावी 285/1)

(3) आप की मुस्तदिल रिवायत हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है, हालांकि उन का अमल अपनी बयान कर्दा रिवायत के ख़िलाफ़ है, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके और रावी का अमल अपनी बयान कर्दा रिवायत के ख़िलाफ़ रिवायत को बातिल कर देता है, लिहाज़ा आप का मुस्तदिल बातिल है।

(देखिए : अल्किफ़ायह अला फ़त्हुल् क़दीर 159/3)

☆☆☆

(19) वित्र की नमाज़ तीन रकअ़त हैं या नहीं?

मसलके अहनाफ़

वित्र की नमाज़ तीन रकातें हैं।

दलील :–

عن عائشة يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى ثلاثا۔

(बुख़ारी 154/1)

तरजुमा :–

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार रकअ़त नमाज़ पढ़ते थे और ऐसी पढ़ते थे कि तुम उन की ख़ूबी और तूल के बारे में मत पूछो और फिर चार रकअ़त इसी तरह पढ़ते थे कि तुम उन की ख़ूबी और तूल के बारे में मत पूछो और फिर चार रकअ़त इसी तरह पढ़ते थे। इस के बाद तीन रकअ़त (वित्र) पढ़ते थे।

عن على قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث۔

हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन रकात वित्र पढ़ते थे।

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يسلم فى ركعتى الوتر۔

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

वित्र की नमाज़ में तीन रकअ़तें नहीं हैं बल्कि तीन रकअ़त वित्र पढ़ने से मना किया गया है।

चुनांचे नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं :

बहदीस ईतारियह बसेह रकअ़त ज़ईफ़ बल्कि ग़ैर साबित बल्कि अज़ो नही आमदह।

(अर्फ़ुल् जादी /33 बहवालाह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /146)

तरजुमा :–

तीन रकअ़त वित्र की हदीस ज़ईफ़ है बल्कि ग़ैर साबित बल्कि तीन रकअ़त वित्र पढ़ने की मुमानअ़त आई है।

दलील :–

यह हज़रात इन तमाम रिवायात को दलील में पेश करते हैं, जिन में तीन रकअ़त वित्र को मकरूह क़रार दिया गया है, उन में से बाज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बाज़ सहाबा किराम (रज़ि.) से और बाज़ ताबईने इ़ज़ाम (रह.) से मन्क़ूल हैं। मसलन हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की यह हदीस :

"لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب۔"

(तोहफ़तुल् अहवज़ी 452/2)

तरजुमा :–

तीन रकात वित्र न पढ़ो कि तुम

(निसाई 191/1)

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की दो रकअतों पर सलाम नहीं फेरते थे, यानी वित्र की तीनों रकअतों को एक सलाम से पढ़ते थे।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि तीन रकअत वित्र पढ़ना अहादीसे सहीहा से साबित है।

नोट :

वित्र की तीन रकअतों से मुतअल्लिक़ मज़ीद रिवायात को "अबू दाऊद शरीफ़ 201/1, इब्ने माजा /82" और "आसारे सहाबा (रज़ि.)" को "मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 163–162/2" पर भी देखा जा सकता है।

☆☆☆

लोग वित्र की नमाज़ को मग़रिब के मुशाबेह बनाते हो।

जवाब :–

ग़ैर मुक़ल्लिदों ने इन रिवायात को समझने में ग़लती की है, क्योंकि इन रिवायात का यह मतलब नहीं है जो इन लोगों ने समझा है, और हो भी कैसे सकता है जबकि तीन रकअत वित्र पढ़ना आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिवायाते सहीहा कसीरा से साबित है। बल्कि मक़सद इन रिवायात का यह है कि वित्र में नमाज़े मग़रिब की तरह सिर्फ़ तीन रकअत पर इक्तिफ़ा न करो। बल्कि वित्रों से पहले कुछ रकअत नफ़िल (तहज्जुद) की पढ़ लो।

(फ़त्हुल् मुल्हिम 293/2)

☆☆☆

(20) नमाज़ी के सामने से औरत, कुत्ते या गधे के गुज़रने से नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं?

मसलके अहनाफ़

नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी।

दलील :-

عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصّلوة الكلب و الحمار و المرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب و اللّه لقد رايت النبى صلى اللّه عليه و سلم يصلى و انى على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة فتبدولى الحاجة فاكره ان اجلس فاوذى النبى صلى اللّه عليه و سلم فانسل من عند رجليه.

(बुख़ारी शरीफ़ 73/1 बहवाला इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ मुस्लिम शरीफ़ 198/1 अबू दाऊद शरीफ़ 103/1)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन के सामने उन चीज़ों का तज़किरा किया गया जो नमाज़ को क़तअ कर देती हैं। यानी कुत्ता, गधा और औरत का तो हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि तुम लोग हम (औरतों) को गधों और कुत्तों के मुशाबेह क़रार देते हो। ख़ुदा की क़सम मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप (सल्ल.)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। चुनांचे नवाब साहब हैदराबादी फ़रमाते हैं :

و مرور الحمار و الكلب الاسود او المرأة اذا لم تكن سترة.

(कन्ज़ुल् हक़ाइक़ /27 बहवाला मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /272) यानी गधा और काला कुत्ता और औरत के गुज़रने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है।

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 79/1" की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं।

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم اذا صلى الرجل و ليس بين يديه كاخرة الرحل او كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الاسود و المراة و الحمار.

तरजुमा :-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब आदमी नमाज़ पढ़े और उस के सामने कजावे का अगला या पिछला हिस्सा (यानि कोई आड़) न हो तो उस की नमाज़ को काला कुत्ता, औरत और गधा क़तअ कर देते हैं।

नमाज़ पढ़ते और मैं चारपाई पर आप (सल्ल.) और क़िबला के दरमियान लेटी रहती, फिर मुझे कोई ज़रूरत पेश आती तो मैं इस बात को पसन्द न करती कि मैं आप (सल्ल.) के सामने बैठ कर आप (सल्ल.) को तकलीफ़ दूं। तो मैं आप (सल्ल.) की चारपाई के पाइंती से खिसक कर निकल जाती।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि अगर औरत नमाज़ी के सामने से गुज़र जाए तो उस से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

عن الفضل ابن عباس قال اتانا رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و نحن فی بادیة لنا و معه عباس فصلی فی صحراء لیس بین یدیه سترة و حماریة لنا و کلبة تعبثان بین یدیه فما بالا ذالک.

(अबू दाऊद 104/1 बइख़्तिलाफ़े तिर्मिज़ी 79/1, इब्ने माजा /67, मस्नदे अहमद 219/1)

तरजुमा :–

हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जबकि हम अपने जंगल में थे और आप (सल्ल.) के साथ हज़रत अब्बास (रज़ि.) भी थे, फिर आप (सल्ल.) ने जंगल में नमाज़ पढ़ी और आप

जवाब :–

यह है कि यह हदीस हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की इस हदीस शरीफ़ से मन्सूख़ है।

عن ابن عمر قال لا یقطع الصلوة شئی مما یمر بین یدی المصلی.

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाली कोई भी चीज़ नमाज़ को नहीं तोड़ती।

(मुअत्ता इमाम मालिक /55)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह हदीस ग़ैर मुक़ल्लिदीन की पेश करदा रिवायत के मन्सूख़ होने पर दलालत करती है। क्योंकि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि०) का यह क़ौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का है जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना।

(देखिए : तहावी शरीफ़ 302/1)

लिहाजा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना दुरुस्त नहीं।

दूसरा जवाब :–

इस हदीस का यह है, क़तए सलात से मुराद फ़सादे सलात नहीं बल्कि इस से मुराद قطع الوصلة بین المصلی و ربّه है। यानी ख़ुशूअ़ का ख़त्म हो जाना। मतलब यह हुआ कि उन चीज़ों के नमाज़ी के सामने से गुज़रने की वजह से नमाज़ का ख़ुशू

(सल्ल.) के सामने सुतरह न था, हमारी गधी और कुतिया आप (सल्ल.) के सामने खेलती थी, आप (सल्ल.) ने उन की कोई परवाह न की।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि गधे और कुत्ते के नमाज़ी के सामने से गुज़रने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

ख़त्म हो जाता है, नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

चुनांचे अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) "फ़तहुल् बारी 589/1" में तहरीर फ़रमाते हैं :

بان المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلوة.

यानी इस से मुराद ख़ुशू का कम हो जाना है, नमाज़ का ख़त्म हो जाना मुराद नहीं है।

☆☆☆

عن ابی سعید قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم لا یقطع الصلوۃ شئی و ادرؤا ما استطتم فانما ھو الشیطان.

(अबू दाऊद 104/1 मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 250/1)

तरजुमा :–

हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, फिर भी जहाँ तक हो सके उसे दफ़ा करो, क्योंकि सामने से गुज़रने वाली चीज़ शैतान है।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि किसी भी चीज़ के सामने से गुज़रने की वजह से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, चाहे औरत हो, गधा हो, या कुत्ता।

☆☆☆

(21) फजर की सुन्नतों को नमाज़े फजर के बाद तुलूए आफताब से पहले पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

जाइज़ नहीं है।

दलील :–

عن ابن عباس ان النّبى صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلوة بعد الصبح حتّى تشرق الشمس و بعد العصر حتى تغرب۔

(बुख़ारी शरीफ 82/1 बाइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ अबू दाऊद 181/1, तिर्मिज़ी 45/1, निसाई 96/1, बैहकी 452/3)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े फजर के बाद तुलूए आफताब तक और नमाज़े असर के बाद गुरूबे आफताब तक नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है।

عن ابى سعيد الخدرى يقول قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لا صلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس و لا صلوة بعد صلوة الفجر حتى تطلع الشمس۔

(मुस्लिम 275/1)

तरजुमा :–

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.)फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह

मसलके गैर मुकल्लिदीन

जाइज़ है।

(फतावाए नज़ीरियह 523/1)

दलील :–

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 96/1" की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं –

عن محمد بن ابراهيم عن جده قيس قال خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فاقيمت الصلوة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبى صلى الله عليه و سلم فوجدنى اصلى فقال مهلاً يا قيس اصلاتان معا؟ قلت يا رسول اللّه انى لم اكن ركعت ركعتى الفجر قال فلا اذا۔

हज़रत मुहम्मद बिन इब्राहीम अपने दादा कैस (रज़ि.) से रिवायत नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल.) (नमाज़ पढ़ाने के लिए) निकले, चुनांचे नमाज़ खड़ी की गई तो मैं (कैस रज़ि.) ने आप के साथ नमाज़े फजर पढ़ी, फिर जब आप (सल्ल.) नमाज़े फजर से फ़ारिग़ हुए तो आप (सल्ल.) ने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया रुको ऐ कैस क्या दो फ़र्ज़ नमाज़ एक साथ पढ़ोगे?

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि असर की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ (जाइज़) नहीं, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए और नमाज़े फ़जर के बाद कोई नमाज़ (जाइज़) नहीं, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए।

फ़ाइदा :–

दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि नमाज़े फ़जर के बाद फ़जर की सुन्नतों को तुलूए शम्स से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं है। (वल्लाहु आलम)

☆☆☆

मैंने कहा या रसूलल्लाह (सल्ल.) मैं ने फ़जर की दो रकअ़त (सुन्नत) नहीं पढ़ी थी। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तो फिर कोई हर्ज नहीं।

जवाब :–

(1) यह रिवायत मम्नूअ़ वाली रिवायात से मन्सूख़ है क्योंकि मुमानअत वाली रिवायात बाद की हैं और यह रिवायत पहले की है। जिस की तफ़सील यह है कि आप की पेश करदा यह रिवायत नमाज़े फ़जर के बाद तुलूए शम्स से पहले सुन्नतों के पढ़ने की इबाहत को साबित करती है और अहनाफ़ की पेश करदा रिवायात मुमानिअत को साबित करती हैं और उसूल यह है कि जब दलीले इबाहत और दलीले मम्नूअ़ में टकराओ हो जाए तो दलीले मम्नूअ़ को मुअख़्ख़र माना जाता है।

चुनांचे अल्लामा ऐनी (रह.) "उमदतुल् क़ारी शरहे सहीहुल् बुख़ारी 78/5" में तहरीर फ़रमाते हैं :

"ان المبيح و الحاظر اذا تعارضا جعل الحاظر متاخراً"

यानी जब दलीले इबाहत और दलीले मम्नूअ़ बाहम मुतआरिज़ हो जाती हैं तो दलीले मम्नूअ़ को मुअख़्ख़र माना जाता है।

जब मुमानअत वाली रिवायात का मुअख़्ख़र होना साबित हो गया तो मालूम हुआ कि आप की पेश करदा रिवायत मन्सूख़ है, क्योंकि क़ाएदा है कि मुअख़्ख़र मुक़द्दम के लिए नासिख़ होती है।

(देखिए : मक़ालातुल् फ़िक्र /46)

जवाब :–

(2) आप की मुस्तदिल रिवायत मुन्कते है, चुनांचे हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस के मुतअ़ल्लिक़ फरमाते हैं :

"هذا الحديث ليس بمتصل".

(तिर्मिज़ी 96/1)

यानी इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं।

जब बात ऐसी है तो यह हदीस इन रिवायात सहीहा के मुक़ाबले में क़ाबिले इस्तिदलाल नहीं हो सकती जो मुमानअत पर दलालत करती हैं।

जवाब :–

(3) आप की मुस्तदिल रिवायत के मुक़ाबले में अहनाफ़ की मुस्तदिल रिवायात राजेह क़रार दी जाएंगी, क्योंकि ज़ाबता है कि जब दलीले इबाहत और दलीले हुरमत के अन्दर तआरुज़ हो जाता है, तो दलीले हुरमत को तरजीह होती है।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 99/4)

जवाब :–

(4) हमारे नज़दीक आप की मुस्तदिल रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ "فـــلا إذاً" (जो आप की दलील है) "فلا تصلی اذاً" (कि इस वक़्त नमाज़ न पढ़ो) के मानी में है। यानी "فلا اذاً" इजाज़त के वास्ते नहीं बल्कि इन्कार के लिए है।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 93/4)

और "فـــلا إذاً" का इस्तेमाल इन्कार के मानी में होता है। चुनांचे देखिए - बुख़ारी शरीफ़ 237/1 की यह हदीस :

ان صفية بن حيى زوج النبى صلى الله عليه و سلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال احابستنا هى؟ قالوا انها قد افاضت، قال فلا اذن.

तरजुमा :–

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत सफ़िया

बिन्ते हुई (रज़ि.) को हैज़ आ गया; (हज के मौक़े पर) इस का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया कि क्या वोह हम को रोके रखेगी?

सहाबा किराम (रज़ि.) ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) उस ने तवाफ़े इफ़ाज़ा (तवाफ़े ज़ियारत) कर लिया है। तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया तो फिर वोह हम को नहीं रोक सकती।

☆☆☆

(23) वित्र की तीन रकातें एक सलाम से हैं या दो सलामों से?

मसलके अहनाफ़

तीनों रकअ़तें एक सलाम से हैं।

दलील :–

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر.

(निसाई 191/1, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 91/2)

तरजुमा :–

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की दो रकअ़तों पर सलाम नहीं फेरते थे यानी तीनों रकअ़तों को एक सलाम से पढ़ते थे।

عن عمر بن الخطاب انه اوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 90/2)

तरजुमा :–

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) तीन रकअ़त वित्र पढ़ते थे और उन के दरमियान सलाम के ज़रीए फ़सल नहीं फ़रमाते थे यानी तीनों रकअ़तों को एक सलाम से पढ़ते थे।

عن سعيد بن مسيب قال لا يسلم فى الركعتين من الوتر.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 90/2)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

दो सलामों से है।

(देखिए : फ़तावाए सनाइयह 528/1)

दलील :–

यह लोग इस्तिदलाल में मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत को पेश करते हैं –

ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلوة اليل فقال صلاة اليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.

(तोहफ़तुल् अहवज़ी 456/2)

तरजुमा :–

एक शख़्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलातुल् लैल के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि सलातुल् लैल दो–दो रकअ़त हैं। जब तुम में से किसी को सुबह की नमाज़ का ख़ौफ़ हो तो एक रकअ़त पढ़ कर पहली पढ़ी हुई नमाज़ को ताक़ बना ले।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि हदीस शरीफ़ में आख़री दो रकअ़तों के बाद एक रकअ़त पढ़ने का तज़किरा है। जिस का मतलब यह है कि वित्र की पहली दो रकअ़तों के सलाम के

तरजुमा :-

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रज़ि.) से रिवायत है कि वोह वित्र की दो रकअतों पर सलाम नहीं फेरते थे।

عن الحسن قال اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فى آخرهن.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 90/2)

तरजुमा :-

हज़रत हसन (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि वित्र की 3 रकअतें हैं और तीनों एक सलाम से हैं।

☆☆☆

बाद एक रकअत और पढ़े। पस मालूम हुआ कि वित्र की तीन रकअतें दो सलामों से हैं।

जवाब :-

यह है कि हदीस शरीफ़ का जो मतलब ग़ैर मुक़ल्लिदीन ने समझा है वोह सही नहीं बल्कि सही यह है कि रात की नमाज़ को दो-दो रकात करके पढ़ा जाए और आख़री दो रकअतों में बग़ैर सलाम फेरे एक रकअत का इज़ाफ़ा करके उसे ताक़ बना दिया जाए लिहाज़ा अब आख़री दो रकअतें और यह एक रकअत तीनों मिल कर वित्र की तीन रकअत बग़ैर फ़सल के हुई।

यह लोग हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة.

(मुस्नद अहमद 300/4) कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र और शोफ़आ के दरमियान सलाम के ज़रीए फ़सल फ़रमाते थे।

जवाब :-

यहाँ फ़सल बिस्सलाम से मुराद वित्र की तीन रकअतों के दरमियान फ़सल नहीं है, बल्कि सलातुल् लैल की आख़री दो रकअतों और वित्र की तीन रकअतों के दरमियान फ़सल मुराद है।

(देखिए : अलमुफ़्हिम 312/2)

☆☆☆

(24) तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है या कन्धों तक?

मसलके अहनाफ़

कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :–

عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا اكبر رفع يديه حتى يحاذى بهما اذنيه۔

(मुस्लिम शरीफ़ 168/1, निसाई 102/1, इब्ने माजा /62, सहीह इब्ने हब्बान 199/3, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 211/1, सुनने बैहक़ी 25/2)

तरजुमा :–

हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाते थे।

عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع ابهاميه فى الصلوة الى شحمة اذنه۔

(अबू दाऊद 106/1, मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 211/1)

तरजुमा :–

हज़रत अब्दुल् जब्बार बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

कन्धों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :–

यह लोग इन रिवायात को इस्तिदलाल में पेश करते हैं जिन में कन्धों तक हाथ उठाने का तज़किरा है, मसलन हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह रिवायत :

"رأيت النبى صلى الله عليه و سلم افتتح التكبير فى الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه"

(बुख़ारी 102/1)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में तकबीर शुरू करते हुए देखा तो आप ने तकबीरे तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथ कन्धों तक उठाए।

जवाब :–

यह है कि यह हदीस और इस मआनी की तमाम रिवायात उस वक्त पर महमूल हैं जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ

नकल करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में अपने दोनों अँगूठों को कानों की लौ तक उठाते हुए देखा है।

عن براء بن عازب قال كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا كبر رفع يديه حتى نرى ابهاميه قريبا من اذنيه.

(मुस्नद अहमद 303/4, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 211/1)

तरजुमा :-

हज़रत बराअ् बिन आज़िब (रज़ि.) फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को इतना उठाते कि हम आप (सल्ल.) के अँगूठों को कानों के करीब देखते।

मालूम हुआ कि तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफिक है।

☆☆☆

सर्दी की वजह से कपड़े में होते थे।

(देखिए : फत्हुल् मुल्हिम 11/2)

इस की दलील यह हदीस है :

"عن وائل بن حجر قال اتيت النبى صلى الله عليه و سلم فرأيته يرفع يديه حذاء اذنيه اذا كبر....قال ثم اتيته من العام المقبل و عليهم الاكسية و البرانس فكانوا يرفعون ايديهم فيها و اشار شريك الى صدره.

(तहावी शरीफ 144/1)

तरजुमा :-

हज़रत वाइल बिन हजर (रज़ि.) फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैं ने आप को तकबीर (तहरीमा) के वक्त अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाते हुए देखा.......(हज़रत वाइल रज़ि. फरमाते हैं कि) फिर मैं आइन्दा साल आप (सल्ल.) की खिदमत में हाज़िर हुआ और सहाबा किराम (रज़ि.) ने कम्बल और बरानिस (बरानिस हर ऐसा कपड़ा है जिस का सर उस से जुड़ा हुआ हो चाहे वोह कोट हो या जुब्बा या और कोई कपड़ा। देखिए : अल्निहायह फी ग़रीबिल् हदीस वल्असर 122/1) पहन रखे थे, वोह लोग उन्हीं के अन्दर (तकबीरे तहरीमा के वक्त) अपने हाथ उठा रहे थे, शरीक ने सीने की तरफ इशारह किया यानी वोह लोग सीने तक हाथों को उठा रहे थे। इस हदीस शरीफ को ज़िक्र करने के बाद हज़रत इमाम तहावी (रह.) तहरीर

(24) तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है या कन्धों तक?

मसलके अहनाफ़

कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :-

عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما اذنيه۔

(मुस्लिम शरीफ़ 168/1, निसाई 102/1, इब्ने माजा /62, सहीह इब्ने हुब्बान 199/3, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 211/1, सुनने बैहकी 25/2)

तरजुमा :-

हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाते थे।

عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع ابهاميه فى الصلوة الى شحمة اذنه۔

(अबू दाऊद 106/1, मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 211/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल् जब्बार बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

कन्धों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

दलील :-

यह लोग इन रिवायात को इस्तिदलाल में पेश करते हैं जिन में कन्धों तक हाथ उठाने का तज़्किरा है, मसलन हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह रिवायत :

"رايت النبى صلى الله عليه و سلم افتتح التكبير فى الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه"۔

(बुख़ारी 102/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में तकबीर शुरू करते हुए देखा तो आप ने तकबीरे तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथ कन्धों तक उठाए।

जवाब :-

यह है कि यह हदीस और इस मआनी की तमाम रिवायात उस वक़्त पर महमूल हैं जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ

नकल करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में अपने दोनों अँगूठों को कानों की लौ तक उठाते हुए देखा है।

عن براء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا كبر رفع يديه حتى نرى ابهاميه قريبا من اذنيه۔

(मस्नद अहमद 303/4, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 211/1)

तरजुमा :-

हज़रत बराअ् बिन आज़िब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरे तहरीमा कहते थे तो अपने दोनों हाथों को इतना उठाते कि हम आप (सल्ल.) के अँगूठों को कानों के करीब देखते।

मालूम हुआ कि तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथों को कानों तक उठाना सुन्नत के मुवाफ़िक है।

☆☆☆

सर्दी की वजह से कपड़े में होते थे।

(देखिए : फत्हुल् मुल्हिम 11/2)

इस की दलील यह हदीस है :

عن وائل بن حجر قال اتيت النبي صلى الله عليه و سلم فرأيته يرفع يديه حذاء اذنيه اذا كبر.....قال ثم اتيته من العام المقبل و عليهم الاكسية و البرانس فكانوا يرفعون ايديهم فيها و اشار شريك الى صدره۔

(तहावी शरीफ 144/1)

तरजुमा :-

हज़रत वाइल बिन हुजर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैं ने आप को तकबीर (तहरीमा) के वक्त अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाते हुए देखा.......(हज़रत वाइल रज़ि. फ़रमाते हैं कि) फिर मैं आइन्दा साल आप (सल्ल.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सहाबा किराम (रज़ि.) ने कम्बल और बरानिस (बरानिस हर ऐसा कपड़ा है जिस का सर उस से जुड़ा हुआ हो चाहे वोह कोट हो या जुब्बा या और कोई कपड़ा। देखिए : अल्निहायह फी ग़रीबिल् हदीस वल्असर 122/1) पहन रखे थे, वोह लोग उन्हीं के अन्दर (तकबीरे तहरीमा के वक्त) अपने हाथ उठा रहे थे, शरीक ने सीने की तरफ इशारह किया यानी वोह लोग सीने तक हाथों को उठा रहे थे। इस हदीस शरीफ को ज़िक्र करने के बाद हज़रत इमाम तहावी (रह.) तहरीर

(25) नमाज़ में हाथों को नाफ़ के नीचे बांधना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है या सीने पर बांधना?

मसलके अहनाफ़

नाफ़ के नीचे बांधना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है।

दलील :-

عن ابی جحیفة ان علیا رضی اللّٰہ عنه قال السنة وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرة.

(ابو داؤد ۱ /۲۰۱ فی باب وضع الیمنیٰ علی الیسریٰ فی الصلاة رقم الحدیث/۷٥٦، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان)

तरजुमा :-

हज़रत जुहैफ़ा से रिवायत है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़रमाया कि नमाज़ में हथेली को हथेली पर नाफ़ के नीचे रखना सुन्नत है।

नोट :

जब सहाबी (रज़ि.) किसी चीज़ पर सुन्नत का इतलाक़ करे तो उस से मुराद सुन्नते रसूल (सल्ल.) होती है (देखिए : उमदतुल् क़ारी 279/5)। लिहाज़ा इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि नाफ़ के नीचे हाथों का बांधना सुन्नते रसूल (सल्ल.) है।

عَن علقمة بن وائِل بن حجر عن اَبِیهِ رَضی اللّٰہ قَالَ رَاَیْتُ النَّبیَّ صلی اللّٰهعلیه و سلم وَضعَ یَمِیْنَهٗ عَلیٰ

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

सीने पर बांधना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है।

(फ़तावाए सनाइयह 445/1)

दलील :-

यह लोग चन्द रिवायतों को दलील में पेश करते हैं। मसलन हज़रत वाइल बिन हजर (रज़ि.) की यह हदीस :

"قال صلیت مع النبی صلی اللّٰہ علیه و سلم فوضع یَدَهُ الْیُمْنٰی عَلٰی یَدِهٖ الْیُسْرٰی عَلٰی صَدْرِهٖ".

(اخرجه ابن خزیمة کما فی تحفة الاحوذی ۷۹/۲)

हज़रत वाइल बिन हजर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी तो मैंने देखा कि आप (सल्ल.) ने अपने दायें हाथ को अपने बायें हाथ पर सीने के ऊपर रखा।

जवाब :-

यह है कि यही हदीस "मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा" में भी है मगर इस में "تحت السرة" के बजाए "علی صدرة" है यानी इस में हाथों को सीने पर रखने के बजाए नाफ़ के नीचे रखने का तज़किरा है, बावुजूदेके हदीस

شِمَالِهٖ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ۔ قَالَ الشَّيْخُ قُطْلُوْبُغَا إِنَّ هٰذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ۔

(इल्लाउस्सुनन 170/2)

तरजुमा :–

हज़रत अल्क़मा इब्ने वाइल अपने वालिद साहब से रिवायत नक़ल करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप (सल्ल.) ने नमाज़ में अपने दायें हाथ को बायें हाथ पर नाफ़ के नीचे रख रखा था।

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَضَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِيْنِهٖ عَلٰى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهٖ وَ يَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 243/1)

तरजुमा :–

हज़रत हज्जाज बिन हस्सान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने अबू मिजलज़ से सुना या पूछा कि मैं (नमाज़ में) हाथों को कैसे रखूँ तो अबू मिजलज़ ने फ़रमाया कि अपने दायें हाथ की हथेली के बातिन को बायें हाथ की हथेली के ज़ाहिर पर रख कर नाफ़ के नीचे रखो।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि नमाज़ में हाथों को नाफ़ के नीचे रखना सुन्नत के मुवाफ़िक़ है।

☆☆☆

शरीफ़ एक ही है (देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 437/2)। नीज़ इब्ने ख़ुज़ैमा में इस रिवायत की सनद में एक रावी मुअम्मिल बिन इस्माईल आए हैं जिसके मुतअल्लिक़ मुहद्दिसीने किराम का कलाम है।

चुनांचे इन के मुतअल्लिक़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं कि "مؤمل منكر الحديث" यानी मुअम्मिल मुन्किरुल् हदीस है।

इमाम अबू हातिम और इमाम दारे क़ुत्नी ने मुअम्मिल बिन इस्माईल को कसीरुल् ख़ता यानी बहुत ज़्यादा ग़लती करने वाला क़रार दिया है।

وقال ابو حاتم كثير الخطاء قال الدار قطنى كثير الخطاء۔

(तहज़ीबुत् तहज़ीब 381–380/10)

यानी इमाम अबू हातिम (रह.) और इमाम दारे क़ुत्नी ने फ़रमाया कि (मुअम्मिल) कसरत से ग़लती करते हैं।

नीज़ इमाम अबू ज़रआ (रह.) फ़रमाते हैं :

"في حديثه خطاء كثير"

यानी इसकी हदीस में बहुत ग़लतियाँ हैं।

(देखिए : "आसारुस् सुनन /140")

इसी वजह से अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, चुनांचे मौसूफ़ "फ़त्हुल्

बारी शर्हे सही अल्बुख़ारी 206/9" में फ़रमाते हैं :

"كذا لك مؤمل ابن اسماعيل فى حديثه عن الثورى ضعف".

यानी इसी तरह से मुअम्मिल इब्ने इस्माईल अपनी हदीस को सौरी से नक़ल करने में ज़ईफ़ हैं।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने दावा किया है कि मुअम्मिल इब्ने इस्माईल के अलावा अला सदरिही (सीने पर हाथ रखने) के अल्फ़ाज़ किसी ने नहीं कहे।
(देखिए : "मआरिफ़ुस् सुनन 438/2")

लिहाज़ा इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करना दुरुस्त नहीं।

दूसरी हदीस शरीफ़ जिस को ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात इस्तिदलाल में पेश करते हैं, यह है :

عن قبيصة بن هلب عن ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يَنْصَرِفُ عن يَمينِهِ و عن يَسارِهِ و رأيتُهُ يَضَعُ هٰذِهِ عَلى صَدْرِهِ.

(مسند احمد كما فى تحفة الاحوذى ٨٠/٢)

हज़रत क़बीसा के वालिद साहब फ़रमाते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायें-बायें फिरते हुए और अपने हाथ को सीने पर रखते हुए देखा।

जवाब :-

इस हदीस शरीफ़ के अन्दर "على صدره" (सीने पर रखने) की ज़्यादती ग़ैर महफ़ूज़ है। देखिए : "आसारुस् सुनन /140" इस के अन्दर कातिब से तसहीफ़ (ग़लती) हुई है। सही "هٰذِهِ على هٰذِهِ" है, यानी हाथ को हाथ पर रखते हुए देखा, न कि सीने पर।

चुनांचे शैख़ ज़हीर अहसन (रह.) शौक़े नैमवी अपनी किताब "التعليق الحسن على آثار السنن ١٤٥" में तहरीर फ़रमाते हैं :

मेरे दिल में यह बात आई है कि यह "على صدره" कातिब की जानिब से तसहीफ़ (ग़लती) है और सही "يضع هذه على هذه" है।

तीसरी हदीस जिस को यह लोग दलील में पेश करते हैं हज़रत ताऊस की यह मुरसल रिवायत है।

كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم يضعُ يدهُ اليُمْنٰى على يدِهِ اليُسرىٰ ثُمَّ يَشُدُّ بِهِما عَلٰى صَدرِهِ و هُوَ فِى الصّلاةِ۔

(رواه ابو داؤد كما فى تحفة الاحوذى ٨١/٢)

हज़रत ताऊस फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दायें हाथ को बायें हाथ पर रखते फिर उस को सीने पर बाँध लेते थे और आप (सल्ल.) नमाज़ में होते।

जवाब :–

यह हदीस शरीफ़ भी क़ाबिले इस्तिदलाल नहीं क्योंकि यह रिवायत मुरसल है और मुरसल रिवायत इन लोगों (ग़ैर मुक़ल्लिदों) के यहाँ क़ाबिले हुज्जत नहीं, फिर इस रिवायत को दलील में पेश करना कैसे दुरुस्त होगा।

दूसरा जवाब :–

यह है कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है "अस्नादे ज़ईफ़" आसारुस्-सुनन 145 क्योंकि इस की सनद में एक रावी सुलैमान बिन मूसा अल–उमवी हैं जिस के मुतअ़ल्लिक़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं :

"عنده مناكير" उनके पास मुन्कर हदीसें हैं।

इमाम निसाई (रह.) फ़रमाते हैं :

"و ليس بالقوى فى الحديث" कि वोह हदीस में क़वी नहीं।

(ديكهئے: تهذيب التهذيب ٢٢٦/٤-٢٢٧، و كذا فى ميزان الاعتدال ٢٢٥/٢)

अल्लामा नीमवी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस बाब में और भी दूसरी रिवायात हैं जो तमाम ज़ईफ़ हैं।

(देखिए : "आसारुस् सुनन /145")

(26) कलिमाते इक़ामत को दो-दो मरतबा कहना अफ़ज़ल है या एक-एक मरतबा?

मसलके अहनाफ़

दो-दो मरतबा कहना अफ़ज़ल है।

दलील :-

عن عبد اللّٰه بن زيد قال كان اذان رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم شفعا شفعا فى الاذان و الاقامة.

(तिर्मिज़ी शरीफ़ 48/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान व इक़ामत शुफ़अन-शुफ़अन यानी दोहरी-दोहरी थी।

عن عبد الرحمٰن بن ابى ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم ان عبد اللّٰه بن زيد الانصارى جاء الى النبى صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله رأيت فى المنام رجلاً قام على جذم حائط فاذن مثنى و اقام مثنى.

(सुनने बैहिक़ी 420/1)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फ़रमाते हैं कि हम से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

एक-एक मरतबा कहना अफ़ज़ल है।

(देखिए : "तोहफ़तुल अहवज़ी 498/1")

दलील :-

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 48/1" की इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करते हैं।

"عن انس بن مالك قال أُمِرَ بِلالٌ اَنْ يُشَفِّعَ الاذان و يُوْتِرُ الإقامَةَ".

तरजुमा :-

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) को यह हुक्म दिया गया कि वोह कलिमाते अज़ान को दो-दो मरतबा और कलिमाते इक़ामत को वित्रन कहे यानी कलिमाते इक़ामत के एक-एक मरतबा कहे।

जवाब :-

यह है कि "يوتر الاقامة" का यह मतलब नहीं है, जो इन ग़ैर मुक़ल्लिदों ने समझा है बल्कि मतलब इसका यह है कि कलिमाते इक़ामत को कलिमाते अज़ान के मुक़ाबले में जल्दी-जल्दी एक साँस में कहा जाए, न कि एक-एक मरतबा।

असहाब ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने आप (सल्ल.) के पास आकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मैं ने ख़्वाब में एक शख़्स को देखा कि वोह एक दीवार की जड़ में खड़ा हुआ है फिर उस ने अज़ान व इक़ामत (कलिमाते अज़ान व इक़ामत) को दो-दो मरतबा कहा।

عن عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ قال کان عبد اللّٰہ بن زید الانصاری مؤذن النبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم یشفع الاذن و الاقامۃ.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 187/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) अज़ान व इक़ामत (कलिमाते अज़ान व इक़ामत) को दो-दो मरतबा कहा करते थे।

عن ابراھیم قال ان بلالاً کان یثنی الاذان و الاقامۃ.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 187/1)

हज़रत इब्राहीम (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत बिलाल (रह.) (कलिमात) अज़ान व इक़ामत को दो-दो मरतबा कहते हैं।

(देखिए : "फ़तहुल् मुल्हिम 4/2")

दूसरा जवाब :-

इस हदीस का यह है कि यह हदीस मुन्कर है। चुनांचे शैख़ अबू ज़रआ इस के बारे में फ़रमाते हैं :

"ھذا حدیث منکرٌ".

(किताबुल् इलल 194/1 लिइब्ने अबी हातिम बहवालह मआरिफ़ुस् सुनन 184/2) यानी यह हदीस मुन्कर है।

तीसरा जवाब :-

तीसरा जवाब यह है कि यह हदीस शरीफ़ मन्सूख़ है क्योंकि इफ़रादे इक़ामत (इक़ामत के अल्फ़ाज़ को एक-एक मरतबा कहने) का हुक्म इब्तिदा में था, बाद में यह हुक्म मन्सूख़ हो गया।

(دیکھئے : "فتح الملہم ۲/ ٤" اور "التعلیق الحسن علی آثار السنن ۱۰۹/")

जिसकी दलील "तहावी शरीफ़ 101/1" की यह हदीस शरीफ़ है।

"قد روی عن بلال انہ کان بعد رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم یؤذن مثنیٰ مثنیٰ و یقیم مثنیٰ مثنیٰ".

हज़रत बिलाल (रज़ि.) से मरवी है कि वोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद (कलिमात) अज़ान व इक़ामत को दो-दो मरतबा कहा करते थे।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि कलिमाते इक़ामत भी कलिमाते अज़ान की तरह दो–दो मरतबा हैं।

☆☆☆

चौथा जवाब :–

चौथा जवाब इफ़रादे इक़ामत का हुक्म बाज़ अहवाल में इख़्तिसार के पेशे नज़र तालीमन लिल्‌जवाज़ था।

(देखिए : "फ़त्हुल् मुल्हिम 4/2")

☆☆☆

(27) क्या जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना दुरुस्त है?

मसलके अहनाफ़

ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं।

दलील :-

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلىّ الجمعة حين تميل الشّمس.

(बुख़ारी शरीफ़ 123/1, अबू दाऊद 155/1, तिर्मिज़ी 112/1, मस्नद अहमद 37/6, सुनने बैहक़ी 190/3)

तरजुमा :-

हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता यानी बाद अज़-ज़वाल।

عن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه و سلم الجمعة اذا زالت الشمس.

(मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 445/1)

तरजुमा :-

हज़रत सल्मा अपने वालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि हम लोग जुमे की नमाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है।

(بدور الاهله / ٧١، بحواله مسائل غير مقلدين)

इस बारे में जो रिवायात हैं उन के बारे में ग़ैर मुक़ल्लिदों ही एक बड़े आलिम शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस बारे में कोई भी हदीस सही सरीह नहीं।

चुनांचे मौसूफ़ "तोहफ़तुल अहवज़ी 18/3" में तहरीर फ़रमाते हैं :

واما ذهب اليه بعضهم من انها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح و الله اعلم.

यानी बाज़ लोगों का जो यह मस्लक है कि ज़वाल से पहले जुमे की नमाज़ जाइज़ है। सो इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह नहीं है। वल्लाहु आलम।

लिहाज़ा जब इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह है ही नहीं तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं।

वाज़ेह रहे कि शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) इस मसले में

(27) क्या जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना दुरुस्त है?

मसलके अहनाफ़

ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं।

दलील :-

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلىّ الجمعة حين تميل الشّمس۔

(बुख़ारी शरीफ़ 123/1, अबू दाऊद 155/1, तिर्मिज़ी 112/1, मस्नद अहमद 37/6, सुनने बैहक़ी 190/3)

तरजुमा :-

हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता यानी बाद अज़-ज़वाल।

عن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه و سلم الجمعة اذا زالت الشمس۔

(मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 445/1)

तरजुमा :-

हज़रत सल्मा अपने वालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि हम लोग जुमे की नमाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है।

(بدور الاهله ٧١/ بحواله مسائل غير مقلدين)

इस बारे में जो रिवायात हैं उन के बारे में ग़ैर मुक़ल्लिदों ही एक बड़े आलिम शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस बारे में कोई भी हदीस सही सरीह नहीं।

चुनांचे मौसूफ़ "तोहफ़तुल अहवज़ी 18/3" में तहरीर फ़रमाते हैं:

واما ما ذهب اليه بعضهم من انها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح و الله اعلم۔

यानी बाज़ लोगों का जो यह मसलक है कि ज़वाल से पहले जुमे की नमाज़ जाइज़ है। सो इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह नहीं है। वल्लाहु आलम।

लिहाज़ा जब इस बारे में कोई हदीस सहीह सरीह है ही नहीं तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं।

वाज़ेह रहे कि शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) इस मसले में

पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि जुमे की नमाज़ का वक़्त ज़वाल के बाद होता है उससे पहले नहीं।

☆☆☆

हनीफ़ा के साथ हैं। चुनांचे मौसूफ़ "तोहफतुल् अहवज़ी 18/3" में तहरीर फ़रमाते हैं :-

و الظاهر المعول عليه هو ما ذهب اليه الجمهور من انه لا تجوز الجمعة الا بعد زوال الشمس-

यानी ज़ाहिर काबिले ऐतमाद जम्हूर का मस्लक है कि जुमे की नमाज़ सिर्फ़ ज़वाल के बाद ही जाइज़ है, ज़वाल से पहले नहीं।

☆☆☆

(28) जुमे से पहले 4 रकअत सुन्नत हैं या नहीं?

मसलके अहनाफ़

जुमे से पहले 4 रकअत सुन्नत है।

दलील :–

عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع قبل الجمعة اربعاً الخ.

(इब्ने माजह /79)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (नमाज़) जुमे से पहले चार रकअत पढ़ते थे।

عن ابن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعة اربعاً.

(तिर्मिज़ी शरीफ 118/1, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 463/1)

हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) से मरवी है कि वोह चार रकअत नमाज़ जुमे से पहले और चार रकअत नमाज़े जुमा के बाद पढ़ते थे।

عن ابراهيم قال كانوا يصلون قبلها اربعاً.

(मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 463/1)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जुमे से पहले 4 रकअत सुन्नत नहीं हैं। (देखिए : "अर्फुल् जादी /44 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /232")

पता नहीं इन्कार की इन ग़ैर मुक़ल्लिदीन के पास क्या दलील है। अलबत्ता हाफिज़ इब्ने तैमिया (रह.) इस हदीस शरीफ को पेश करते हैं।

ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يخرج من بيته فاذا رقى المنبر اخذ بلال في اذان الجمعة فاذا كمله اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة.

यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकल कर मिम्बर पर चढ़ते थे तो फौरन हज़रत बिलाल (रज़ि.) अज़ाने जुमा शुरू कर देते थे, और जब वोह अज़ान मुकम्मल कर लेते तो आप (सल्ल.) खुत्बा शुरू फरमा देते।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि इस हदीस शरीफ में जुमे से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्लकन नमाज़ पढ़ने का तज़किरा

तरजुमा :–

हज़रत इब्राहीम (रह.) फ़रमाते हैं वोह (सहाबा रज़ि.) जुमे से पहले चार रकअ़त नमाज़ पढ़ते थे।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि नमाज़े जुमा से पहले चार रकअ़त पढ़ना सुन्नत है।

☆☆☆

नहीं है।

जवाब :–

यह है कि मुम्किन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार रकअ़त सुन्नत पढ़ कर मस्जिद में तशरीफ़ लाते हों और इस पर हुक्म लगाना ज़रूरी है क्योंकि ज़वाल के बाद आप (सल्ल.) से चार रकअ़त नमाज़ पढ़ना साबित है।

"انه كان عليه السلام يصلى اذا زالت الشمس اربعاً"

यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल के बाद चार रकअ़त पढ़ते थे।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 412/4)

नीज़ इस के जवाब में यह भी काफ़ी है कि सहाबा किराम (रज़ि.) मसलन अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) वग़ैरह नमाज़े जुमा से पहले चार रकअ़त या ज़ाइद या कुछ कम रकअ़तें पढ़ते थे।

यह कैसे हो सकता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) किसी अमल पर मुदावमत करें, जिस का सुबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न हो।

(देखिए : मआरिफ़ुस् सुनन 412/4)

☆☆☆

(29) क्या मरदों के लिए चाँदी की अँगूठी के अलावा चाँदी का ज़ेवर पहन्ना जाइज़ है?

मसलके अहनाफ़

जाइज़ नहीं है।

दलील :-

عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ان رجلاً جاء الى النبى صلى الله عليه و سلم و عليه خاتم من شبه فقال له مالى اجد منك ريح الاصنام فطرحه ثم جاء و عليه خاتم من حديد. فقال مالى ارئ عليك حلية اهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من اى شئ اتخذه قال اتخذه من ورق و لا تتمه مثقالا.

(अबू दाऊद शरीफ़ 580/2, निसाई 245/2)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदह अपने वालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि एक शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस ने पीतल की अँगूठी पहन रखी थी। आप (सल्ल.) ने उस से फ़रमाया कि मुझे क्या हो गया है कि मुझे तेरे अन्दर बुतों की बू आ रही है, तो उस शख़्स ने उस अँगूठी को फेंक दिया। फिर वोह शख़्स लोहे की अँगूठी पहन कर आप (सल्ल.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है।

चुनांचे नवाब साहब हैदराबादी लिखते हैं :

و يحرم التحلى بالذهب على الرجال لا التحلى بالفضة.

(कन्ज़ुल् हक़ाइक़ /90-91 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /364)

यानी मरदों के ऊपर सोने का ज़ेवर हराम है, चाँदी का ज़ेवर नहीं।

मालूम नहीं इस मसले में ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की क्या दलील है, हालांकि शेख़ मुबारक पुरी (ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम) तो चाँदी के ज़ेवर को मरदों के लिए जाइज़ नहीं समझते, चुनांचे मौसूफ़ "तोहफ़तुल् अहूज़ी 5/313" में तहरीर फ़रमाते हैं :

सोने और चाँदी के बरतन मर्द व औरत सब पर हराम हैं, इसी तरह चाँदी के ज़ेवर औरतों के लिए मख़्सूस हैं।

यही मसलक ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक और आलिम अल्लामा सन्आई (रह.) का है।

(देखिए : सुबुलुस्सलाम 2/263)

☆☆☆

(सल्ल.) ने उस से फ़रमाया कि मुझे क्या हो गया है कि मैं तेरे ऊपर जहन्नमियों का ज़ेवर देख रहा हूँ। तो उस शख़्स ने उस को भी फेंक दिया और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किस चीज़ की अँगूठी पहनूँ?

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि चाँदी की पहनो मगर एक मिस्क़ाल से कम हो। (मिस्क़ाल 4 ग्राम 374 मिली ग्राम वज़न का होता है।) "अलऔज़ानुल् महमूदा"

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि मर्दों के लिए सिर्फ़ चाँदी की अँगूठी पहन्ना जाइज़ है। और वोह भी एक मिस्क़ाल से कम।

ग़ौर फ़रमाइये कि जब एक मिस्क़ाल के बराबर या उस से ज़्यादा अँगूठी भी जाइज़ नहीं तो ज़ेवर पहन्ना कैसे जाइज़ होगा।

☆☆☆

(30) क्या रात में मय्यत को दफ़न करना मम्नूअ् है?

मसलके अहनाफ़

रात में मय्यत को दफ़न करना मम्नूअ् नहीं है।

दलील :-

عن ابن عباس قال صلى النبى صلى الله عليه و سلم على رجل بعد ما دفن بليلة.

(बुख़ारी शरीफ़ 178/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जिस को रात में दफ़न किया गया।

नोट :

इस हदीस शरीफ़ पर हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यह बाब क़ायम किया है कि "باب الدفن بالليل و دفن ابوبكر ليلاً" यानी यह बाब है रात में दफ़न करने के बयान में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रह.) को रात में दफ़न किया गया।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

मम्नूअ् है।

चुनांचे ख़ान साहब फ़रमाते हैं।

دفن موتی در شب منہی عنہ است.

(अरफ़ुल् जादी /58 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /108) यानी रात में मय्यत को दफ़न करना मनही अनहु यानी मम्नूअ् है।

पता नहीं ग़ैर मुक़ल्लिदीन के पास अपने इस मसले में क्या दलील है हालांकि ग़ैर मुक़ल्लिदों के शैख़ुल् कुल फ़िल् कुल हज़रत मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी तो "फ़तावाए नज़ीरियह 644/1" में जाइज़ लिखते हैं। नीज़ इन के और दो बड़े आलिम अल्लामा सन्आई (रह.) और शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) भी जवाज़ के क़ाइल मालूम होते हैं।

(देखिए : "सुबुलुस्सलाम" 225/3, "तोहफ़तुल अहवज़ी" - 141/4)

☆☆☆

इस से दो बातें मालूम हुई - (1) हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) भी इस मसले में हनफ़िया के मुवाफ़िक़ हैं यानी जवाज़ के क़ाइल हैं। (2) हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) को सहाबा किराम (रज़ि.) ने रात ही में दफ़न किया जिस से मालूम हुआ कि रात में मय्यत को दफ़न करना मम्नूअ् नहीं। वरना सहाबा किराम (रज़ि.) रात में दफ़न न करते।

عن جابر بن عبد الله رای ناس ناراً فی المقبرة فاتوها فاذا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی القبر۔

(अबू दाऊद शरीफ़ 451/2)

तरजुमा :--

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि लोगों ने क़ब्रिस्तान में रौशनी देखी तो वोह वहाँ आए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र में उतरे हुए हैं।

عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و سلم دخل قبراً لیلاً فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة، وقال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن۔

(तिर्मिज़ी 204/1)

तरजुमा :--

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क़ब्र में रात को उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चिराग़ रौशन किया गया, आप (सल्ल.) ने (मय्यत को) क़िब्ले की तरफ़ से लिया।

फ़ाइदा :--

मालूम हुआ कि रात में मय्यत को दफ़न करना दुरुस्त है, मम्नूअ़ नहीं।

☆☆☆

(31) अमवाले तिजारत में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

फ़र्ज़ है।

दलील :–

يـآيهـا الذين آمنوا انفقوا من طيبت مـا كسبتم و ممـا اخـرجنـا لكم من الارض۔

(अल् तौबा /267)

तरजुमा :–

ऐ ईमान वालों उस पाकीज़ा माल से ख़र्च करो जो तुम ने कमाया है और उस माल से जो हम ने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है।

फ़ाइदा :–

इस आयते करीमा से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने माले तिजारत में वुजूबे ज़कात को साबित किया है। चुनांचे हज़रत ने बाब क़ाइम किया है।

"باب صدقة الكسب و التجارة" لقول اللّٰه تـعالیٰ يآيها الذين آمنوا انفقوا من طيبت مـا كسبتم و مما اخـرجنا لكم من الارض۔"

यानी यह बाब है कमाई और तिजारत के माल में ज़कात से मुतअ़ल्लिक़ अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल की वजह से "يـآيهـا الذين آمنوا الخ۔"

(देखिए : "बुख़ारी शरीफ़ 194/1)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

फ़र्ज़ नहीं।

ख़ाँ साहब भोपाली फ़रमाते हैं।

وازيـجـا دريـافـت شد كه دليلے بـر وجوب زكٰوة در اموال تجارت نيست۔

(अरफ़ुल् जादी /65 बहवालए मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /90)

यानी इस जगह से यह बात मालूम हो गई कि अमवाले तिजारत में वुजूबे ज़कात पर कोई दलील नहीं।

ख़ाँ साहब भोपाली का यह कहना है कि माले तिजारत में वुजूबे ज़कात पर कोई दलील नहीं सही नहीं, इसी वजह से दूसरे ग़ैर मुक़ल्लिद उलमा मसलन अल्लामा सन्आई (रह.), हज़रत मौलाना अमरतसरी (रह.) और हज़रत मौलाना शम्सुल् हक़ (रह.) साहब औनुल् माबूद माले तिजारत में वुजूबे ज़कात के क़ाइल हैं, बल्कि मौसूफ़ (शम्सुल् हक़ रह.) ने तो माले तिजारत में वुजूबे ज़कात पर इज्मा नक़ल किया है, चुनांचे मौसूफ़ अपनी किताब "औनुल् माबूद 298/1" में तहरीर फ़रमाते हैं।

"قـال ابن الـمـنذر الاجماع قائم على وجوب الزكوٰة فى مال التجارة۔"

यानी इब्ने मुन्ज़िर (रह.) फरमाते हैं कि माले तिजारत में वुजूबे ज़कात पर इज्मा क़ाइम है। ज 141/4

☆☆☆

और हज़रत मुजाहिद (रह.) भी यही फरमाते हैं :

عن مجاهد فی قوله تعالیٰ "انفقوا من طیبت ما کسبتم" قال التجارة و مما اخرجنا لکم من الارض۔"

यानी हज़रत मुजाहिद (रह.) फरमाते हैं कि तिजारत अल्लाह तआला के क़ौल "و مما اخرجنا لکم من الارض" के तहत दाख़िल है। लिहाज़ा मालूम हुआ कि माले तिजारत में ज़कात फ़र्ज़ है।

عن سمرة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقه من الذى نعد للبيع۔

(अबू दाऊद 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम को उन चीज़ों में से ज़कात देने का हुक्म फरमाते थे जिन को हम ख़रीद व फरोख़्त के लिए रखते, यानी माले तिजारत में से।

عن ابن عمر لیس فی العروض زکوٰة الا ما کان للتجارة۔

(सुनने बैहक़ी 147/4)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फरमाते हैं कि सामान में ज़कात नहीं मगर जो तिजारत के लिए हो।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि अमवाले तिजारत में ज़कात फ़र्ज़ है।

☆☆☆

(32) तसवीर वाली अश्या का इस्तेमाल जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

जाइज़ नहीं।

दलील :–

عن عائشة ان النبی صلی اللّٰہ علیه و سلم لم یکن یترك فی بیته شیئاً فیه تصالیب الانقضه۔

(बुख़ारी शरीफ़ 880/2)

तरजुमा :–

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जिस चीज़ में भी तस्वीर देखते उस को तोड़ फोड़ देते।

عن عبد اللّٰہ قال سمعت النبی صلی اللّٰہ علیه و سلم یقول ان اشد الناس عذابا عند اللّٰہ المصورون۔

(बुख़ारी शरीफ़ 880/2)

तरजुमा :–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि अल्लाह तआला के यहाँ सब से ज़्यादा अज़ाब तस्वीर बनाने वाले को होगा।

عن ابی طلحة عن النبی صلی اللّٰہ علیه و سلم قال لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب و لا صورة۔

(मुस्लिम शरीफ़ 200/2)

तरजुमा :–

हज़रत अबू तल्हा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, उस में (रहमत के) फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि तस्वीर वाली अश्या का इस्तेमाल जाइज़ नहीं।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है। देखिए : "फ़तावाए नज़ीरियह 304/3"

पता नहीं इन की दलील क्या है हालाँकि शैख़ मुबारकपुरी (रह.) (ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम) तो हनफ़िया की तरह हुरमत ही के क़ाइल हैं।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 350/5)

☆☆☆

(33) क्या मालदार अहले इल्म के लिए ज़कात का माल जाइज़ है?

मसलके अहनाफ़

जाइज़ नहीं।

दलील :-

عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز فى سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدها المسكين للغنى.

(अबू दाऊद 231/1, इब्ने माजा /132, मुअत्ता इमाम अहमद /179)

तरजुमा :-

हज़रत अता बिन यसार (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि सदक़ा (ज़कात) सिर्फ़ पाँच क़िस्म के मालदारों के लिए जाइज़ है (1) एक तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के लिए (2) दूसरे आमिले ज़कात (ज़कात वुसूल करने वाले) के लिए (3) तीसरे मदयून क़र्ज़दार के लिए (4) चौथे उस मालदार के लिए जो ज़कात को अपने माल के बदले ख़रीद ले (5) पाँचवे उस शख़्स के लिए जिस का कोई फ़क़ीर पड़ौसी हो और वोह

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है क्योंकि वोह "فى سبيل الله" के अन्दर दाख़िल है।

(देखिए : अरफ़ुल जादी /69 बहवालाह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन 256)

दलील इन लोगों की यह है कि अहले इल्म हज़रात क्योंकि दीन के कामों में लगे हुए हैं, इस लिए वोह "فى سبيل الله" के अन्दर दाख़िल हैं, चूंकि मसारिफ़े ज़कात में से यह भी एक मसरफ़ है।

जवाब :-

यह है कि "فى سبيل الله" के अन्दर मालदार अहले इल्म दाख़िल नहीं, बल्कि मुराद इस से मुजाहिदीन हैं, चुनांचे अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) "तफ़सीरे इब्ने कसीर 366/2" में तहरीर फ़रमाते हैं :

"و اما فى سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان."

यानी "فى سبيل الله" में से वोह मुजाहिदीन हैं जिन का हक़ फ़ौजियों के रजिस्टर में मुन्दर्ज नहीं है।

नीज़ ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम हज़रत मौलाना शौकानी (रह.) भी

सदक़े की कोई चीज़ जो उस को मिली है, बतौरे तोहफ़ा उस को भेज दे।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि मज़कूरा पाँच क़िस्म के मालदारों के अलावा किसी भी मालदार के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं।

यही फ़रमाते हैं, चुनांचे मौसूफ़ "نیل الاوطار ۳/۱۳۱" में तहरीर फ़रमाते हैं कि :

"قولہ فی سبیل اللہ "ای الغازی فی سبیل اللہ"

यानी "فـی سبیـل اللّٰـہ" से मुराद "مجاھد فی سبیل اللہ" है।

☆☆☆

लिहाज़ा मालदार अहले इल्म के लिए भी माले ज़कात हलाल न होगा क्योंकि उस का शुमार इन पाँच क़िस्मों में नहीं है।

عن عبد اللّٰہ بن عمر و عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال لا تحل الصدقۃ لغنی۔

(तिर्मिज़ी 141/1)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, सदक़े (ज़कात) का माल मालदार को हलाल नहीं।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि मालदार के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं, चाहे वोह अहले इल्म ही क्यों न हो।

☆☆☆

(34) शहीद को कफ़न दिया जाएगा या नहीं, नीज़ इस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए गी या नहीं

मसलके अहनाफ़

शहीद को कफ़न भी दिया जाए गा और उस पर नमाज़ भी पढ़ी जाए गी।

दलील :–

عن جابر بن عبد الله قال كان النبى صلى الله عليه و سلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد فى ثوب واحد۔

(बुख़ारी शरीफ़ 179/1)

तरजुमा :–

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद में से दो–दो आदमियों को एक कपड़े में जमा फ़रमाते, यानी दो–दो आदमियों को एक कपड़े में कफ़न देते।

عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على قتلى احد بعد ثمانى سنين۔

(बुख़ारी शरीफ़ 578/2)

तरजुमा :–

हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद पर आठ साल बाद

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

शहीद को न कफ़न दिया जाए गा और न उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए गी।

चुनांचे नवाब हैदराबादी फ़रमाते हैं :

"و لا يكفن و لا يصلى عليه و يدفن بدمه۔"

(कन्ज़ुल हक़ाइक़ /43, बहवाला मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन 149)

यानी शहीद को न कफ़न दिया जाएगा और न उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। उसे ख़ून के साथ दफ़न किया जाए गा।

दलील :–

इन हज़रात के पास शहीद को कफ़न न देने से मुतअल्लिक़ तो पता नहीं किया दलील है, अल्बत्ता नमाज़े जनाज़ा न पढ़े जाने की दलील में हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) की हदीस के इन आख़री अल्फ़ाज़ को जो शुहदाए उहद से मुतअल्लिक़ हैं पेश करते हैं :

"ولم يصل عليهم" यानी आप (सल्ल.) ने उन पर नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 83/4)

नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

फ़ाइदा :-

दोनों हदीसों के मजमूए से मालूम हुआ कि शहीद को कफ़न भी दिया जाएगा जैसा कि पहली हदीस में वज़ाहत है और उस पर नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी। जैसा कि दूसरी हदीस में सराहत है।

नोट :

शहीद पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने और कफ़न देने से मुतअल्लिक़ हदीस शरीफ़ मुन्दर्जा ज़ेल कुतुबे हदीस के अन्दर भी देखी जा सकती है।

(अबू दाऊद 447/2, तिर्मिज़ी 196/1, निसाई शरीफ़ 214/1, इब्ने माजा /109, सुनने बैहक़ी 12/4)

☆☆☆

जवाब :-

यह है कि यह भी तो मुम्किन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पढ़ाई हो किसी सहाबी (रज़ि.) ने पढ़ाई हो। क्योंकि जंगे उहद में आप खुद ज़ख़्मी हो गए थे।

(देखिए : तहावी शरीफ़ 321/1)

नीज़ हज़रते उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) की हदीस से तो साबित होता है कि आप ने उन पर आठ साल के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

☆☆☆

(35) दौराने ख़ुत्बा कलाम करने से क्या नमाज़े जुमा बातिल हो जाती है?

मसलके अहनाफ़

नमाज़े जुमा तो बातिल नहीं होती मगर यह मम्नूअ् व हराम है।

दलील :-

عن ابی ھریرۃ ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت و الامام یخطب فقد لغوت۔

(बुख़ारी शरीफ़ 127/1, मुस्लिम /181, तिर्मिज़ी 114/1, निसाई 207/1, इब्ने माजा /78, मस्नदे अहमद 273/2, मुअत्ता इमाम मालिक /36)

तर्जुमा :-

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो उस वक़्त अगर तुम ने अपने साथी से यह कहा कि "ख़ामोश रह" तो तुम ने एक बेकार काम किया।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से यह बात तो मालूम हुई कि दौराने ख़ुत्बा कलाम करना मम्नूअ् है, मगर यह कि नमाज़े जुमा ही बातिल हो जाए यह बात हदीस शरीफ़ से मालूम नहीं होती,।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

नमाज़े जुमा ही बातिल हो जाती है।

नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ भोपाली फ़रमाते हैं।

وہرکہ دیگرے راگوید "خاموش شو" اورا جمعہ نباشد زیرکہ حرکت لغو کرد۔

(अरफ़ुल् जादी /42 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन 264)

यानी जिस शख़्स ने दूसरे से कहा कि "ख़ामोश हो जा", उस की जुमा की नमाज़ न होगी, क्योंकि उस ने लग़्व हरकत की है।

दलील :-

इन हज़रात की एक दलील तो यही है कि दौराने ख़ुत्बा कलाम करना लग़्व हरकत है, इस का जवाब तो है कि हर लग़्व हरकत से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, अगरचे यह मम्नूअ् है।

दूसरे यह हज़रात इन मुन्दर्जा ज़ेल हदीसों को पेश करते हैं :

(۱) "من تکلم فلا جمعۃ لہ۔"

कि जिस ने कलाम किया उस की नमाज़े जुमा न होगी।

(٢) "و الذی یقول له انصت لیس له جمعة."

कि जिस ने किसी से "ख़ामोश रहो" कहा, उस की नमाज़े जुमा न होगी।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 3/31-30)

जवाब :–

यह है कि यहाँ नफ़ी बराए कमाल है यानी जो शख़्स दौराने ख़ुत्बा

क्योंकि हर लग्व काम से नमाज़ बातिल नहीं होती।

बिलावजह नमाज़ में खुजलाना, खाँसना, जमाही लेना, हरकत करना, यह तमाम लग्व चीज़ें हैं, منهى عنه हैं, मगर इन से नमाज़ बातिल नहीं होती। वल्लाहु आलम।

☆☆☆

कलाम करता है। उस की नमाज़े जुमा कामिल नहीं होती, सवाब में कमी आ जाती है लेकिन उस के ज़िम्मे से नमाज़ साक़ित हो जाती है।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 32/3)

चुनांचे शैख़ मुबारकपुरी (रह.) (ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम) तहरीर फ़रमाते हैं:

"قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة لاجماع على اسقاط فرض الوقت عنه."
यानी उलमा ने फ़रमाया है कि इसका मतलब यह है कि उस की नमाज़े जुमा कामिल न होगी, इस बात पर इज्मा की वजह से कि इस से वक़्त का फ़र्ज़ साक़ित हो गया।

(وكذا فى نيل الاوطار ٢/٢٦٦ه)

यह ऐसा ही है जैसा कि एक हदीस में है "لا صلوة لجار المسجد الافى المسجد" कि मस्जिद के पड़ोसी की नमाज़ नहीं होती मगर मस्जिद में ही।

(دار قطني كما فى الفيض القدير شرح جامع الصغير ٦/٤٣١ رقم الحديث ٩٨٩٨)

यानी कामिल नमाज़ नहीं होती, सवाब में कमी आ जाती है। यही ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक दूसरे आलिम अल्लामा सन्आई फ़रमाते हैं।

(देखिए : सुबुलुस्सलाम 2/78)

☆☆☆

(36) बस्ती में अज़ाने जुमा सुनने वाले पर नमाज़े जुमा वाजिब है या नहीं

मसलके अहनाफ़

नमाज़े जुमा वाजिब है।

दलील :–

يٰآيها الذين آمنوا اذا نودى للصلوٰة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله.

(الآية : جمعه/۹)

तरजुमा :–

ऐ ईमान वालों ! जब जुमे के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो।

फ़ाइदा :–

आयते करीमा से मालूम हुआ कि जुमा की अज़ान सुनते ही मस्जिद का रुख़ कर लेना चाहिए, उस का घर चाहे मस्जिद से कदरे फ़ासले पर ही क्यों न हो।

عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال الجمعة على كل من سمع النداء.

(अबू दाऊद शरीफ़ 151/1)

तरजुमा :–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जुमा हर उस शख़्स पर वाजिब है जो अज़ान की

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

नमाज़े जुमा वाजिब नहीं है, अगर उस का घर मस्जिद से कदरे फ़ासले पर है।

नवाब साहब भोपाली लिखते हैं:

وبر بعيد المكان واجب نيست اگرچه ندا بشنو.

(अरफ़ुल् जादी /41 बहवालाह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /85)

दलील :–

पता नहीं इस मसले में इन की क्या दलील है। हालांकि इन के एक जय्यिद आलिम शैख़ मुहम्मद शम्सुल् हक़ (रह.) तो हदीस शरीफ़ "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و من العوالى" और एक दूसरी हदीस "الجمعة على كل من سمع النداء" के ज़ैल में तहरीर फ़रमाते हैं :

"فثبت بحديثى الباب ان الجمعة واجبة على من كان خارج المصر و البلد كما كانت واجبة على كل من سمع النداء من اهل البلد"

(औनुल् माबूद 267/3)

तरजुमा :–

पस साबित हो गया कि बाब की दोनों हदीसों से कि जुमा वाजिब है

अवाज़ सुने।

फ़ाइदा :–

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि अज़ान सुनने वाले पर जुमा वाजिब है, अगरचे उसका घर मस्जिद से क़दरे फ़ासले पर हो (इल्ला यह कि कोई मजबूरी हो)।

ल उस शख़्स पर जो शहर से बाहर हो जैसा कि अहले शहर में से हर उस शख़्स पर वाजिब है जो अज़ाने जुमा सुने।

☆☆☆

وقد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ و سلم انہم قالو من سمع النداء فلم یجب فلا صلوٰۃ (तिर्मिज़ी 52/10)

तरजुमा :–

सहाबा किराम (रज़ि) में से बहुत सारे लोगों से मरवी है कि जो शख़्स अज़ान को सुने और जवाब न दे, यानी मस्जिद में न आए तो उस की नमाज़ नहीं होती।

नोट :

अज़ान सुन कर मस्जिद में आना ज़रूरी है (मगर मजबूरी में इजाज़त है), इस से मुतअ़ल्लिक रिवायत मुस्लिम शरीफ़, 232/1, इब्ने माजा /57 पर भी देखी जा सकती है)।

☆☆☆

(37) क़ुरबानी में एक बकरी सिर्फ़ एक आदमी की तरफ़ से काफ़ी है या तमाम घर वालों की तरफ़ से?

मसलके अहनाफ़

एक बकरी सिर्फ़ एक आदमी की तरफ़ से काफ़ी होती है, तमाम घर वालों की तरफ़ से नहीं।

दलील :–

عن جابرؓ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نشترك في الابل و البقر كل سبعة منا في بدنة.

(मुस्लिम शरीफ़ 424/1, मआरिफ़ुल अल्काम, अबू दाऊद 388/2, निसाई /181, इब्ने माजा /226, मस्नदे अहमद 335/3, तहावी शरीफ़ 301/2)

तरजुमा :–

हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम लोग हज का एहराम बान्ध कर (हज के लिए) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो आप (सल्ल.) ने हम को हुक्म दिया कि हम में से हर सात आदमी एक ऊँट और एक गाय में शरीक हों।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि एक ऊँट या एक गाय सिर्फ़ सात आदमियों की तरफ़ से काफ़ी हो

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

एक बकरी तमाम घर वालों की तरफ़ से काफ़ी है चाहे घर के अन्दर कितने ही अफ़राद हों।

(देखिए : तोहफ़तुल् अहवज़ी 76/5, फ़तावाए नज़ीरियह 245/3)

दलील :–

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 276/1" की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

عن عطاء بن يسار يقول سألت ابا ايوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كان الرجل يضحى الشاة عنه و عن اهل بيته.

तरजुमा :–

हज़रत अता बिन यसार (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़ुरबानी कैसे हुआ करती थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ़ से एक बकरी की क़ुरबानी कर देता था।

जवाब :–

यह है कि यह हदीस शरीफ़

सकती है, उस से ज़्यादा नहीं।

काबिले ग़ौर बात है कि ऊँट और गाय इतने बड़े जानवर तो सिर्फ़ सात आदमियों की तरफ़ से काफ़ी हों और बकरी इतना छोटा जानवर पूरे ख़ानदान की तरफ़ से काफ़ी हो जाए, चाहे घर में 100 अफ़राद हों।

عن ابن عباس ان النبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم اتاہ رجل فقال ان علی بدنۃ و انا موسربھا ولا اجدھا فاشرتیھا فامرۃ النبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم ان یبتاع سبع شیاۃ فیذبحن۔

(इब्ने माजह /226, इत्लाउस् सुनन 205.....17)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख़्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे ज़िम्मे ऊँट है और मैं उस की वुस्अत रखता हूँ, मगर ऊँट मिलता नहीं कि मैं उसे ख़रीदूँ। तो आप (सल्ल.) ने उसे हुक्म दिया कि वोह सात बकरी ख़रीदे और उन्हें (ऊँट के बदले) ज़बह करे।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि सात बकरियाँ एक ऊँट के क़ाइम मक़ाम हैं और एक ऊँट सिर्फ़ सात आदमियों की तरफ़ से काफ़ी होता है, लिहाज़ा एक बकरी सिर्फ़ एक आदमी ही की तरफ़ से काफ़ी होगी, उस से ज़्यादा नहीं।

☆☆☆

नफ़ली क़ुरबानी के बारे में है, वाजिब क़ुरबानी के बारे में नहीं, जिस की बात चल रही है। क्योंकि यह हदीस उस शख़्स के बारे में है जो फ़क़ीर होता, जिस पर क़ुरबानी वाजिब न होती, वोह एक बकरी अपनी तरफ़ से ज़बह कर देता था फिर उस से ख़ुद भी खाता और अपने घर वालों को भी खिलाता।

(देखिए : हाशियाए तिर्मिज़ी 276/1)

दूसरा जवाब :–

यह है कि यहाँ शिरकत से मुराद सवाब में शिरकत है, न यह कि एक बकरी दो या दो से ज़ाइद की तरफ़ से काफ़ी हो जाए।

(देखिए : हाशियाए मिश्कात 127)

☆☆☆

(38) जिस जानवर पर बवक़्ते ज़बह "बिस्मिल्लाह" न पढ़ी गई हो, क्या उसको खाने के वक्त "बिस्मिल्लाह" का पढ़ना काफ़ी होगा?

मसलके अहनाफ़

काफ़ी न होगा, उस का खाना जाइज़ नहीं, हराम है।

दलील :-

ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه۔

(इन्आम /121)

तरजुमा :-

जिस (जानवर) पर (बवक़्ते ज़बह) अल्लाह तआला का नाम न लिया गया हो उस को मत खाओ।

फ़ाइदा :-

आयते करीमा से मालूम हुआ कि जिस जानवर पर बवक़्ते ज़िबह "बिस्मिल्लाह" न पढ़ी गई हो, उस का खाना जाइज़ नहीं।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

खाने के वक़्त "बिस्मिल्लाह" पढ़ना काफ़ी है।

(देखिए : अरफ़ुल् जावी /241, बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन 270)

नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं।

وحق آنست که نزد اکل کافی ست اگر نزد ذبح معلوم نباشد۔

यानी अगर ज़बह के वक्त "बिस्मिल्लाह" का पढ़ना मालूम न हो तो खाने के वक़्त काफ़ी है।

दलील :-

यह लोग हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के इस क़ौल से इस्तिदलाल करते हैं –

"فان نسي ان يسمّى حين يذبح فليسمّ ثمّ ياكل۔"

यानी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया कि अगर कोई शख़्स बवक़्ते ज़बह "बिस्मिल्लाह" का पढ़ना भूल गया तो "बिस्मिल्लाह" पढ़ कर खा ले।

(اخرجه الدار قطنی کما فی فتاوی ثانیه ۲/۸۹)

जवाब :-

इस का ग़ैर मुक़ल्लिदों के ही एक बड़े, मशहूर मुस्तनद आलिम हज़रत मौलाना अबू सईद शरफ़ुद्दीन देहलवी से लीजिए, मौसूफ़ फ़रमाते हैं :

इस जानवर का खाना हराम है, इस लिए कि नस्से सरीह किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ है और यह हदीस जिस को मौलाना सनाउल्लाह अम्रितसरी ने ज़िक्र किया है, सही नहीं।

(ماخوذ از فتاوی ثنائیه ۲/۸۹)

☆☆☆

(39) काफ़िर के कुत्ते का किया हुआ शिकार हलाल है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

हलाल नहीं बल्कि नाजाइज़ व हराम है।

दलील :-

عن عدی بن حاتم قال سألت رسول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلب فقال اذا ارسلت کلبك و ذکرت اسم اللّٰہ فکل فان اکل منہ فلا تأکل فانہ انما امسك علی نفسہ قلت فان وجدتُ مع کلبی کلباً آخر فلا ادری ایھما اخذہ قال فلا تأکل فانما سمیت علی کلبك و لم تسم علی غیرہ.

(मुस्लिम शरीफ़ 145/2)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

हलाल है।

नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं:

"و دلیل بر عدم حل صید کلب مرسل کافر قائم نیست"

(अरफ़ुल् जावी /238, बहवाला मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /326) यानी काफ़िर के छोड़े हुए कुत्ते के शिकार के हलाल न होने पर दलील क़ाइम नहीं। दलील तो मौजूद है (देखिए : मसलके अहनाफ़)

☆☆☆

तरजुमा :-

हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं ने कुत्ते (के शिकार) के बारे में पूछा, तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया कि जब तू "बिस्मिल्लाह" पढ़ कर अपने कुत्ते को (शिकार पर) छोड़े तो उस से खा और अगर कुत्ते ने उस में से कुछ खा लिया तो उस से मत खा, क्योंकि उस ने शिकार को अपने लिए रखा है (हज़रत अदी (रज़ि.) फ़रमाते हैं) मैं ने कहा अगर मैं अपने कुत्ते के साथ किसी दूसरे कुत्ते को पाऊँ (तो क्या हुक्म है) और मुझे यह मालूम नहीं कि किस ने इस को पकड़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि उस को मत खा, इसलिए कि तूने अपने कुत्ते पर तस्मियह पढ़ी है, दूसरे पर नहीं।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि अगर मुसलमान भी अपने कुत्ते को बग़ैर "बिस्मिल्लाह" पढ़े किसी शिकार पर छोड़ दे तो उस के किये हुए शिकार का खाना जाइज़ नहीं। लिहाज़ा काफ़िर के कुत्ते का किया हुआ शिकार बदरजए ऊला नाजाइज़ व हराम होगा।

☆☆☆

(40) क्या इस्तिम्ना बिल्-यद बवक़्ते ज़रूरत मुबाह है?

मसलके अहनाफ़

इस्तिमना बिल्-यद (हाथ से मनी निकालना) नाजाइज़ व हराम है।

दलील :-

و الـذيـن هـم لـفـروجـهـم خـفـظـون الا عـلـى ازواجـهـم او مـا مـلـكـت ايمانهم فـانـهـم غيـر ملومين فمن ابتغى ورآء ذٰلك فاولٰئك هم الغدون-

(المؤمن ۷/)

तरजुमा :-

और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं, मगर अपनी औरतों पर या अपनी बान्दियों पर, सो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, फिर जो कोई इस के अलावा ढूंडे (कज़ाए शहवत का रास्ता) सो वोह ही हद से बढ़ने वाले हैं।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा के अन्दर कज़ाए शहवत के सिर्फ़ दो रास्ते बयान किये गए हैं। (1) मन्कूहा औरत (2) बान्दी, उस के अलावा कज़ाए शहवत के तमाम रास्ते मम्नूअ् और हराम क़रार दिये गए हैं, लिहाज़ा इस्तिम्ना बिल्-यद

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

बवक़्ते ज़रूरत मुबाह है।

नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं:

بـالـجـمـلـه اسـتـنـزال منى بكف يـا چيزے از جـمـادات نـزد دعـاء حاجت مباح سـت۔

(अरफ़ुल् जादी /207 बहवालाह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /332)

यानी ज़रूरत के वक़्त हाथ से या जमादात में से किसी चीज़ के ज़रीए मनी निकालना मुबाह है।

इस मसले में मालूम नहीं इन हज़रात की क्या दलील है। हालांकि ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक मशहूर आलिम हज़रत मौलाना सनाउल्लाह साहब अम्रितसरी (रजि.) तो एक सवाल के जवाब में तहरीर फ़रमाते हैं :

जल्क़ (استـمـنـاء باليد) हराम है। क़ुराने पाक में "فـمـن ابتغىٰ وراء ذالك فـاولـئك هم العادون" जो शख़्स बीवी या बान्दी के अलावा शहवत रानी की राह तलाश करे वोह हद से

"فمن ابتغى ورآء ذلك فاولئك هم العادون"

गुज़रने वाला है।

(फ़तावाए सनाइयह 350/2)

☆☆☆

के तहत दाख़िल होकर नाजाइज़ व हराम होगा।

☆☆☆

(41) क्या परदे का हुक्म सिर्फ़ अज़वाजे मुतह्हरात के साथ ख़ास है?

मसलके अहनाफ़

परदे का हुक्म अज़वाजे मुतह्हरात के साथ ख़ास नहीं, बल्कि परदा तमाम मोमिना औरतों पर फ़र्ज़ है।

दलील :-

يَـٰٓأَيها النبى قل لازواجك و بنتك و نسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.

(अल्अहज़ाब /59)

तरजुमा :-

ऐ नबी अपनी बीवियों, लड़कियों और मोमिनों की औरतों से कह दें कि वोह अपने ऊपर अपनी थोड़ी सी चादरें लटका लें।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

परदा सिर्फ़ अज़वाजे मुतह्हरात के साथ ख़ास है।

नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं:

آية حجاب مختص بازواج رسول خدا است.

(अरफ़ुल् जादी /42 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /262)

यानी परदे की आयत रसूल (सल्ल.) की बीवियों के साथ ख़ास है।

मालूम नहीं दलील इन हज़रात की क्या है।

☆☆☆

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि परदे का हुक्म सिर्फ़ अज़वाजे मुतह्हरात के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमान औरतों के लिए यह हुक्म है।

☆☆☆

(42) बग़ैर गवाहों के निकाह दुरुस्त होता है या नहीं?

मसलके अहनाफ

बग़ैर गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं होता।

दलील :-

عن ابن عباس ان النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال البغایا اللاتی ینکحن انفسھن بغیر بینۃ و الصحیح ما روی عن ابن عباس قولہ "لا نکاح الا ببینۃ"

(तिर्मिज़ी 210/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वोह औरतें ज़ानिया हैं जो बग़ैर गवाहों के अपना निकाह खुद कर लेती हैं। (हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) को इस हदीस के अन्दर कलाम है हज़रत फरमाते हैं) सही वोह रिवायत है जिस को हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इस तरह बयान किया है कि "बग़ैर गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं"।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि बग़ैर गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं और यह हदीस शरीफ़ सही है जो कि क़ाबिले इस्तिदलाल है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

निकाह दुरुस्त है।

क्योंकि हदीस शरीफ़ "لا نکاح الا بولی و شاھدی عدل" (यानी बग़ैर वली और दो आदिल गवाहों के निकाह दुरुस्त नहीं) सही नहीं है।

(देखिए अरफ़ुल जादी /17 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /121)

गोया इन हज़रात की इस मसले में दलील यह है कि हदीस शरीफ़ "لا نکاح الا بولی الخ" सही नहीं।

जवाब :-

यह है कि हदीस शरीफ़ "لا نکاح الا ببینۃ" (बग़ैर गवाह निकाह दुरुस्त नहीं है) तो सही और क़ाबिले इस्तिदलाल है। इस की तो हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने तसहीह फ़रमाई है।

(देखिए : तिर्मिज़ी शरीफ़ 210/1)

☆☆☆

☆☆☆

(43) जो मछली मरकर पानी के ऊपर आ जाए तो उस का खाना जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

उस का खाना जाइज़ नहीं है।

दलील :–

حرمت علیکم المیتۃ.

(अल्माइदह /3)

तरजुमा :–

तुम्हारे ऊपर मुरदार हराम है।

عن جابر بن عبد اللّٰہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ما القی البحر او جزر عنہ فکلوہ و ما مات فیہ فطفی فلا تأکلوہ.

(इब्ने माजा /234 बहवालए अल्फाज़े सुनने बैहक़ी 255/9, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 248/4)

फ़ाइदा :–

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस मछली को समन्दर डाल दे या उसे पीछे छोड़ दे तो उसको खाओ और जो मछली समन्दर में मरकर ऊपर आ जाए तो उसे मत खाओ।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि मछली मरकर पानी के ऊपर आ जाए तो उसका खाना जाइज़ नहीं।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

ऐसी मछली का खाना जाइज़ नहीं।

(देखिए : तोहफ़ातुल् अहूज़ी 191/1)

यह लोग इस हदीस शरीफ़ को दलील में पेश करते हैं :

عن عمر وانہ سمع جابراً یقول غزونا جیش الخبط و امر علینا ابو عبیدۃ فجعنا جوعاً شدیداً فالقی البحر حوتا میتا لم یریٰ مثلہ یقالہ لہ العنبر فاکلنا منہ نصف شھر.

(اخرجہ البخاری کما فی تحفۃ الاحوذی ۱۹۱/۱)

तरजुमा :–

हज़रत अमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उन्होंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) को यह कहते हुए सुना कि हम ने दरख़्त के पत्ते खाने वाले लश्कर के साथ मिल कर जिहाद किया और हमारे अमीर हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) थे। हम को सख़्त भूक लगी हुई थी कि समन्दर ने एक मुरदार मछली डाल दी, इस जैसी मछली हम ने कभी न देखी थी, इस (मछली) को अम्बर कहा जाता है। हम इस मछली को 15 दिन तक खाते रहे।

जवाब :–

जवाब यह है कि इस के ताफ़ी होने की सराहत नहीं है। ताफ़ी उस मछली को कहते हैं जो किसी ख़ारिजी सबब के बग़ैर ख़ुद बख़ुद समन्दर में मर जाए। इस के बरख़िलाफ़ अगर कोई मछली किसी ख़ारिजी सबब की वजह से मसलन शिद्दते हरारत या शिद्दते बुरूदत से या तलातुमे अम्वाज से किनारे पर पहुँच कर पानी के दूर चले जाने की वजह से मर जाए तो ताफ़ी नहीं होती और उस का खाना हलाल होता है। इस मज़कूरा हदीस में भी ज़ाहिर यही है कि वोह मछली पानी के छोड़ कर चले जाने की वजह से मरी थी, लिहाज़ा उस की हिल्लत महल्ले निज़ाअ् नहीं देखिए।

(दर्से तिर्मिज़ी 283/1)

यानी यह मछली मरकर पानी के ऊपर नहीं आई थी बल्कि पानी के छोड़ कर चले जाने के वजह से मरी थी, जिसका खाना बिलइत्तिफ़ाक़ जाइज़ है लिहाज़ा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना दुरुस्त नहीं।

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 21/1" की इस रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

"هو الطهور مائة الحل ميتتة."

यानी समन्दर का पानी पाक है और उस का मुरदार हलाल है।

जवाब :–

यह है कि यहाँ बक़ौले हज़रत शैख़ुल् हिन्द (रह.) "الحل" से मुराद हलाल नहीं है बल्कि ताहिर है।

(दर्से तिर्मिज़ी 283/1)

ग़ैर मुक़ल्लिद हज़रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) के इस क़ौल को भी दलील में पेश करते हैं :

"السمكة الطافية حلال."

यानी ताफ़ी मछली हलाल है।

इस के चन्द जवाबात मुलाहज़ा फ़रमाए –

जवाब :–

(1) यह क़ौले सहाबी (रज़ि.) है जो आप के यहाँ हुज्जत नहीं।

(देखिए : "फ़तावाए नज़ीरियह 340/1" बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /12)

जवाब :–

(2) इस में शदीद इज़्तिराब है।

जवाब :–

(3) अगर बिल्फ़र्ज़ इस की सनद को सही मान भी लिया जाए तो भी यह एक सहाबी (रज़ि.) का इज्तिहाद है जो हदीसे मरफ़ू के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं हो सकता।

जवाब :–

(4) मुमकिन है इस में मय्यिता मछली से मुराद वोह हो जो असबाबे ख़ारिजिय्यह की बिना पर मरी है।

(माख़ूज़ अज़ – "दर्से तिर्मिज़ी 1/9?")

☆☆☆

(44) मस्से ज़कर नाक़िज़े वुज़ू है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

ज़कर को छूने से वुज़ू नहीं टूटता।

दलील :–

عن قيس بن طلق عن ابيه قال قدمنا على نبى الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كانه بدوى فقال يا نبى الله ما ترى فى مسّ الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال صلى الله عليه و سلم هل هو الا مضغة منه او بضعة منه۔

(ابو داؤد شريف ١/٢٤، باختلاف الفاظ ترمذى شريف ١/٢٥، نسائى ١/٢٠-٢١، ابن ماجه /٣٧، مسند احمد ٤/٢٢، معجم كبير للطبرانى ٨/٣٣٤، صحيح ابن حبان ٢/٢٢٣، موطا امام محمد/٥٦)

तर्जुमा :–

हज़रत कैस बिन तल्क़ अपने वालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो एक देहाती शख़्स आप (सल्ल.) की ख़िदमत में आया और उस ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख़्स के मुतअल्लिक़ आप (सल्ल.) का क्या हुक्म है जिस ने वुज़ू करने के बाद अपने ज़कर को छू लिया हो।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

वुज़ू टूट जाता है।

(देखिए : फ़तावाए सनाइयह 614/1)

दलील :–

यह लोग तिर्मिज़ी शरीफ़ /25, की इस रिवायत को दलील में पेश करते हैं :

عن بسرة بنت صفوان ان النّبى صلى الله عليه و سلم قال من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضاء۔

हज़रत बुसरा बिन्ते सफ़वान (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस ने अपने ज़कर को छुआ तो वोह नमाज़ न पढ़े, यहाँ तक कि वोह वुज़ू कर ले।

जवाब :–

यह है कि यहाँ मस्से ज़कर से मुराद ज़कर को हाथ से छूना नहीं है बल्कि मुराद ज़कर व फ़र्ज का मिलना है। (जो आदतन ख़ुरूजे मज़ी से ख़ाली नहीं होता)। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने का यही मक़सद था। लेकिन औरतों की मौजूदगी की वजह से इस की सराहत नहीं की।

(देखिए : "फ़ैज़ुस् समाई शर्हे निसाई /118)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि वोह (ज़कर) तो सिर्फ़ उस के गोश्त की एक बोटी है, यानी उस के छूने से वुज़ू नहीं टूटता।

"عن ابن عباس قال ليس في مس الذكر وضوء"

(مؤطا محمد ٥٣)

नीज़ क़ाबिले ग़ौर बात है कि पेशाब पाख़ाना वग़ैरह जो "نجس العين" हैं, उन के छूने से जब वुज़ू नहीं टूटता तो ज़कर तो पाक है, उस के छूने की वजह से बदरजए ऊला नहीं टूटना चाहिए।

☆☆☆

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया कि ज़कर को छूने से वुज़ू नहीं टूटता।

عن ابن مسعود سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال ان كان نجسا فاقطعه۔

(مؤطا محمد ٥٤)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) से मस्से ज़कर की वजह से वुज़ू के बारे में पूछा गया तो आप (रज़ि.) ने फ़रमाया कि अगर ज़कर नापाक है तो उसे काट दो।

फ़ाइदा :-

मालूम हुआ कि मस्से ज़कर नाक़िज़े वुज़ू नहीं है।

नोट :

"मुअत्ता इमाम मुहम्मद 53-57" में मज़ीद "आसारे सहाबा" को देखा जा सकता है।

☆☆☆

(45) आक़िला, बालिग़ा का निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर दुरुस्त है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

आक़िला, बालिग़ा का निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर भी दुरुस्त है।

दलील :–

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

(अल्बक़रा /230)

तरजुमा :–

फिर अगर उस औरत को तलाक़ दी यानी तीसरी बार तो वोह औरत उस के लिए हलाल नहीं, जब तक कि उस के अलावा किसी और ख़ाविन्द से निकाह न करे।

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف.

(अल्बक़रा /230)

तरजुमा :–

तो तुम उन (औरतों) को उस अम्र से न रोको कि वोह अपने शौहरों से निकाह कर लें। जबकि बाहम सब क़ायदे के मुवाफ़िक़ रज़ामन्द हों।

فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسن بالمعروف.

(अल्बक़रा /234)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

दुरुस्त नहीं।

(देखिए : "फ़तावाए नज़ीरियह 400/2" और "तोहफ़तुल् अहवज़ी 197/4")

दलील :–

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 208/1" की इस रिवायत को इस्तिदलाल में पेश करते हैं :

عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولى.

हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बग़ैर वली के निकाह नहीं होता।

जवाब :–

यह है कि यहाँ वली से मुराद वोह शख़्स है जिस को विलायते बुज़आ हासिल है। मसलन सग़ीरह के लिए उस के वालिद, बान्दी के लिए उस के आक़ा, और आक़िला, बालिग़ा के लिए उस की ज़ात।

(देखिए : "तहावी शरीफ़ 8/2")

अब हदीस शरीफ़ का मतलब होगा कि नाबालिग़ा बच्ची का निकाह

तरजुमा :–

जब (वोह औरतें) अपनी इद्दत पूरी कर लें तो तुम को कुछ गुनाह न होगा, इस बात में कि वोह औरतें अपनी ज़ात के लिए कुछ कार्रवाई (निकाह की) करें, क़ायदे के मुवाफ़िक़।

फ़ाइदा :–

इन मज़कूरा तीनों आयतों के अन्दर निकाह की निस्बत ख़ुद औरत की तरफ़ की गई है, वली की तरफ़ नहीं, जिस से मालूम हुआ कि (आक़िला, बालिग़ा) औरत अपने निकाह की ख़ुद मुख़्तार है। वली की इजाज़त इसके लिए शर्त नहीं।

عن ابن عباس ان النبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم قال الایمُ احق بنفسها من ولیها.

(मुस्लिम 455/1, अबू दाऊद 284/1, तिर्मिज़ी 210/1, निसाई 64/2, मुअत्ता इमाम मालिक /189)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि रांड औरत अपने निकाह की ज़्यादा मुस्तहिक़ है, वली के मुक़ाबले में।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि आक़िला, बालिग़ा का उस के वालिद की इजाज़त के बग़ैर, बान्दी का निकाह उस के आक़ा की इजाज़त के बग़ैर और आक़िला, बालिग़ा का निकाह उस की अपनी इजाज़त के बग़ैर दुरुस्त न होगा।

दूसरा जवाब :–

यह है कि यह हदीस नाबालिग़ा बच्ची और मजनूना के बारे में है कि उन दोनों का निकाह वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है।

(देखिए : "हाशियाए मिश्कात 270")

यह लोग "तिर्मिज़ी शरीफ़ 208/1" ही की एक दूसरी रिवायत को भी दलील में पेश करते हैं :

عن عائشة ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم قال ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل.

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस औरत ने अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया उस का निकाह बातिल है, उस का निकाह बातिल है, उस का निकाह बातिल है।

इस हदीस शरीफ़ के चन्द जवाबात मुलाहज़ा फ़रमायें :

(1) ख़ुद हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) का अमल इस हदीस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप (रज़ि.) ने

निकाह वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ नहीं।

☆☆☆

अपने भाई हज़रत अब्दुर रहमान (रज़ि.) की लड़की का निकाह इन (हज़रत अब्दुर रहमान) की ग़ैर मौजूदगी में किया है, और उसूल यह है कि रावी का अमल अगर अपनी बयान करदा रिवायत के ख़िलाफ़ हो तो वोह रिवायत को बातिल कर देता है।

(دیکھئے: "الکفایة علی فتح القدیر ۳/۱۰۹)

लिहाज़ा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना दुरूस्त नहीं है।

(2) हज़रत आइशा (रज़ि.) का इस हदीस के ख़िलाफ़ अमल करना इस के मन्सूख़ होने की दलील है।

(دیکھئے: "العنایة علی الکفایة علی فتح القدیر ۳/۱۵۹")

(3) इस हदीस शरीफ़ का मदार हज़रत इमाम ज़ोहरी (रज़ि.) पर है हालांकि नस्स के मुख़ालिफ़ होने की वजह से उन्होंने इस का इन्कार किया है, लिहाज़ा इस को रद्द कर दिया जाएगा।

(دیکھئے: "العنایة علی الکفایة علی فتح القدیر، ۳/۱۵۹")

☆☆☆

(46) चाँदी, सोने के ज़ेवर में ज़कात है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

चाँदी सोने के ज़ेवरों में ज़कात फ़र्ज़ है।

दलील :-

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم و معها ابنة لها و في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطين زكوة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسوّرك الله بهما يوم القيمة سوارين من النار. الحديث

(अबू दाऊद शरीफ़ 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत अमर बिन शुऐब अपने वालिद से वोह अपने दादा से रिवायत नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उस के साथ उस की बेटी भी थी। जिस के हाथ में सोने के दो भारी कँगन थे। आप (सल्ल.) ने उस से फ़रमाया कि क्या तुम इस की ज़कात देती हो? उस ने कहा नहीं। तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया कि क्या तुम्हें यह पसन्द है कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन तुम को इन दोनों कँगनों के बदले आग के दो कँगन पहनाए।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।

(देखिए : "फ़तावाए सनाइयह 297/1")

عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس فى الحلى زكوٰة.

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि ज़ेवर में ज़कात नहीं है।

जवाब :-

इस का ग़ैर मुक़ल्लिदो के ही एक जय्यिद आलिम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) से लीजिए। मौसूफ़ पहले अपना मसलक लिखते हैं :

मेरे नज़दीक चाँदी और सोने के ज़ेवर में ज़ाहिर और राजेह क़ौल ज़कात के वुजूब का है, इस पर बहुत सी अहादीस दलालत करती हैं। और फिर इस हदीस का जवाब लिखते हैं: कि इस का जवाब दिया गया है कि यह हदीस बातिल है। इस की कोई असल नहीं। इमाम बैहिक़ी ने अपनी "معرفة" (किताब) के अन्दर फ़रमाया है कि जो हदीसे मरफ़ू "ليس فى الحلى زكوٰة" हज़रत जाबिर (रज़ि.)

से मरवी है वोह बातिल है, उस की कोई असल नहीं है।

(देखिए : "तोहफतुल् अहवज़ी 226/3")

नीज़ ग़ैर मुक़ल्लिदों ही के एक दूसरे जय्यिद आलिम अल्लामा सन्आई (रह.) भी चाँदी, सोने के ज़ेवर में वुजूबे ज़कात के क़ाइल हैं।

(देखिए : "सुबुलुस्सलाम 263/2)

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

☆☆☆

عن ام سلمة قالت كنت البس اوضاحاً من ذهب فقلت يا رسول اللّٰه اكنز هو فقال ما بلغ ان يؤدى زكٰوته فزكى فليس بكنز.

(अबू दाऊद शरीफ़ 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत उम्मे सल्मा (रज़ि.) फरमाती हैं कि मैं सोने का ज़ेवर पहनती थी, मैं ने पुछा या रसूलल्लाह क्या यह कन्ज़ है .... आप ने इरशाद फरमाया कि जो निसाब ज़कात को पहुँच जाए और उस की ज़कात अदा कर दी जाए तो वोह कन्ज़ नहीं है।

عن عبد الله بن شداد ابن الهاد انه قال دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فراى فى يدى فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول اللّٰه قال اتؤدين زكٰوتهن قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار.

(अबू दाऊद 218/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद (रज़ि.) फरमाते हैं कि हम ज़ौजए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास आए तो हज़रते सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मेरे हाथ में सोने की अँगूठी देख कर फरमाया ऐ आइशा यह क्या है? मैं ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ने इस को इस लिए पहना है ताकि मैं इस के ज़रीए आप (सल्ल.) के वास्ते ज़ीनत करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस की ज़कात देती हो? मैं ने कहा नहीं तो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद

फ़रमाया कि यह तुझ को जहन्नम के लिए काफ़ी है।

फ़ाइदा :–

इन तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि चाँदी, सोने के ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है।

☆☆☆

(47) मिट्टी खाना जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

मिट्टी खाना जाइज़ नहीं।

दलील :–

عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم من اکل الطین فکانما اعان علی قتلِ نفسه۔

(सुनने बैहक़ी 12/10)

तर्जुमा :–

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस शख़्स ने मिट्टी खाई गोया उस ने अपने आप को क़तल करने में इआनत की।

عن سلیمان من اکل الطین حوسب علی ما نقص من لونه و نقص من جسمه۔

(کنز العمال علی مسند احمد ۶/۱۹۱)

हज़रत सुलैमान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जिस शख़्स ने मिट्टी खाई, उस से उसके रंग और जिस्म में जो नुक़्स पैदा होगा, उस से उसका हिसाब लिया जाए गा।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि मिट्टी खाने की वजह से बदन को ज़रर पहुँचता है, लिहाज़ा इस का खाना जाइज़ न होगा।

☆☆☆

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

जाइज़ है।

नवाब साहब भोपाली फ़रमाते हैं:

"واما اکل التراب پس در منع ازاں دلیلے نیامده"

(अरफ़ुल् जादी 237 बहवाला मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /350)

यानी मिट्टी खाने की मुमानअत पर कोई दलील नहीं आई।

जवाब :–

दलील तो मौजूद है, देखिए मसलके अहनाफ़।

☆☆☆

(48) मुज़्तर के लिए हराम चीज़ का भर-पेट खाना जाइज़ है या नहीं?

मसलके अहनाफ़

बक़दरे ज़रूरत जिस से जान बच सके खाना जाइज़ है। पेट भर कर नहीं।

दलील :-

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه.

(अलबक़रा /173)

तरजुमा :-

जो शख़्स बेताब हो जाए बशर्तेकि न तो तालिबे लज़्ज़त हो और न तजावुज़ करने वाला हो (ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला न हो) तो उस पर कोई गुनाह नहीं यानी हराम चीज़ के खाने में।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

भर-पेट खाना जाइज़ है।

नवाब साहब हैदराबादी फ़रमाते हैं :

"ومن اضطر جاز له اكل المحرم ولو الى الشبع"

(कन्ज़ुल् हक़ाइक़ /187 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /329)

यानी जो शख़्स हराम खाने पर मजबूर हो जाए, उसके लिए जाइज़ है कि वोह पेट भर कर ख़ूब आसूदा होकर भी खा सकता है।

अल्लाह जाने इन की क्या दलील है।

☆☆☆

फ़ाइदा :-

रईसुल् मुफ़स्सिरीन हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) "ولا عاد" (हद से तजावुज़ करने वाला न हो) की तफ़सीर "ولا يشبع منها" से करते हैं यानी पेट भर कर न खाए, चुनांचे देखिए - "तफ़सीर इब्ने कसीर 205/1" इस में है :

"ولا عاد عن ابن عباس لا يشبع منها"

इस से मालूम हुआ कि हालते इज़्तिरार में बक़दरे ज़रूरत ही खाना जाइज़ है, पेट भर आसूदा होकर खाना जाइज़ नहीं।

☆☆☆

(49) नमाज़े ईदैन में तकबीराते ज़वाइद 6 हैं या 12

मसलके अहनाफ़

नमाज़े ईदैन में तकबीरात ज़वाइद छः 6 हैं।

दलील :-

عن ابی عائشة جلیس لابی هریرة ان سعید بن العاص سأل ابا موسیٰ الاشعری و حذیفة ابن الیمان کیف کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم یکبر فی الاضحی و الفطر فقال ابو موسیٰ کان یکبر اربعاً تکبیرةً علی الجنائز فقال حذیفة صدق فقال ابو موسیٰ کذلك اکبر فی البصرة حیث کنت علیهم۔

(अबू दाऊद 163/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू आइशा से रिवायत है जो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के हम नशीं हैं कि हज़रत सईद बिन अल-आस (रज़ि.) ने हज़रत अबू मूसा अल-अश्अरी (रज़ि.) और हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (नमाज़े) ईदुल् अज़्हा और ईदुल् फ़ित्र में तकबीर किस तरह कहते थे, हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) ने फ़रमाया कि नमाज़े जनाज़ा की तरह चार तकबीर कहते थे (हर रकअ़त में चार तकबीर रुकू

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

तकबीराते ज़वाइद 12 बारह हैं।

(देखिए : "फ़तावाए नज़ीरियह 630/1 और फ़तावाए सनाइयह 613/1)

यह लोग चन्द हदीसों को दलील में पेश करते हैं हालांकि इन में से एक हदीस भी सही सनद के साथ मरवी नहीं है, मुलाहज़ा फ़रमाइये।

पहली हदीस :

عن عبد اللّٰه عن ابیه عن جده ان النبی صلی الله علیه و سلم کبر فی العیدین فی الاولیٰ سبعاً قبل القرأة و فی الآخرة خمساً قبل القرأة۔

(तिर्मिज़ी 119/1)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (नमाज़े) ईदैन की पहली रकअ़त में किराअत से पहले सात तकबीरें कहीं और दूसरी रकअ़त में भी किराअत से पहले पाँच तकबीरें कहीं।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस की सनद में एक रावी कसीर इब्ने अब्दुल्लाह ज़ईफ़ हैं।

(देखिए : "मआरिफ़ुस् सुनन 436/4")

चुनांचे इस के बारे में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं कि

की तकबीर के साथ) तो हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि अबू मूसा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैं इसी तरह तकबीर कहता था जब मैं बसरा में अमीर था।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम (रज़ि.) का नमाज़े ईदैन में छः तकबीरात ज़वाइद कहने का मामूल था।

عن عبد الله بن مسعود قال التكبير في العيدين اربع كالصلوٰة على الميت.

(तिबरानी 305/9, मज्मउल् हदीस 9522)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ईदैन में (नमाज़े ईदैन की हर रकअत में रूकू की तकबीर के साथ) चार तकबीरें हैं, नमाज़े जनाज़ा की तरह।

फ़ाइदा :-

इससे भी मालूम हुआ कि नमाज़े ईदैन में तकबीराते ज़वाइद छः हैं।

☆☆☆

यह मुन्किरुल् हदीस है।

इमाम अबू हातिम फ़रमाते हैं : मुन्किरुल् हदीस है नीज़ ज़ईफ़ुल् हदीस है।

इमाम निसाई (रह.) फ़रमाते हैं कि मतरूकुल् हदीस है।

और इमाम हाकिम (रह.) फ़रमाते हैं कि उन से मरवी बहुत सारी रिवायात के बारे में दिल गवाही देता है कि वोह मौज़ू हैं।

قال البخاری منكر الحديث وقال ابو حاتم منكر الحديث، ضعيف الحديث.....وقال النسائی، متروك.....قال الحاكم..... روى عنه احاديث يشهد القلب انها موضوعة.

(تهذيب التهذيب ٨/٤١٨)

और तक़रीबुत् तहज़ीब /309 में हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी (रह.) मुख़्तसर यूँ लिखते हैं :

"كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنی المدنی ضعيف من السابعة."

नोट :

तरजुमा ऊपर ज़िक्र कर दिया गया है।

इन के बारे में हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) और इमाम दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि वोह झूठ के अरकान में से एक रुक्न है।

हज़रत इब्ने हिब्बान फ़रमाते हैं : उन के पास "عن ابيه عن جده" का एक मौज़ू (गढ़ा हुआ) नुस्ख़ा था।

قال الشافعیؒ و ابو داؤدؒ انه رکن من ارکان الکذکب و قال ابن حبان له نسخة موضوعة عن ابیه عن جده.

(نیل الاوطار ۲/۲۹۸)

दूसरी हदीस :

ان النبی صلی الله علیه وسلم کبر فی عید۔ ثنتی عشرة تکبیرة سبعا فی الاولی و خمساً فی الآخرة.

(اخرجه احمد و ابن حبان کما فی تحفة الاحوذی ۲/۶٦)

तरजुमा :-

हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद में बारह तकबीरें कहीं, सात पहली रकअत में और पाँच दूसरी रकत में।

जवाब :-

इस हदीस की सनद भी मज़बूत नहीं क्योंकि इस का मदार "عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفی" पर है जिस को मुहद्दिसीने इज़ाम ने ज़ईफ़ करार दिया है।

(دیکھئے : آثار السنن ۲۹٤/۱، تعلیق الاحسن علی آثار السنن ۲۹٤، و معارف السنن ۲۳۸/٤)

चुनांचे इमाम अबू हातिम इन के बारे में फ़रमाते हैं :

"لیس بقوی لین الحدیث" यानी मज़बूत रावी नहीं है, لین الحدیث है।

हज़रत इमाम निसाई (रह.) भी यही फ़रमाते हैं :

"لیس بذالك القوی" यानी यह रावी मज़बूत नहीं है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं :

"فیه نظر" यानी इस में नज़र यानी कमज़ोरी है।

(देखिए : "तहज़ीबुत तहज़ीब 299/5")

تقریب التهذیب ص : ۳۰۵، पर है। عبد الله بن عبد الرحمٰن بن یعلی بن کعب الطائفی یعلی الثقفی صدوق و یخطی و نهیم من السابقة.

तीसरी हदीस :

عن عائشة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یکبر فی الفطر و الاضحیٰ

فی الاولی سبع تکبیرات و فی الثانیة خمساً۔

(اخرجه ابو داؤد کما فی تحفة الاحوذی ۲/۱۰)

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल् फ़ित्र और ईदुल् अज़्हा की पहली रकअत में सात तकबीरें और दूसरी रकअत में पाँच तकबीरें कहते थे।

जवाब :–

इस की सनद भी मज़बूत नहीं है क्योंकि इस की सनद में एक रावी "عبد الله ابن لهيعه" हैं जिस को हज़राते मुहद्दिसीने किराम ने ज़ईफ़ क़रार दिया है।

चुनांचे हज़रत इब्ने मुईन (रह.), इमाम अबू हातिम, और हज़रत इमाम अबू ज़रआ (रह.) ने इस की तज़ईफ़ की है।

(देखिए : अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) की किताब "तहज़ीबुत् तहज़ीब 378/5")

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने "كتاب العلل" के अन्दर बयान फ़रमाया है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीस शरीफ़ को ज़ईफ़ क़रार दिया है।

وذکر الترمذی فی "کتاب العلل" ان البخاری ضعف هذا الحدیث۔

(دیکھئے "نیل الاوطار ۲:۵۹۹")

नीज़ ग़ैर मुक़ल्लिदों के ही मशहूर आलिम शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने इस का एतराफ़ किया है। चुनांचे मौसूफ़ "तोहफ़तुल् अहवज़ी /653" पर तहरीर फ़रमाते हैं :

"وفی اسناده ابن لهیعة وهو ضعیف"

यानी इस की सनद में (एक रावी) इब्ने लुहैआ हैं जो कि ज़ईफ़ हैं। हाकज़ा।

(فی نیل الاوطار ۲/۵۹۹)

☆☆☆

(50) देहात के छोटे–छोटे गाँवों में नमाज़े जुमा दुरुस्त है या नहीं

मसलके अहनाफ़

दुरुस्त नहीं है।

दलील :–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. آية.

(الجمعة:ر١٠)

तरजुमा :–

ऐ ईमान वालों जब जुमे के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो ज़िकरुल्लाह की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद–व–फ़रोख़्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।

फिर जब नमाज़ (जुमा) हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल (रोज़ी) तलाश करो।

फ़ाइदा :–

इस आयते करीमा से साफ़ इशारा मिलता है कि जुमा ऐसी जगह होता है जहाँ ख़रीद–व–फ़रोख़्त होती हो, और जहाँ आदमी रोज़ी तलाश कर सके।

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

दुरुस्त है ("फ़तावाए सनाइयह 612/1")

दलील :–

यह लोग चन्द हदीसों को दलील में पेश करते हैं, आप हर हदीस को मअ़ जवाब मुलाहज़ा फ़रमायें :

पहली हदीस :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ان اول جمعة جمعت فى الاسلام بعد جمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم باالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس.

(ابو داؤد:١/١٥٣)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि इस्लाम में मदीना मुनव्वरा के अन्दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में पढ़े जाने वाले जुमे के बाद जो जुमा सब से पहले पढ़ा गया वोह वोह जुमा है जो बैहरैन के क़रयह जवासा में पढ़ा गया।

हज़रत इमाम उस्मान (जो इब्ने अबी शैबा इमामे दाऊद के उस्ताद हैं) फ़रमाते हैं कि वोह अब्दे क़ैस के

ज़ाहिर है कि यह बात सिर्फ़ शहर को हासिल है गाँव को नहीं।

عن عائشة زوج النبی صلی اللّٰه علیه وسلم قالت کان الناس ینتابون الجمعة من منازلهم و العوالی۔

(बुख़ारी शरीफ़ 123/1)

तरजुमा :-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजए मोहतरमा हज़रत आइशा सिद्दीक़ः (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि लोग अपने घरों और अवाली से जुमा पढ़ने के लिए (मदीना तय्यिबा में) बारी बारी आते थे।

नोट :

अवाली वोह गाँव और जगहें हैं जो मदीना तय्यिबा से मशरिक़ की जानिब तक़रीबन आठ मील के फ़ासले पर या उस से कम फ़ासले पर आबाद थीं।

(देखिए : "हाशियाए बुख़ारी 123/1")

फ़ाइदा :-

उन लोगों का मदीना तय्यिबा जुमे के लिए बारी बारी आना दो बातों की तरफ़ इशारा करता है।

(1) उन गाँव वालों के ऊपर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी वरना यह लोग बारी बारी न आते बल्कि सब लोग आते।

(2) अवाली के अन्दर जुमा नहीं क़रयों में से एक क़रया है।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि इस हदीस शरीफ़ के अन्दर जवासा के लिए लफ़्ज़े "قـــرية" का इस्तेमाल हुआ है और "قرية" के मआनी आते हैं गाँव के जिस से मालूम हुआ कि जवासा गाँव था जिसमें नमाज़े जुमा पढ़ी गई, पस साबित हो गया कि गाँव में नमाज़े जुमा दुरुस्त है।

जवाब :-

यह है कि मज़कूरा हदीस से इन लोगों का इस्तिदलाल दो दावों पर मबनी है।

(1). लफ़्ज़े "قـــرية" के मआनी "गाँव" के आते हैं।

(2). जवासा जहाँ नमाज़े जुमा पढ़ी गई वोह गाँव था।

आप बित्तरतीब दोनों का जवाब मुलाहज़ा फ़रमायें।

हम आपके सामने दोनों की तहक़ीक़ पेश करते हैं।

लफ़्ज़े "قرية" की तहक़ीक़ :

लफ़्ज़े "قـــــرية" के मआनी अगरचे गाँव के आते हैं, मगर यह लफ़्ज़ बसा औक़ात शहर के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि क़ुरआने करीम में مكّة المكرّمة और طائف के लिए लफ़्ज़े "قرية" का इस्तेमाल किया है। हालांकि यह दोनों बिल्‌इत्तिफ़ाक़

होता था, वरना यह लोग जुमे के लिए मदीना तय्यिबा न आते बल्कि अपने वहीं पढ़ लेते।

मालूम हुआ कि जुमा देहात के छोटे-छोटे गाँवों में दुरुस्त नहीं। हाँ बड़े गाँव और कस्बे को उलमा ने शहर के साथ लाहिक़ किया है, लिहाज़ा इनमें नमाज़े जुमा जाइज़ है।

एक मरतबा हज़रत उस्मान (रज़ि.) के ज़माने में ईदुल् अज़्हा के दिन जुमा पड़ गया, तो आप (रज़ि.) ने नमाज़े ईदुल् अज़्हा पढ़ाने के बाद फ़रमाया :

يا يها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيد ان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالي فلينتظر و من احب ان يرجع فقد اذنتُ له.

(बुख़ारी शरीफ़ 835/2)

तरजुमा :-

ऐ लोगों! बिला शुबहा तुम्हारे लिए इस दिन में दो ईदैन (ईदुल् अज़्हा और जुमा) जमा हो गई हैं, पस जो शख़्स अहले अवाली में से जुमे का इन्तिज़ार करना चाहे वोह इन्तिज़ार करे और जो शख़्स (घर) लौटना चाहे तो मैं उस के लिए इजाज़त देता हूँ।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि अहले अवाली पर जुमा वाजिब न था वरना हज़रत उस्मान (रज़ि.) उन को बग़ैर जुमा पढ़े घर शहर हैं।

"ولا شك ان مكة مصر و كذا الطائف".

(التعليق الحسن على آثار السنن: ٤٤٦)

यानी इस में कोई शक नहीं कि "मक्का" और "ताइफ़" दोनों शहर हैं, दोनों से मुतअल्लिक़ आयत मुलाहज़ा फ़रमायें। बारी तआला इरशाद फ़रमाते हैं :

"وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم".

(زخرف: ٣١)

तरजुमा :-

उन्होंने (काफ़िरों ने) कहा कि यह क़ुरआन दोनों बस्तियों (मक्का व ताइफ़) में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया।

नीज़ क़ुरआने मुक़द्दस ने एक दूसरे शहर "انطاكيه" के लिए भी लफ़्ज़े "قرية" का इस्तेमाल किया है। चुनांचे इरशादे बारी तआला है।

"واضرب لهم مثلاً اصحب القرية اذ جآئها المرسلون". (يس: ١٣)

तरजुमा :-

और आप (सल्ल.) इन के सामने "قرية" वालों की एक मिसाल बयान कीजिए, जबकि उनके पास रसूल आए।

यहाँ "قرية" से मुराद शहर "انطاكية" है, चुनांचे इमामुल् मुफ़स्सिरीन हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.),

जाने की इजाज़त न देते।

قال على لا جمعة ولا تشريق الا فى مصر جامع۔

(رواية البيهقى فى سننة:٣/١٧٩)

तरजुमा :-

हज़रत अली (रज़ि.) ने इरशाद फ़रमाया कि जुमा और तशरीक़ सिर्फ़ मिस्रे जामे यानी शहर में है।

عن حذيفة ليس على اهل القرى جمعة انما الجمعه على اهل الامصار مثل المدائن۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 439/1)

तरजुमा :-

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि गाँव वालों पर जुमा नहीं, जुमा तो शहर वालों पर ही है जैसे मदाइन।

عن ابى هريرة خمسة لا جمعة عليهم المراة والمسافر و العبد والصبى و اهل البادية۔

(كنز العمال على مسند احمد:٣/٢٢٨)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि पाँच तरह के लोगों पर जुमा नहीं, औरत, मुसाफ़िर, गुलाम, बच्चा और देहात वालों पर।

फ़ाइदा :-

इन आसारे सहाबा (रज़ि.) से भी मालूम हुआ कि सेहते जुमा के लिए शहर, कस्बा, या कम से कम बड़ा गाँव जो कस्बे के मिस्ल हो,

कअब अहबार और वहब बिन मुन्बह इस की तफ़सीर में फ़रमाते हैं :

انها مدينة انطاكية (तफ़सीर इब्ने कसीर :566/3) यानी इससे मुराद शहर "انطاكية" है।

जवासा की तहक़ीक़ :-

जवासा के बारे में ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात कहते हैं कि यह गाँव था, हालांकि यह सरासर ग़लत है। यह गाँव नहीं था, बल्कि शहर था। चुनांचे अबू उबैदुल् बकरी (रह.) अपनी किताब "معجم البلدان :١٧٤٢" में तहरीर फ़रमाते हैं।

جواثا حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمى فى ايام ابى بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه سنة ١٢ عنوة۔

यानी "जवासा" "बैहरैन" के अन्दर अब्दुल् क़ैस का किला था, जिसको हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के ज़माने में सन-12 हिजरी के अन्दर علاء بن الحضرمى ने عنوة फ़तह किया।

وقال ابن الاعرابى جواثا مدينة الخط۔

और इब्नुल् आराबी ने फ़रमाया कि जवासा ख़त का शहर है।

امام جوهرىؒ، امام زمخشرىؒ، और ابن الاثيرؒ फ़रमाते हैं।

होना ज़रूरी है जैसे हमारे यहाँ गुलाल्ला, शिकरावा वग़ैरा बड़े गाँव हैं। छोटे-छोटे गाँवों में जुमा दुरुस्त नहीं।

नोट :

जिन जगहों पर नमाज़े जुमा दुरुस्त नहीं वहाँ ईदैन की नमाज़ पढ़ना जाइज़ न होगा, क्योंकि जुमा व ईदैन दोनों के शराइत एक हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

☆☆☆

"ان اسم حصن البحرين"-

(नीलुल् अवतार :514/2)

यानी "जवासा" "बैहरैन" के एक किले का नाम है।

ज़ाहिर है कि किला सिर्फ़ शहरों में होता है, गाँवों में नहीं।

(هكذا فى "آثار السنن: ٤٤٧-٤٤٨"، "التعليق الحسن على الآثار السنن: ٤٤٨")

मालूम हुआ कि हदीस शरीफ़ में जिस जगह जुमा पढ़ने का ज़िक्र है वोह गाँव नहीं था बल्कि शहर था।

लिहाज़ा इस हदीस को इस्तिदलाल में पेश करना सही नहीं है।

दूसरी हदीस शरीफ़ जिसको यह लोग दलील में पेश करते हैं "अबू दाऊद शरीफ़ :153/1" की यह रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान अपने वालिद कअब बिन मालिक (रज़ि.) के मुतअल्लिक़ फ़रमाते हैं :

انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بناهزم النبيت من هرة بنى بياضة فى نقيع يقال له نقيع الخضمات قلتُ كم كنتم يومئذٍ قال اربعون.

तरजुमा :-

हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) जब जुमे के दिन अज़ान की आवाज़ सुनते तो हज़रत अस्अद बिन ज़ुरारह (रज़ि.) के लिए रहमत की दुआ करते। हज़रत अब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं कि मैं ने अपने वालिद से इस की वजह पूछी कि जब आप (रज़ि.) अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो हज़रत अस्अद बिन ज़ुरारह के लिए रहमत की दुआ करते। तो उन्होंने फ़रमाया क्योंकि वोह ही पहले शख़्स हैं, जिन्होंने هرةْ بنى بياضه के अन्दर मक़ामे هزم النبيت में हमें जुमे की नमाज़ पढ़ाई। نقيع "هرةْ بنى بياضه" के अन्दर है जिसे نقيع الخضمات कहा जाता है।

हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं ने कहा कि आप लोग उस दिन कितने थे? उन्होंने फ़रमाया चालीस (40)।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस शरीफ़ को भी इस्तिदलाल में पेश करना दुरुस्त नहीं है

क्योंकि इन हज़रात ने यह जुमा महज़ अपने इज्तेहाद से फ़र्ज़ियते जुमा से पहले पढ़ा था, न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से।

चुनांचे अल्लामा नीमवी (रह.) "آثار السنن :٤٤٨/" में तहरीर फ़रमाते हैं:

ان تجميعهم هذا كان برأيهم قبل ان تشرع الجمعة لا بامر النبي ﷺ

यानी इन लोगों ने यह जुमा मशरूइयते जुमा से पहले महज़ अपनी राए से पढ़ा था, न कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से।

इस की तफ़सील "نيل الاوطار" बहवालह "مصنف عبد الرزاق :٥٤٤/"، "تلخيص الحبير :٢/٦٠" नीज़ :٢/٥١٠" की रिवायत में मौजूद है जो बसनदे सहीह मरवी है जिस में वज़ाहत है कि इन हज़रात ने यह जुमा मशरूइयते जुमा से पहले पढ़ा था।

जिस को इस की तफ़सील देखनी हो वोह इन मज़कूरा किताबों में देख ले। यहाँ तिवालत के ख़ौफ़ की वजह से तफ़सील को तर्क किया जाता है।

दूसरा जवाब :-

यह है कि इस हदीस की सनद में एक रावी "मुहम्मद बिन इस्हाक़" हैं। जो متكلم فيه चुनांचे ग़ैर मुक़ल्लिदों के ही एक मशहूर आलिम क़ाज़ी शौकानी (रह.) अपनी किताब "نيل الاوطار٢/٥٠٩" में तहरीर फ़रमाते हैं :

"و في اسناده محمد بن اسحاق و فيه مقال مشهور."

यानी इसकी सनद में "मुहम्मद बिन इस्हाक़" हैं। जिसके बारे में कलाम मशहूर है।

तीसरा जवाब :-

यह सहाबी का फ़ेअल है, जो ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ हुज्जत नहीं।

तीसरी हदीस :

जिसको यह लोग दलील में पेश करते हैं, यह है।

"عن كعب بن عجرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم جمع فى اول جمعة حين قدم المدينة فى مسجد بنى سالم."

(تاريخ المدينة :١/٦٨ كما فى التعليق الحسن :٤٤٩/ على آثار السنن)

तरजुमा :-

हज़रत कअब बिन उजरा (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कि नबीए करीम (सल्ल.) ने

सबसे पहले जुमे की नमाज़, जब आप (सल्ल.) मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, मस्जिदे बनी सालिम में पढ़ी।

वजहे इस्तदलाल यह है कि बनी सालिम एक छोटा सा गाँव था।

जवाब :–

यह है कि मुहल्ला बनी सालिम मदीना तय्यिबा के मज़ाफात में दाख़िल था, लिहाज़ा इसमें नमाज़े जुमा अदा करना मदीना तय्यिबा में अदा करने के हुक्म में है। यही वजह है कि सीरत की किताबों में "اول جمعة صلاها بالمدينة" यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा मदीना तय्यिबा में पढ़ा। के अल्फ़ाज़ आए हैं "حيث قالوا فكانت اول جمعة صلاها بالمدينة" (التعليق الحسن على آثار السنن: ١/٥٤) यानी उलमा ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा मदीना तय्यिबा में पढ़ा।

चौथी हदीस :–

जिसको यह लोग दलील में पेश करते हैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की यह है :

"انهم كتبوا الى عمر رضى الله تعالىٰ عنه يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث ما كنتم۔"

यानी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फरमाते हैं कि उन्होंने जुमे की नमाज़ के बारे में पूछने के लिए हज़रत उमर (रज़ि.) के पास ख़त लिखा तो उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि तुम नमाज़े जुमा पढ़ो, जहाँ कहीं भी हो।

जवाब :–

अल्लामा ऐनी (रह.) इस के जवाब में फरमाते हैं कि "جمعوا حيث ما كنتم" के मानी हैं "جمعوا حيث ما كنتم من الامصار"

(आसारुस् सुनन :456)

यानी तुम जुमा पढ़ो जहाँ कहीं भी तुम शहर में हो। वल्लाहु आलम।

दूसरा जवाब :–

यह है कि ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ सहाबी (रज़ि.) का क़ौल हुज्जत नहीं है। लिहाज़ा उन का सहाबी के क़ौल को दलील में पेश करना दुरुस्त नहीं।

☆☆☆

(51) इमाम के पीछे मुक़्तदी का सूरते फ़ातिहा पढ़ना कैसा है?

मसलके अहनाफ़

मुक़्तदी का इमाम के पीछे सूरते फ़ातिहा का पढ़ना जाइज़ नहीं।

दलील :–

و اذا قرئ القران فاستمعوا لهٗ و انصتوا لعلكم ترحمون.

(الاعراف ۲۰٤)

तरजुमा :–

और जब क़ुरआन पढ़ा जाए तो उस को कान लगा कर सुनो और तवज्जोह के साथ बिल्कुल ख़ामोशी इख़्तियार कर लो ताकि तुम पर रहम किया जाए।

फ़ाइदा :–

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि बवक़्ते क़िराअत इस को ग़ौर से सुनना और ख़ामोशी इख़्तियार करना ज़रूरी है। लिहाज़ा इमाम की क़िराअत के वक़्त मुक़्तदी का क़िराअत करना जाइज़ न होगा बल्कि इमाम की क़िराअत को सुनना ज़रूरी होगा।

यह आयते करीमा नमाज़ ही से मुतअल्लिक़ नाज़िल हुई, चुनांचे देखिए "सुनने बैहक़ी 155/2" की यह रिवायत।

"عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في.

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

मुक़्तदी के लिए सूरते फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर नमाज़ न होगी।

(फ़तावाए नज़ीरियह : 398/1)

यह लोग चन्द हदीसों को इस्तिदलाल में पेश करते हैं आप हर हदीस को मअ जवाब मुलाहज़ा फ़रमाइये।

पहली हदीस :

عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صلٰوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

(बुख़ारी शरीफ़ : 104/1)

तरजुमा :–

हज़रत उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो सूरते फ़ातिहा न पढ़े।

जवाब :–

यह है कि यह हदीस इमाम और मुन्फ़रिद (अकेला) के बारे में है, मुक़्तदी के बारे में नहीं है। और यह

الصلاة فسمع قرأة فتى من الانصار فنزلت "واذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا."

तरजुमा :–

हज़रत मुजाहिद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के अन्दर क़िराअत फ़रमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्सार में से एक नौजवान की क़िराअत सुनी तो आयते करीमा "و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا" नाज़िल हुई :

रईसुल् मुफ़स्सिरीन हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) भी यही फ़रमाते हैं कि यह आयते करीमा नमाज़ के बारे में नाज़िल हुई है।

"عن ابن عباس..... هذا في الصلوة."

(सुनने बैहक़ी : 155/2)

عن ابى موسىٰ الاشعري (في حديث طويل) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا و علمنا صلوتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فإذا كبر فكبروا وفي رواية أخرىٰ وإذا قرأ فأنصتوا. قال مسلم هذا عندي صحيح.

(मुस्लिम शरीफ़ 174/1)

तरजुमा :–

हज़रत अबू मूसा अशअरी

बात हम अपनी तरफ़ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि सहाबीए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर (रज़ि.) इस हदीस शरीफ़ का यही मतलब बयान फ़रमाते हैं। चुनांचे देखिए (तिर्मिज़ी 71/1)

"من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا ان يكون وراء الامام."

तरजुमा :–

कि जिस ने कोई रकअत पढ़ी जिसमें उस ने सूरते फ़ातिहा को नहीं पढ़ा तो उस की नमाज़ न होगी। मगर यह कि वोह इमाम के पीछे हो।

हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के बारे में फ़रमाते हैं :

"ان هذا اذا كان وحدهٗ."

यानी यह हदीस उस सूरत में है जबकि नमाज़ी मुन्फ़रिद हो, यानी अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो, इमाम के पीछे न हो।

नीज़ हज़रत सुफ़यान सौरी (रह.) भी इस हदीस को मुन्फ़रिद ही के हक़ में मानते हैं।

(دیکھئے : "التعليق الحسن على آثار السنن : ١٥٨")

लिहाज़ा मालूम हुआ कि यह हदीस ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मस्लक पर सरीह नहीं, अगरचे सही है।

(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने तक़रीर फ़रमायी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने हमारी सुन्नत को बयान किया और हमें हमारी नमाज़ सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो तुम अपनी सफ़ों को सीधी रखो और फिर तुम में से कोई इमामत करे। पस जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और एक दूसरी रिवायत में (यह भी) है कि जब इमाम किराअत करे तो तुम ख़ामोश हो जाओ।

हज़रत इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं कि "وَاِذَا قَرَاَ فَانْصِتُوا" मेरे नज़दीक सही है।

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه و سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا و اذا قرأ فانصتوا.

(نسائی ۱/۱۰۷، ابن ماجه ۶۱، مسند احمد ۳/۱۹۷، سنن دارمی ۱/۳۲۷)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि इमाम इसी लिए मुक़र्रर किया जाता है कि उस की इक्तिदा की जाए। लिहाज़ा जब वोह

दूसरा जवाब :-

यह है कि "لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" में "فصاعدا" की ज़्यादती सही रिवायत से साबित है। "قد صح فيه زيادة قوله : فصاعداً"

(मआरिफ़ुस सुनन : 222/3)

इस का एतराफ़ ग़ैर मुक़ल्लिदों के शैख़ुल् इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल् वफ़ा सनाउल्लाह साहब अमरतसरी (रह.) ने भी दबी ज़बान से किया है।

चुनांचे मौसूफ़ एक साइल के जवाब में तहरीर फ़रमाते हैं :

"सूरहे फ़ातिहा की तो ताकीद मज़ीद है। एक हदीस में "فصاعداً" का लफ़्ज़ आया है।

(फ़तावाए सानियह : 587/1)

गोया अब पूरी हदीस शरीफ़ इस तरह हुई :

"لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً"

यानी इस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो सूरते फ़ातिहा और कुछ ज़ाइद यानी सूरह न पढ़े।

इससे मालूम हुआ कि सूरत मिलाने का भी वही हुक्म है जो सूरहे फ़ातिहा का है।

"فما هو جوابكم فی ضم السورة فهو جوابنا فی الفاتحة"

तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वोह क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश हो जाओ।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि मुक़्तदी के लिए इमाम के पीछे क़िराअत करना जाइज़ नहीं।

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرأة الامام له قرأة۔

(इब्ने माजा /61, मुस्नद अहमद 339/3, सुनने बैहक़ी /159/2, सुनने दारे क़ुतनी 323/1)

तरजुमा :–

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिसके लिए इमाम हो यानी जो इमाम के पीछे हो, पस उस के लिए क़िराअत इमाम की क़िराअत है यानी उस के लिए इमाम की क़िराअत काफ़ी है।

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام، "غير المغضوب عليهم و لا الضالين" فقولوا آمين۔

(बुख़ारी : 108/1)

तरजुमा :–

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

हासिल यह है कि हमारे ग़ैर मुक़ल्लिदीन भाई इमाम के पीछे सूरहे फ़ातिहा के पढ़ने के वुजूब के क़ाइल हैं, मगर सूरत मिलाने के नहीं। जबकि हदीस शरीफ़ में "فصاعداً" की ज़्यादती से ज़म्मे सूरत (यानी सूरत मिलाने) का वुजूब भी साबित होता है।

अब जो जवाब ग़ैर मुक़ल्लिदीन ज़म्मे सूरत का देंगे, वही जवाब हमारा सूरहे फ़ातिहा के बारे में होगा।

मुम्किन है कि यह हज़रात इस का यह जवाब दें कि यह हदीस मुक़्तदी के बारे में नहीं है, बल्कि मुन्फ़रिद या इमाम के हक़ में है। बस हमारा मुद्दआ साबित हो गया।

दूसरी हदीस :–

हदीस शरीफ़ जिस को यह लोग दलील में पेश करते हैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की है।

"من صلى صلوٰة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج ثلاثاً غير تمام فقيل لابى هريرة انا نكون وراء الامام قال اقرأ بها فى نفسك۔"

(मुस्लिम शरीफ़ : 169/1)

तरजुमा :–

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया

इरशाद फ़रमाया कि जब इमाम "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" कहे तो आमीन कहो।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि मुक़तदी इमाम के पीछे किराअत नहीं करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़तदी के "آمين" कहने को इमाम के "ولا الضالين" कहने पर मुअल्लक़ किया है। अगर मुक़तदी के ज़िम्मे "सूरहे फ़ातिहा" का पढ़ना वाजिब होता तो आप (सल्ल.) मुक़तदी के "آمين" कहने को इमाम के "ولا الضالين" के कहने पर मुअल्लक़ न फ़रमाते। बल्कि ख़ुद मुक़तदी के "ولا الضالين" कहने पर मुअल्लक़ फ़रमाते हैं। मालूम हुआ कि मुक़तदी इमाम के पीछे किराअत नहीं करेगा।

عن ابی هريرة ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة.

(बुख़ारी शरीफ़ : 82/1)

तरजुमा :-

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस ने नमाज़ की रकअत (रुकू) को पा लिया, उसने

कि जिस शख़्स ने कोई नमाज़ पढ़ी और इसमें सूरहे फ़ातिहा का नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज़ नामुकम्मल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात तीन बार फ़रमायी। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा गया कि हम कभी इमाम के पीछे होते हैं (तो क्या करें) आप (रज़ि.) ने फ़रमाया कि इस (सूरहे फ़ातिहा) को अपने दिल ही दिल में पढ़ लिया कीजिए।

जवाब :-

यह है कि इस हदीस शरीफ़ को चन्द वुजूह की बुनियाद पर ग़ैर मुक़ल्लिदीन का दलील में पेश करना दुरुस्त नहीं।

(1) हदीस शरीफ़ से सिर्फ़ इतना साबित होता है कि मुक़तदी इमाम के पीछे सूरहे फ़ातिहा को सिर्फ़ दिल ही दिल में पढ़े। ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ न करे। जबकि उन लोगों का दावा यह है कि मुक़तदी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ करे, लिहाज़ा इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं।

(2) इस हदीस शरीफ़ के दो जुज़ हैं : एक मरफ़ू (हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित) जिसमें सिर्फ़ इतना है कि सूरहे फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ नामुकम्मल है। लेकिन यह बात दूसरे दलाइल की रौशनी में इमाम और मुन्फ़रिद के बारे में है, मुक़तदी के हक़ में नहीं।

पूरी नमाज़ को पा लिया।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि रुकूअ् में शरीक होने वाले की यह रकअ़त पूरी शुमार होगी। अगर मुक़्तदी के ऊपर "सूरहे फ़ातिहा" का पढ़ना वाजिब होता तो रुकूअ् में शरीक होने वाले की यह रकअ़त शुमार न होती। हालांकि इस हदीस से साबित होता है कि इस की यह रकअ़त शुमार होगी। क्योंकि यहाँ हदीस में मज़कूर लफ़्ज़ "रकअ़त" से मुराद रुकूअ् है। जिसकी तफ़सील हम बउन्वान "रुकूअ् पाने वाले की यह रकअ़त शुमार होगी या नहीं" के तहत कर चुके हैं, वहीं मुलाहज़ा कर लिया जाए।

عن جابر بن عبد الله من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا ان يكون وراء الامام۔

(तिर्मिज़ी : 171/1)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि जिस ने कोई रकअ़त ऐसी पढ़ी जिस में सूरहे फ़ातिहा को न पढ़ा तो उस की नमाज़ न होगी, मगर यह कि वोह इमाम के पीछे हो।

उसके बाद हज़रत इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं कि "هذا حديث حسن صحيح" यह हदीस हसन सही है।

दूसरा जुज़ हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ है, जिसमें दिल ही दिल में पढ़ने की बात है। सो इस के दो जवाब हैं।

(1) यह जवाब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का अपना इज्तिहाद है। जो अहादीसे मरफ़ूआ के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं।

(2) बाज़ हज़रात ने इसकी यह तौजीह की है कि बाज़ मरतबा "فى نفسه" का मुहावरा हालते इन्फ़िराद के लिए भी इस्तेमाल होता है, लिहाज़ा अब "اقرأ بها فى نفسك" के मआनी हुए। "اقرأ بها حال كونك منفرداً" यानी मुन्फ़रिद होने की हालत में सूरहे फ़ातिहा पढ़।

(माख़ूज़ अज़ दर्से तिर्मिज़ी : 84/2)

तीसरी हदीस :

जिस को ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात दलील में पेश करते हैं यह है।

"عن ابى قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقراون خلفى؟ قلنا نعم، قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب."

(सुनने बैहिक़ी : 166/2)

तरजुमा :-

हज़रत अबू क़तादह अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम

लोग मेरे पीछे किरात करते हो? हम नें जवाब दिया हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सूरहे फ़ातिहा के अलावा कुछ न पढ़ा करो।

जवाब :–

बेशक यह रिवायत ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मस्लक पर सरीह है लेकिन सही नहीं।

क्योंकि इसकी सनद में एक रावी "मालिक बिन यहया" ज़ईफ़ है।

चुनांचे इब्ने हब्बान (रह.) ने इन के बारे में कलाम किया है, नीज़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़रमाया कि इस की हदीस में नज़र है।

مالك بن يحیٰ--- تكلم فيه ابن حبان وقال البخاری : فی حديثه نظر۔

(ميزان الاعتدال: ٤٢٩/٣)

लिहाज़ा यह हदीस मसलके अहनाफ़ के दलाइल के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं बन सकती।

ख़ुलासए कलाम यह हुआ कि ग़ैर मुक़ल्लिदों के मसलक पर जो रिवायत सही है वोह सरीह नहीं। और जो सरीह है वोह सही नहीं।

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

☆☆☆

عن ابن عمر انه كان سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحسبه قرأة الامام۔ كان ابن عمر لا يقرأ مع الامام۔

(مؤطا محمد: ٩٥/)

तरजुमा :–

हज़रत इब्ने उमर से पूछा गया कि क्या कोई इमाम के साथ किराअत करेगा? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई इमाम के साथ नमाज़ पढ़े तो उसके लिए इमाम की किराअत काफ़ी है।

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) इमाम के पीछे किराअत नहीं करते थे।

हज़रत इमाम बेहिक़ी (रह.) ने यह अल्फ़ाज़ और बढ़ाये हैं "جهر اولم يجهر" यानी चाहे जेहरी नमाज़ हो या सिर्री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम के साथ किराअत नहीं करते थे।

(سنن بيهقی : ١٦٠/٢)

عن ابی هارن قال سألت ابا سعيد عن القرأة خلف الامام فقال يكفيك ذاك الامام۔

(مصنف ابن ابی شيبه : ٣٣١/١)

तरजुमा :–

हज़रत अबू हारान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से इमाम के पीछे किराअत करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने फ़रमाया, तेरे लिए

इमाम की किरात काफ़ी है।

عـن الـوليـد بـن قيـس قـال سـألت سويد بن غفلة اقرأ خلف الامام فى الظهر و العصر فقال لا۔

(मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा : 331/1)

तरजुमा :-

हज़रत वलीद बिन कैस फ़रमाते हैं कि मैं ने सुवैद बिन ग़फ़्ला से पूछा कि क्या ज़ोहर और असर की नमाज़ में इमाम के पीछे किरात करूँ? तो उन्होंने फ़रमाया नहीं।

قال زيد بن ثابت من قرأ خلف الامام فلا صلوة له۔

(किताबुल् आसार : 183/1)

तरजुमा :-

हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) ने फ़रमाया कि जिस ने इमाम के पीछे किराअत की उस की नमाज़ नहीं हुई।

عن على من قرأ خلف الامام فقد خالف السنّة۔

(किताबुल् आसार : 183/1)

तरजुमा :-

हज़रत अली (रज़ि.) ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने इमाम के पीछे किराअत की उसने सुन्नत की मुख़ालफ़त की।

फ़ाइदा :-

इन आसारे सहाबा रिज़्वानुल्लाहि अलैहिम अज्मईन से भी मालूम हुआ कि इमाम के पीछे मुत्लक़न किराअत करना जाइज़ नहीं। सहाबा किराम (रज़ि.) हम से ज़्यादा अहादीसे नबविय्यह को समझने वाले थे। लिहाज़ा मैं अपने ग़ैर मुक़ल्लिदीन भाइयों से निहायत मुअद्दिबाना दरख़्वास्त करता हूँ कि वोह ग़ौर-व-फ़िक्र से काम लें, और हदीस पर महज़ दावे को छोड़ कर इस पर अमल करने की कोशिश करें, अवाम को यह कह कर गुमराह न करें कि इमाम के पीछे सूरते फ़ातिहा को न पढ़ने वालों की नमाज़ नहीं होती।

अल् अब्द अबू उज़ैर मुहम्मद रफ़ीक़ (बिन सईद अहमद) क़ासमी जालिकी, मेवाती।

8 रमज़ानुल् मुबारक सन-1429 ई॰

☆☆☆

(52) मुसाफ़हा दो हाथों से है या एक से?

मसलके अहनाफ़

मुसाफ़हा दो हाथों से मसनून है।

दलील :–

عن ابن مسعود يقول علمني النبى صلى الله عليه وسلم وكفى بين كفيه التشهد كما يعلمنى السورة من القران.

(बुख़ारी शरीफ़ : 926/2)

तरजुमा :–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद फ़रमाते हैं कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे "तशहुद" सिखलाया, इस हाल में कि मेरा एक हाथ आप (सल्ल.) के दोनों हाथों के दरमियान था। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क़ुरआन की सूरत सिखाई।

फ़ाइदा :–

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीस शरीफ़ से मुसाफ़हे के दोनों हाथों से होने पर इस्तिदलाल किया है। हज़रत ने इससे पहले एक बाब क़ाइम किया है : "باب المصافحة" यानी यह बाब है मुसाफ़हे के बयान में। फिर इसके बाद इस हदीस पर बाब क़ाइम किया।

"باب الاخذ باليدين" صافح حماد بن زيد ابن مبارك بيديه.

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

एक हाथ से सुन्नत है।

(देखिए : "तोहफ़तुल् अहवज़ी : 329/7")

चुनांचे मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़रमाते हैं : اعلم ان السنة ان تكون المصافحة باليد الواحدة यानी जान लो कि मुसाफ़हा एक हाथ से सुन्नत है।

(तोहफ़तुल् अहवज़ी : 429/7)

ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात उन रिवायतों को दलील में पेश करते हैं जिन में बवक़्ते मुसाफ़हा लफ़्ज़े "يد" वाहिद आया है।

जवाब :–

लफ़्ज़े "يد" जिन्स के लिए बोला जाता है। जो एक हाथ और दो हाथ दोनों को शामिल है।

لان المراد من اليد فى هذه العبارات هو الجنس.

(इलाउस् सुनन : 327/17)

बिल्ख़ुसूस जब लफ़्ज़े "يد" इज़ाफ़त के साथ इस्तेमाल हुआ हो तो आम तौर पर जिन्स के मआनी मुराद होते हैं : क़ुरआने मुक़द्दस और अहादीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्दर लफ़्ज़े "يد" बतौरे जिन्स इस्तेमाल हुआ है।

(बुख़ारी शरीफ़ : 926/2)

यानी यह बाब है मुसाफ़हे के दो हाथों से होने के बयान में। हज़रत हम्माद बिन ज़ैद (रज़ि.) ने इब्ने मुबारक (रज़ि.) से दोनों हाथों से मुसाफ़हा किया।

रहा इस हदीस से इस्तिदलाल, तो वोह इस तरह है। कि हदीस शरीफ़ में ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) को "تشهد" सिखलाया तो उस वक़्त इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान था, लिहाज़ा मालूम हुआ कि मुसाफ़हा दोनों हाथों से है।

عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا فاخذ احدهما بيد صاحبه الا كان حقا على الله ان يحضر دعائهما ولا يفرق ايديهما حتى يغفر لهما۔

(मुस्नद अहमद : 338/17)

तर्जुमा :–

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब दो मुसलमान मुलाक़ात करते वक़्त एक-दूसरे के हाथ अपने हाथ में लेते

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाते हैं :

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك۔

(बनी इस्राईल /29)

यानी अपना हाथ अपनी गरदन से बन्धा हुआ न रख।

देखिए यहाँ लफ़्ज़े "يد" बज़ाहिर वाहिद है मगर इस से एक हाथ मुराद किसी ने नहीं लिया।

हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है "المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده" यानी मुसलमान वोह है जिस के ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें।

देखिए यहाँ भी "يد" का लफ़्ज़ मुफ़रद और वाहिद है मगर यहाँ एक हाथ मुराद लेना ग़लत है।

इसी तरह एक रिवायत में आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"

(मिश्कात : 434)

यानी तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो उस को अपने हाथ से बदल दे।

यहाँ भी लफ़्ज़े "يد" वाहिद है मगर इससे एक हाथ मुराद लेना ग़लत है।

(ماخوذ از "ارمغان حق /۹۸")

ख़ुलासए कलाम यह है कि अहादीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में (बवक़्ते मुसाफ़हा)

है तो अल्लाह तआला उनकी दुआ ज़रूर क़बूल फ़रमाते हैं। और उनके हाथों के जुदा होने से पहले उन की मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ में "ایدی" का लफ़्ज़ है, जो "ید" की जमा है। और जमा का इत्लाक़ कम–से–कम तीन पर होता है। लिहाज़ा साबित हुआ कि मुसाफ़हा चार हाथों यानी दो हाथों से है।

☆☆☆

लफ़्ज़े "ید" का वाहिद होना मुसाफ़हा एक हाथ से होने की दलील नहीं बन सकता, लिहाज़ा इन रिवायात को दलील में पेश करना दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

नीज़ ग़ैर मुक़ल्लिदों के माया नाज़ बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मां साहब, अपनी किताब "تیسیر الباری شرح بخاری" में तहरीर फ़रमाते हैं : मुसाफ़हा दोनों हाथों से सुन्नत है और एक हाथ से भी।

लिहाज़ा अब भी ग़ैर मुक़ल्लिदों का इस पर अड़े रहना कि, नहीं मुसाफ़हा सिर्फ़ एक हाथ से सुन्नत है, ख़्वाह मख़्वाह की जसारत है।

☆☆☆

(53) एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन वाक़ेअ् होती हैं या एक?

मसलके अहनाफ़

एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही वाक़ेअ् होती हैं। इस के बाद औरत बिल्कुल्लियह फ़ौरी तौर पर निकाह से ख़ारिज हो जाती है। बग़ैर हलालाए शरीआ के शौहरे अव्वल के पास नहीं आ सकती। यानी तीन तलाक़ों के बाद पहले इद्दत (तीन हैज़ या हामिला है तो वज़ए हमल तक) गुज़ारे गी, फिर किसी आदमी से निकाह करेगी, वोह ज़ौजे सानी निकाह के बाद सोहबत करे, उस के बाद यह दूसरा शौहर अपनी ख़ुशी से तलाक़ दे दे, या उस का इन्तिक़ाल हो जाए तो फिर दोबारा इद्दत गुज़ारने के बाद यह औरत शौहरे अव्वल के पास आ सकती है।

वाज़ेह रहे कि निकाह बशर्ते तहलील जाइज़ नहीं, यानी इस शर्त पर निकाह करना कि दुख़ूल के बाद तलाक़ दे देगा, जाइज़ नहीं।

दलील :-

الطلاق مرتٰن فامساكٌ بمعروف او تسريح باحسان ـ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

(البقرة:٢٣٠)

मसलके ग़ैर मुक़ल्लिदीन

एक मजलिस की तीन तलाक़ें एक ही तलाक़े रजई वाक़े होती है लिहाज़ा उस औरत को बग़ैर हलालह व बग़ैर निकाह के रखा जा सकता है।

दलील :-

عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم.

(मुस्लिम : 477/1)

दलील :-

हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के अहद और हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के पहले दो सालों में तीन तलाक़ें एक थीं।

हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया कि लोगों ने इस काम में जल्दी करना शुरू कर दिया, जिसमें उन को ढील थी। अगर हम तीन तलाक़ों के हुक्म को नाफ़िज़ कर दें तो मुनासिब होगा

तरजुमा :-

तलाक़ " رجعی " है दो बार तक, उस के बाद दस्तूर के मुवाफ़िक़ रख लेना या भली तरह से छोड़ देना....फिर अगर उस औरत को तलाक़ दी, यानी तीसरी बार, तो अब हलाल नहीं है उस को वोह औरत, उस के बाद यहाँ तक कि उसके सिवा एक और शौहर से निकाह करे।

फ़ाइदा :-

इस आयते करीमा के अन्दर तीन तलाक़ों के बाद औरत को क़ुरआने मुक़द्दस ने शौहरे अव्वल के लिए हराम क़रार दिया है, जबतक वोह दूसरे शौहर से निकाह न करे (और सोहबत भी)। जिससे मालूम हुआ कि तीन तलाक़ों के बाद औरत फ़ौरन निकाह से ख़ारिज हो जाती है।

वाज़ेह रहे कि क़ुरआने मुक़द्दस ने मुत्लक़न तीन तलाक़ों के बाद औरत को हराम क़रार दिया है, एक मजलिस या अलग-अलग मजालिस की कोई क़ैद नहीं लगाई है। जिस से साबित हुआ कि तीन तलाक़ें तीन ही वाक़ेअ् होती हैं, चाहे एक मजलिस में दी जाएं या अलग-अलग मजालिस में। और यह बात हम अपनी तरफ़ से नहीं कह रहे हैं बल्कि मुफ़स्सिरीन व मुहद्दिसीन हज़रात ने इस आयत के यही मआनी समझे हैं।

चुनांचे उन्होंने इस हुक्म को नाफ़िज़ कर दिया।

वजहे इस्तिदलाल यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हज़रत उमर बिन अल्ख़त्ताब (रज़ि.) के ज़माने के पहले दो सालों तक तीन तलाक़ें एक थीं।

जवाब :-

हदीस शरीफ़ का यह मतलब नहीं है जो ग़ैर मुक़ल्लिदों ने समझा है, बल्कि मतलब इसका यह है कि पहले जब तलाक़ के लफ़्ज़ को तीन मरतबा बोलते थे। मसलन कहते थे "तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़", तो उन का मक़सद तीनों लफ़्ज़ों से तलाक़ देना नहीं होता था बल्कि सिर्फ़ पहले लफ़्ज़ से तलाक़ देने की नियत होती थी।

बाक़ी दूसरे और तीसरे लफ़्ज़ से महज़ ताकीद का इरादा होता था, अज़सरे नौ तलाक़ देने की नियत न होती थी। सच्चाई और अमानतदारी का दौर था, इस लिए उन की ताकीद की नियत का एतबार करते हुए तलाक़ भी एक ही शुमार होती थी, मगर जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का ज़माना आया तो लोग उस लफ़्ज़ ("तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़", "तुझे तलाक़") का बकसरत इस्तेमाल

चुनांचे मशहूर मुफ़स्सिर अल्लामा कुरतबी (रह.) तहरीर फ़रमाते हैं :

"ان المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره و لا فرق بين مجموعها و مفرقها لغة و شرعاً"

यानी तीन तलाक़ों वाली औरत, तलाक़ देने वाले शौहर के लिए हलाल नहीं, यहाँ तक वोह किसी दूसरे शौहर से निकाह न करे और तीन तलाक़ों के एक साथ होने और जुदा-जुदा होने में कोई फ़र्क़ नहीं है यानी दोनों का हुक्म एक ही है।

अल्लामा निज़ामुद्दीन नैशापुरी (रह.) फ़रमाते हैं :

"و لا رجعة بعد الثلاث و هذا تفسير جواز الجمع بين الطلقات الثلاث و هو اليق بنظم الكلام"

यानी तीसरी तलाक़ के बाद रजअत नहीं है और (आयत की) यह तफ़सीर तीन तलाक़ों के जमा को जाइज़ क़रार देती है। और यही नज़्मे कलाम के ज़्यादा मुनासिब है।

(تفسیر غرائب القرآن علی تفسیر طبری: ۲-۱۹۱)

इमाम अबू बक्र जस्सास (रह.) आयते पाक "الطلاق مرتٰن" के तहत तहरीर फ़रमाते हैं :

"الآية تدل على وقوع الثلاث معًا

करने लगे। अब चूंकि लोगों में सदाक़त और अमानत भी पहले जैसी नहीं रही थी, इस लिए पूछने पर कह देते थे कि हमारी मुराद तो ताकीद की थी।(हालांकि उन की नियत दूसरे और तीसरे लफ़्ज़ से अक्सरे नौ तलाक़ देने की होती थी)

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) ने देखा कि लोग इस का नाजाइज़ फ़ाइदा उठा रहे हैं तो आप (रज़ि०) ने उर्फ़ की बिना पर एलान फ़रमा दिया कि अब जो शख़्स इस तरह तलाक़ देगा, हम उन को तीन ही नाफ़िज़ करेंगे, उस की नियत का एतबार न होगा, बल्कि ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ का एतबार होगा।

यह मतलब है हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) की हदीस के इन लफ़्ज़ों का :

"كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ-"

अल्लामा नववी (रह.) ने इस जवाब को असह कह कर बयान फ़रमाया है।

(देखिए : "शरहे मुस्लिम / 388/1")

नीज़ "फ़त्हुल बारी 277/9" वग़ैरह में भी यह जवाब मौजूद है।

वाज़ेह रहे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने यह फ़ैसला सहाबा किराम (रज़ि.) की मौजूदगी में किया था। किसी सहाबी (रज़ि.) ने

यह आयत तीन तलाकों के एक साथ वाक़ेअ़ होने पर दलालत करती है।

(احکام القرآن لجصاص ۱۰/۳۸۸)

फिर आगे लिखते हैं :

"فالكتاب و السنة و اجماع السلف توجب ايقاع الثلاث معا"

यानी किताब-व-सुन्नत और इज्माए सल्फ़ का यही फ़ैसला है कि एक साथ दी गई तीन तलाकें वाक़ेअ़ हो जाती हैं।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इस आयते करीमा के यही मानी समझे हैं कि तीन तलाकें वाक़ेअ़ हो जाती हैं चाहे एक मजलिस में दी जाएं या अलग-अलग मजालिस में। चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 291/2" में एक बाब क़ाइम किया है।

"باب من اجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالىٰ "الطلاق مرتان"

यानी यह बाब है तीन तलाकों के जाइज़ क़रार देने के बयान में "الطلاق مرتان" क़ौले बारी तआला की वजह है।

هكذا فهم البخاری معنى الآية الخ۔ (كتاب الاشفاق في حكم الطلاق الثلاث: ۳۸، بحواله فتاوى رحيميه: ۳۳۸)

हज़रत इमाम बैहक़ी (रह.) ने भी अपनी जामेअ़ तरीन किताब

आप (रज़ि.) के इस फ़ैसले की मुख़ालफ़त नहीं की। हालांकि यही वोह सहाबा किराम (रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन) भी मौजूद थे, जो इस बात से ख़ूब वाक़िफ़ थे, कि तीन तलाक़ वाली औरत का अहदे नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) में क्या हुक्म था।

(देखिए : "तहावी शरीफ़ 34/2")

अगर हज़रत उमर का यह फ़ैसला क़ुरआन व हदीस के ख़िलाफ़ होता, तो सहाबा किराम (रज़ि.) उस की ज़रूर मुख़ालफ़त करते।

इसलिए मानना पड़ेगा कि हदीस इब्ने अब्बास (रज़ि.) का जो मतलब ग़ैर मुक़ल्लिदों ने समझा है वोह हरगिज़-हरगिज़ दुरूस्त नहीं। सहाबा किराम (रज़ि.) आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हर क़ौल व अमल के बारे में हमसे ज़्यादा वाक़िफ़ थे। आख़िर उन्होंने इस हदीस का यह मतलब क्यों नहीं समझा जो आज के ग़ैर मुक़ल्लिदीन समझते हैं। क्या हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का यह फ़ैसला क़ुरआनुल् मुक़द्दस व हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ था।

(अल्अयाज़ु बिल्लाह) अगर नहीं, और यक़ीनन नहीं तो यह ग़ैर मुक़ल्लिदीन आख़िर इस को क्यों नहीं मानते।

जबकि बतक़ाज़ाए क़ुरआने करीम

"السنن الكبرى: ٧/ ٣٣٢" में इस आयते करीमा पर यह बाब काइम करके "باب ما جاء فى امضاء الطلاق الثلاث و ان كن مجموعات" यानी यह बाब है तीन तलाकों के नाफ़िज़ होने के बयान में, अगर्चे वोह एक साथ दी गई हों। वाज़ेह कर दिया कि आयते करीमा में तीन तलाकों का हुक्म आम है। चाहे एक मजलिस में दी जाएं, या अलग-अलग मजालिस में, बहरहाल तीनों वाकेअ् हो जाएंगी।

नीज़ अल्लामा इब्ने हज़म ज़ाहिरी (रह.) आयते पाक "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" के तहत लिखते हैं।

"فهذا يقع على الثلاث مجموعة و مفرقة و لا يجوز ان يختص بهذه الآية بعض ذالك دون بعض بغير نص"

यानी तीन तलाकों का यह हुक्म (औरत का हराम हो जाना) आम है, चाहे यह तीन तलाकें एक साथ दी गई हों या अलग-अलग और इस आयते करीमा को बग़ैर नस्स के किसी एक शक्ल के साथ ख़ास करना जाइज़ नहीं।

मालूम हुआ कि तीन तलाकें चाहे एक साथ दी जाएं या अलग-अलग, तीनों वाकेअ् हो जाती.

व हदीसे रसूलुल्लाह (सल्ल.) सहाबा किराम की पैरवी बिल्ख़ुसूस ख़ुलफ़ाए राशिदीन (हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ि., हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि., हज़रत उसमान ग़नी रज़ि. और हज़रत अली रज़ि.) की इत्तिबा हर मुसलमान पर ज़रूरी है।

चुनांचे इरशादे रब्बानी है :

"الذين ان مكنٰهم فى الارض اقام الصلوٰة و آتوا الزكوٰة و امرو بالمعروف و نهوا عن المنكر"

(الحج: ٤١)

यानी वोह लोग (सहाबा रज़ि.) के अगर हम इनको मुल्क में कुदरत दें, तो नमाज़ को काइम करें, ज़कात दें, और भलाइयों का हुक्म करें, और बुराइयों से रोकें।

नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया-

فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ

(अबू दाऊद शरीफ़-635/2)

बस तुम पर लाज़िम है, कि मेरी सुन्नत और मेरे इन ख़ुलफ़ा की सुन्नत जो राहे याब और हिदायते मआब है, तो उस को थाम लो। और उसे डाढ़ों से मज़बूती से पकड़ लो।

नोट :-

फ़ैसलाए फ़ारूकी को सियासत

हैं और इस के बाद औरत हराम हो जाती है। बग़ैर हलालाए शरीआ के उस को अपने पास रखना खुली हुई हराम कारी है। यानी यह कहना कि आयते करीमा में अलग-अलग तीन तलाक़ें मुराद हैं, जाइज़ नहीं।

पहली हदीस :

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 791/2" में मज़कूरा बाब "باب من اجاز الطلاق الثلاث" के तहत "حضرت عویمر عجلانی" की لعان वाली रिवायत को ज़िक्र किया है। कि जब वोह अपनी बीवी से لعان कर चुके तो उन्होंने उन को (एक साथ) तीन तलाक़ें दे दीं।

فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا"

यानी जब हज़रत "عویمر عجلانی" और उन की बीवी لعان से फ़ारिग़ हो गए तो हज़रत "عویمر" ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (सल्ल.) अगर मैं अब भी इस को साथ रखूं तो इस का मतलब यह होगा कि मैं ने झूठ बोला, फिर उन्होंने अपनी अहलिया को तीन तलाक़ें दे दीं।

(बुख़ारी शरीफ़ 791/2, मुस्लिम 489/1, अबू दाऊद 305/1, निसाई 83/2)

फ़ाइदा :-

हज़रत "عویمر عجلانی" की इन तीन तलाक़ों को रसूलुल्लाह पर महमूल करना ग़लत है। ख़ुद ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना इब्राहीम सियालकोटी ने उसकी सख़्ती से तरदीद की है। तफ़सील के लिए देखिए। हमारी किताब "तीन तलाक़ 57-58"

दूसरा जवाब :-

हाफ़िज़े हदीस इमामुल् जरह वल् तादील शैख़ अबू ज़रआ हदीसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मतलब बयान फ़रमाते हैं कि आप (सल्ल.) हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त से पहले दो सालों तक लोग सिर्फ़ एक तलाक़ देते थे। इसके बाद लोग तीन तलाक़ देने लगे। जिसको हदीस में बयान किया गया "كان الطّلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ."

(देखिए - "सुनने बैहक़ी : 338/7")

तीसरा जवाब :-

यह है कि तीन तलाक़ों के बाद رجعت का हुक्म मन्सूख़ हो गया। चुनांचे "अबू दाऊद शरीफ़-297/1" में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ही की यह हदीस शरीफ़ मौजूद है :

"ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك."

यानी अगर कोई शख़्स अपनी

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफ़िज़ फ़रमा दिया था।

चुनांचे "अबू दाऊद शरीफ़ 301/1" की एक दूसरी रिवायत में इस की सराहत है।

عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فی هـذا الـخبـر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. فانفذه رسول الله صلی الله علیه وسلم.

यानी हज़रत عويمر عجلانی ने अपनी अहलिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीन तलाक़ें दे दीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को नाफ़िज़ फ़रमा दिया (तीन को एक करार न दिया)।

दूसरी हदीस :

عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبی صلی الله علیه و سلم اتحل للاول قال لا حتّی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول.

(बुख़ारी शरीफ़ 791/2)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं, तो उस औरत ने दूसरे शख़्स से निकाह कर

बीवी को तलाक़ दे देता तो उसको رجعت का हक़ रहता। और अगर तीन तलाक़ें दे दे तो رجعت का हुक्म मन्सूख़ हो गया।

यही वजह है कि ख़ुद राविए हदीस हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इस हदीस का वोह मतलब नहीं समझा जो ग़ैर मुकल्लिदों ने समझा है। आप (रज़ि.) तीन तलाक़ वाली औरत को शौहर के लिए हराम करार देते थे। चुनांचे देखिए : "अबू दाऊद शरीफ़ 299/1" के अन्दर इससे मुतअल्लिक़ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़त्वा मौजूद है। और उस की सनद भी सही है।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने "फ़त्हुल् बारी 277/9" में उस की तस्हीह फ़रमाई है।

अल्लामा इब्ने कय्यिम (रह.) ने भी इसका इनकार नहीं किया, बल्कि साफ़ इक़रार किया है।

चुनांचे मौसूफ़ "اغاثة اللهفان ۳۳۰/۱" में तहरीर फ़रमाते हैं :

"فقد صح بلا شك عن ابن مسعود و علی و ابن عباس الالزام بالثلاث لمن اوقعها جملة."

यानी हज़रत इब्ने मसूद (रज़ि.) हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत इब्ने अब्बास से इकट्ठी तीन तलाक़ों का लाज़िम करना बिला शक व शुबह

लिया, उस ने (सोहबत करने से पहले ही) उस को तलाक़ दे दी। तो आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया गया कि क्या यह औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो गई? आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया कि नहीं। जब तक कि दूसरा शौहर उस से सोहबत न कर ले। जैसा कि पहले शौहर ने की।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से भी मालूम हुआ कि एक साथ की दी गई तीन तलाक़ें वाक़ेअ् हो जाती हैं। क्योंकि पहले शौहर ने इस औरत को तीन तलाक़ें एक साथ दीं थीं।

चुनांचे अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) "फ़त्हुल् बारी शरहुल् बुख़ारी 280/9" में इस हदीस के तहत लिखते हैं।

"فانّه ظاهر فی کونها مجموعة."
यानी ज़ाहिर यह है कि इस शख़्स ने तीन तलाक़ें एक-साथ दीं थीं।

अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी "उमदतुल् क़ारी 237/20" में और अल्लामा मोहम्मद अमीन अल्शनक़ीती भी "अज़्वाउल् बयान 229/1" में यही फ़रमाते हैं कि इस शख़्स ने तीन तलाक़ें एक-साथ दी थीं।

नीज़ हज़रत इमाम बेहिक़ी ने इस हदीस पर यह बाब क़ाइम करके साबित है। मज़ीद जवाबात के लिए देखिए हमारी किताब "तीन तलाक़ 41-42"

दूसरी हदीस :

عن ابن عباس قال، طلق رکانة بن عبد یزید امرأته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیها حزنا شدیداً فسأله النبی صلی اللّٰه علیه وسلم کیف طلقها؟ قال ثلاثاً فی مجلس واحد فقال النبی صلی اللّٰه علیه وسلم انما تلك واحدة فارتجعها ان شئت.

(फ़त्हुल् बारी : 362/9)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत रुकाना बिन यज़ीद ने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे दीं। जिसपर वोह काफ़ी ग़मगीन हुए। तो नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी अहलिया को कैसे तलाक़ दी? उन्होंने कहा कि एक मजलिस में तीन तलाक़ें दी हैं। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया यह एक ही तलाक़ शुमार होगी। अगर तुम चाहो तो रुजू कर लो।

जवाब :-

यह है कि हज़रत रुकाना (रज़ि.) की तलाक़ के बारे में एक

"باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات"

यानी यह बाब है तीन तलाकों के नाफिज़ होने के बयान में। अगरचे वोह एक-साथ दी गई हों। मज़ीद वाज़ेह कर दिया कि उसने अपनी बीवी को तीन तलाक एक-साथ दी थीं।

तीसरी हदीस :

"عن محمود بن لبيد اخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ان رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله و انا بين اظهركم اسناه على شرط مسلم."

(زاد المعاد: ٥/٢٤١، نسائي ٢/٨٢)

तरजुमा :-

हज़रत महमूद बिन लबीद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख़्स के बारे में ख़बर दी गई कि उस ने अपनी अहलिया को एक साथ तीन तलाकें दे दीं हैं। आप (सल्ल.) गुस्से में खड़े हुए और फ़रमाया कि किताबुल्लाह के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं।

अल्लामा इब्ने कय्यिम (रह.) इस हदीस के बारे में फ़रमाते हैं कि इस हदीस की सनद मुस्लिम की शर्त के मुताबिक है।

दूसरी रिवायत है जिसमें वज़ाहत है, कि हज़रत रुकाना (रज़ि.) ने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाकें नहीं दीं थीं। बल्कि طلاق البتة दी थी। जिसके अन्दर तीन और एक दोनों का एहतमाल था। फिर हज़रत रुकाना (रज़ि.) ने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसम खा कर बताया, कि उनकी मुराद एक तलाक थी। जिसके बाद आप (सल्ल.) ने उनको रुजू करने का हुक्म दिया। इस रिवायत को इमाम अबू दाऊद (रह.) ने "अबू दाऊद शरीफ 330/1" में इमाम हाकिम ने "مستدرك ٢/١٩٩" में इमाम तिर्मिज़ी ने "तिर्मिज़ी शरीफ 222/1" में इब्ने माजा ने "इब्ने माजा 148/1" में बयान किया है।

मुहद्दिसीन हज़रात ने ग़ैर मुकल्लिदीन की पेश-कर्दा रिवायत (जिसमें हज़रत रुकाना के बारे में एक मजलिस में तीन तलाकें देने का तज़किरा है।) को इस طلاق البتة वाली रिवायत के मुकाबले में ज़ईफ़ करार दिया है।

चुनांचे हज़रत अबू दाऊद (रह.), हज़रत रुकाना (रज़ि.) के बारे में طلاق البتة वाली रिवायत को नकल करने के बाद लिखते हैं।

फ़ाइदा :–

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि एक-साथ की तीन तलाक़ें वाक़ेअ् हो जाती हैं। अगर वाक़ेअ् न होतीं, तो आप (सल्ल.) ग़ज़बनाक न होते। बल्कि फ़रमा देते कि कोई बात नहीं रुजू कर लो।

(دیکھئے: "اضواء البیان ۱/۱۳۰")

नीज़ क़ाज़ी अबू बकर इब्ने अरबी (रह.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "عویمر عجلانی" की तीन तलाक़ों की तरह (जिसका तज़किरा पहली हदीस में गुज़र चुका है।) इस शख़्स की भी तीन तलाक़ों को नाफ़िज़ फ़रमा दिया था।

فلم یرده النبی صلی الله علیه وسلم بل امضاه کما فی حدیثه عویمر عجلانی فی اللعان حیث امضی طلاقة الثلاث و لم یرده.

(तहज़ीबुस् सुनन अबी दाऊद 129/3 तबए मिस्र बहवालह उमदतुल् असास /28)

यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रद्द नहीं किया बल्कि इसे नाफ़िज़ फ़रमा दिया जैसा कि "عویمر عجلانی" की لعان वाली हदीस में है कि आप (सल्ल.) ने इनकी तीनों तलाक़ों को नाफ़िज़ फ़रमा दिया, और रद्द नहीं किया।

चौथी हदीस :

عن عامر الشعبی قال قلت لفاطمة

هذا اصح من حدیث ابن جریج ان رکانة طلق امرأته ثلاثا لانهم اهل بیته وهم اعلم به.

यानी यह रिवायत इब्ने जुरैह की इस रिवायत कि मुक़ाबले में असह है। जिसमें हज़रत रुकाना (रज़ि.) के तीन तलाक़ें देने का ज़िक्र है, क्योंकि इस रिवायत के नक़ल करने वाले हज़रत रुकाना (रज़ि.) के ख़ानदान के लोग हैं। जो उन के बारे में ज़्यादा वाक़िफ़यत रखते हैं।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) "फ़तहुल् बारी शरहे बुख़ारी 275/9-576" में तहरीर फ़रमाते हैं कि :

हज़रत रुकाना (रज़ि.) के बारे में "طلاق البتة" वाली रिवायत को तीन तलाक़ वाली रिवायत से राजेह क़रार देने की यह इल्लत क़वी है। क्योंकि मुमकिन है बाज़ रुवात ने "البتة" को तीन पर महमूल करके कह दिया हो, कि रुकाना (रज़ि.) ने तीन तलाक़ें दीं थीं। लिहाज़ा इस नुक्ते से हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस जिसमें तीन तलाक़ का ज़िक्र है से इस्तिदलाल का मौक़ा ख़त्म होता है।

नीज़ "تلخیص الحبیر ۳/۲٤۰" में अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने तीन तलाक़ वाली हदीस इब्ने अब्बास को जो ग़ैर मुक़ल्लिदों की

بنت قیس حدثینی عن طلاقك قالت طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الی الیمن فاجاز ذالك رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم

(इब्ने माजा 1/145)

हज़रत आमिर अश्-शाबी फ़रमाते हैं कि मैं ने फ़ातिमा बिन्ते कैस (रज़ि.) से कहा कि मुझसे अपनी तलाक़ का किस्सा बयान कीजिए। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मेरे शौहर यमन गए हुए थे (वहाँ से) उन्होंने मुझे तीन तलाक़ें दे दीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाफ़िज़ फ़रमा दिया।

इब्ने माजा (रह.) ने इस हदीस शरीफ़ पर यह बाब क़ाइम करके "باب من طلق ثلثا فی مجلس واحد" (यानी यह बाब है एक मजलिस की तीन तलाक़ों के बयान में) वाज़ेह कर दिया कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस (रज़ि.) को उनके शौहर ने यह तीन तलाक़ें एक मजलिस में दीं थीं, जिनको आप (सल्ल.) ने नाफ़िज़ फ़रमा दिया था।

इसकी ताईद "दारे कुतनी 12/4" की इस रिवायत से भी होती है।

عن ابی سلمة عن ابیه ان حفص بن المغیرة طلق امرأته فاطمة بنت قیس

मुस्तदिल है, ज़ईफ़ क़रार दिया है। चुनांचे इस को नक़ल करने के बाद लिखते हैं وهو معلول ایضاً यह हदीस भी मअलूल यानी ज़ईफ़ है।

अल्लामा नववी (रह.) भी "शरहे मुस्लिम : 478/1" में हज़रत रुकाना (रज़ि.) के मुतअल्लिक़ तीन तलाक़ वाली रिवायत को ज़ईफ़ क़रार देते हैं। और طلاق البتة वाली रिवायत की तसहीह फ़रमाते हैं। चुनांचे लिखते हैं :

"واما الرواية التی رواها المخالفون ان رکانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة ان قوم مجهولين و انما الصحيح منها ما قدمناه انه طلقها البتة"

यानी रही वोह रिवायत जिस को मुख़ालिफ़ीन बयान करते हैं कि हज़रत रुकाना (रज़ि.) ने तीन तलाक़ें दीं थी। और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक क़रार दिया। यह रिवायत ज़ईफ़ है। मजहूल रावियों से मरवी है : हज़रत रुकाना (रज़ि.) की तलाक़ के सिलसिले में सही रिवायत वही है, जिसको हमने पहले बयान किया है। कि उन्होंने लफ़्ज़े البتة से तलाक़ दी थी।

फिर आगे अल्लामा नववी (रह.) लिखते हैं -

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات فى كلمة واحدة فابانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

तरजुमा :–

हज़रत अबू सल्मा अपने वालिद से रिवायत नक़ल करते हैं कि हज़रत حفص بن مغيرةؓ ने अपनी अहलिया फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक में एक–साथ तीन तलाक़ें दे दीं थीं, तो आप (स॰) ने उनसे उनकी औरत को जुदा कर दिया, यानी आप (सल्ल॰) ने उन की तीनों तलाक़ों को नाफ़िज़ फ़रमा दिया।

पाँचवी हदीस :

عن ابراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: طلق بعض آبائى امرأته الفا فانطلق بنوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ان ابانا طلق امنا الفا فهل له من مخرج؟ فقال ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من امره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة و تسع مائة وسبعة و تسعون اثم فى عنقه.

(دار قطنى ٤/٢٠، محلى ابن حزم ٩/٣٩٢، زاد المعاد: ٥/٢٥٤)

लफ़्ज़े البتة चूंकि एक और तीन दोनों का एहतमाल रखता है, इसलिए मुम्किन है कि इस ज़ईफ़ रिवायत के रावी ने यह समझा हो कि लफ़्ज़े البتة का مقتضى तीन तलाक़े हैं। तो यह समझ कर रिवायत बिल्मआनी कर दी हो। लेकिन रावी ने उसको समझने और रिवायत बिल्मआनी करने में ग़लती की है।

(शरहे मुस्लिम 448/1)

नीज़ हाकिम (रह.) और इब्ने हब्बान (रह.) ने हज़रत रुकाना (रज़ि.) के बारे में البتة वाली रिवायत की तसहीह फ़रमायी है।

(तल्ख़ीसुल् हबीर 240)

शैख़ शहाबुद्दीन साहब "इरशाद अस्सारी शरहे सहीहुल् बुख़ारी 12/15" में तहरीर फ़रमाते हैं :

"والاصح ما رواه ابو داؤد و الترمذى و ابن ماجة ان ركانة طلق زوجته البتة."

यानी सहीह वोह रिवायत है जिसको इमाम अबू दाऊद इमाम तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने नक़ल किया है कि हज़रत रुकाना (रज़ि.) ने अपनी अहलिया को तलाक़े البتة दी थी। नीज़ ग़ैर मुक़ल्लिदों ही के एक मशहूर आलिम क़ाज़ी शौकानी (रह.) लिखते हैं :

"و اثبت ما وراه فى قصة ركانة انه

तरजुमा :–

हज़रत उबादह बिन अस् सामित से रिवायत है कि उन के आबाअ् में किसी ने अपनी औरत को (एक–साथ) एक हज़ार तलाक़ें दे दीं। तो उन के लड़के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद ने हमारी माँ को एक हज़ार तलाक़ें दे दीं हैं। क्या उनके लिए (रुजू का) कोई रास्ता है? आप (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया कि तुम्हारे वालिद अल्लाह तआला से नहीं डरे, कि उन के लिए कोई रास्ता निकाला जाता, पस उन की बीवी ग़ैर सुन्नत तरीक़े पर तीन तलाक़ों से बाइना हो गई और नौ सौ सत्तानवे (997) तलाक़ों का गुनाह उन की गरदन पर है।

फ़ाइदा :–

मालूम हुआ कि तीन तलाक़ों के बाद औरत निकाह से ख़ारिज हो

"طلقها البتة لا ثلاثا"

यानी हज़रत रुकाना (रज़ि.) के तलाक़ के क़िस्से में सबसे सही रिवायत यह है कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़े البتة दी थी, न कि तीन।

(नीलुल् अवतार – 232/3)

मशहूर मुफ़स्सिर अल्लामा क़ुरतुबी भी यही फ़रमाते हैं। चुनांचे लिखते हैं :

"فالذی صح من حدیث رکانة انه طلق امرأته البتة لا ثلاثا"

यानी हज़रत रुकाना (रज़ि.) के बारे में सहीह हदीस यही है कि उन्होंने अपनी अहलिया को البتة तलाक़ दी थी, न कि तीन तलाक़।

बहरहाल, ग़ैर मुक़ल्लिदों की पेश करदा यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसको इस्तिदलाल में पेश करना दुरुस्त नहीं।

☆☆☆

जाती है। इस के बाद कुछ आसारे सहाबा (रज़ि.) को पेश किया जाता है, ताकि मालूम हो जाए कि सहाबा किराम (रज़ि.) की मुक़द्दस व पाकीज़ा जमाअत भी एक मजलिस की तीन तलाक़ों वाली औरत को उसके शौहर के लिए हराम क़रार देती है।

☆☆☆

आसारे सहाबा (रज़ि.) का फ़ैसला

(1) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का फ़तवा :

عن انس قال كان عمر اذا اتى برجل طلق امرأته ثلاثاً فى مجلس او جعه ضربا وفرق بينهما۔

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा : 61/4)

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) के पास कोई शख़्स लाया जाता, जिसने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दी होतीं, तो आप (रज़ि.) इसको सज़ा देते और दोनों मियाँ बीवी में तफ़रीक़ कर देते।

(2) हज़रत उसमान (रज़ि.) का फ़तवा :

عن معاوية بن ابى يحىٰ قال جاء رجل الىٰ عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتى الفا فقال بانت منك بثلاث۔

(زاد المعاد ٥/٢٥٨ محلى ابن حزم ٩/٣٩٩)

हज़रत मुआवियह बिन अबू यहया बयान फ़रमाते हैं कि एक शख़्स हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान के पास आया और कहा कि मैं ने अपनी बीवी को एक हज़ार तलाक़ें दे दीं। आपने फ़रमाया तेरी बीवी तुझसे तीन तलाक़ों से जुदा हो गई।

(3) हज़रत अली (रज़ि.) का फ़तवा :

جاء رجل الىٰ بن ابى طالب فقال انى طلقت امرأتى الفاً فقال له على بانت منك بثلاث۔

(زاد المعاد: ٥/٢٥٨، سنن كبرى للبيهقى ٧/٣٣٥، محلى ابن حزم ٩/٣٩٩)

हज़रत अली (रज़ि.) के पास एक शख़्स आया और कहा कि मैं ने अपनी बीवी को हज़ार तलाक़ें दे दी हैं। आप (रज़ि.) ने फ़रमाया कि तीन तलाक़ों से औरत जुदा हो गई।

"نيل الاوطار ج ٦/ ٢٣١" में अल्लामा शौकानी ने हज़रत अली (रज़ि.) का यह

मसला बयान किया है कि वोह तलाक़े सलासह के वुक़ूअ् के क़ाइल थे।

एक लतीफ़ा :

इमाम आमश (रह.) फ़रमाते हैं कि कूफ़े में एक बूढ़ा शख़्स था। जो हज़रत अली (रज़ि.) की तरफ़ मन्सूब करके फ़तवा दिया करता था। कि जब आदमी अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे डाले तो एक शुमार होगी। लोगों की उसके पास लाइन लगी रहती थी। और इससे यह रिवायत सुनते थे। मैं भी उनके पास गया और उनसे कहा कि क्या आपने हज़रत अली (रज़ि.) से यह रिवायत सुनी है कि जब आदमी अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे डाले तो एक वाक़ेअ् होगी? बोला हाँ। मैं ने हज़रत अली से सुना है। मैंने कहा, कि आपने हज़रत अली से यह रिवायत कहाँ सुनी? वोह बोले, मैं आपको अपनी किताब दिखाता हूँ। चुनांचे वोह मेरे पास अपनी किताब लेकर आया। मैंने उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था।

"بسم الله الرّحمٰنِ الرّحيم" यह वोह रिवायत है जिसको मैं ने हज़रत अली (रज़ि.) से सुना कि जब आदमी अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे दे, तो औरत उससे जुदा हो जाएगी और उस के लिए हलाल न होगी, यहाँ तक कि किसी दूसरे शौहर से निकाह करे।"

इमाम आमश फ़रमाते हैं कि मैं ने उससे कहा तेरा नास जाए तू ज़बान से कुछ कहता है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। वोह बोले सही यही है। जो इस में लिखा हुआ है। लेकिन यह लोग मुझसे किताब में लिखी हुई रिवायत के ख़िलाफ़ चाहते हैं।

(सुनने बैहक़ी : जिल्द /7 सफ़हा /356)

(4) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़तवा :

عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجائه رجل فقال انّه طلق ثلاثا قال فسكت حتىّ ظننت انه رادها اليه ثم فقال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول "يا ابن عباس، يا ابن عباس" و انّ الله قال و من يتق الله يجعل لهٗ مخرجاً و انّك لم تتّق الله فلا اجد لك مخرجا عصيت ربّك و بانت منك امرأتك.

(अबू दाऊद शरीफ़ 299/1)

हज़रत मुजाहिद फ़रमाते हैं कि मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास था, कि

एक शख़्स आया और कहा कि उसने अपनी बीवी को (यकबारगी) तीन तलाक़ दे दी हैं। जिसमें इब्ने अब्बास (रज़ि.) ख़ामोश रहे। यहाँ तक कि मैं ने गुमान किया कि आप (रज़ि.) (رجـعـت) का हुक्म देंगे। फिर फ़रमाया (यानी हज़रत इब्ने अब्बास ने) लोग पहले हिमाक़त पर सवार हो जाते हैं और फिर कहते हैं "ऐ इब्ने अब्बास!, ऐ इब्ने अब्बास!" बेशक ख़ुदा ने फ़रमाया है कि जो ख़ुदा से डरता है उसके लिए छुटकारे की कोई सूरत होती है और तूने ख़ुदा का ख़ौफ़ न किया, इसलिए तेरे वास्ते कोई छुटकारे की सूरत नहीं है। तूने अपने रब की नाफ़रमानी की और औरत तुझ से जुदा हो गई।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) का यह फ़तवा सही सनद के साथ साबित है। अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (र०) ने "फ़तहुल् बारी 362/9" में इमाम अबू दाऊद (रह.) के बयान करदा फ़त्वे की तसहीह फ़रमायी है।

و اخرج ابو داؤد بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس الخ-

(फ़तहुल् बारी 362/9)

(5) हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का फ़तवा :

عن علقمة قال جاء رجل الىٰ ابن مسعود فقال إنّي طلقت امرأتي تسعا و تسعين فقال لهٗ ابن مسعود ثلاث تبينها و سائرهنّ عدوان-

(زاد المعاد: ٥/٢٥٨ محلى ابن حزم٩/٤٠٠)

हज़रत अल्क़मा (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक शख़्स हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि मैं ने अपनी अहलिया को 99 तलाक़ें दे दी हैं, हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने कहा कि तीन तलाक़ों से औरत जुदा हो जाती है और बक़्या तलाक़ ज़ुल्म-व-ज़्यादती हैं।

(6) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) का फ़तवा :

عن واقع بن سبحان قال عمران بن حسين عن رجل طلق امرأته ثلاثا فى مجلس قال: اثم بربه و حرمت عليه امرأته-

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 61/4)

हज़रत वाक़ेअ़ बिन सुब्हान कहते हैं कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने एक ऐसे शख़्स के बारे में फ़रमाया कि जिसने एक मजलिस में अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे दी, उस ने गुनाह किया, और उसकी औरत उस पर हराम हो गई।

(7)(8) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) व अब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन अल्आस (रज़ि.) का फ़तवा :

عن محمد بن عياس ان ابن عباس و ابا هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل لهٗ حتى تنكح زوجاً غيره.

(अबू दाऊद शरीफ़ 299/1, ज़ादुल् मआद 259/5)

हज़रत मुहम्मद बिन अयास से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ़मर इब्नुल् आस से ग़ैर मदख़ूल बिहा के बारे में पुछा गया कि अगर उसका शौहर तीन तलाक़ें दे दे तो क्या हुक्म है? सबने कहा कि वोह उसके लिए उस वक़्त तक हलाल नहीं जब तक किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले।

(9) हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा (रज़ि.) का फ़तवा :

عن قيس بن ابى حازم انه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث تحرمها عليه وسبعة و تسعون فضل.

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 62/4, बैहक़ी 336/7)

हज़रत क़ैस बिन अबी हाज़िम, हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन (मुग़ीरा बिन शोअ़बा) से ऐसे शख़्स के मुतअ़ल्लिक़ सवाल किया गया कि जिस ने अपनी बीवी को (100) तलाक़ दे दीं हों तो आप ने फ़रमाया कि तीन तलाक़ों ने औरत को शौहर पर हराम कर दिया। और बक़्या सत्तानवे (97) फ़ाज़िल और बेकार हैं।

(10) हज़रत अनस (रज़ि.) का फ़तवा :

عن شقيق سمع انس بن مالك يقول فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال: هى ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرهٗ و كان عمر اذا اتى به اوجعهٗ.

हज़रत शक़ीक़ फ़रमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) इस शख़्स के मुतअ़ल्लिक़ जो सोहबत से पहले अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दे,

फरमाते थे कि यह तीन तलाक़े हैं। अब वोह औरत उस के लिए हलाल नही, यहाँ तक कि वोह दूसरे मर्द से निकाह करे और हज़रत उमर (रज़ि.) के पास जब ऐसा शख़्स लाया जाता तो आप उसको सज़ा देते।

(सुनने सईद बिन मन्सूर 260/3 किस्मे अव्वल बहवालह फतावाए रहीमियह 383/5)

नोट :

सहाबा किराम (रज़ि.) के यह फतावा बतौर नमूने के नक़ल किये गए हैं, वरना इन मज़कूरा सहाबा किराम (रज़ि.) और दीगर सहाबा (रज़ि.) के मज़ीद फतावा कुतुबे हदीस मसलन "सुनने कुबरा लिल्बैहक़ी 332,340/7", "मुहल्ला इब्ने हज़्म 392-400/9", "ज़ादुल् मआद 257-259/5, "मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 61-62/4", "मुअत्ता इमाम मालिक 199" वग़ैरा में देखे जा सकते हैं।

बहरहाल इन आसारे सहाबा (रज़ि.) से भी मालूम हुआ कि एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही वाके होती हैं। इसीलिए मुल्ला अली क़ारी (रह.) "मिरक़ातुल् मफ़ातीह शरहे मिश्कातुल् मसाबीह 438/6" में तहरीर फरमाते हैं :

"و ذهب جمهور الصحابة و التابعين و من بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يقع ثلاث"

यानी जम्हूर सहाबा किराम (रज़ि.), ताबईन और उनके बाद के अइम्मए मुस्लिमीन इसके क़ाइल हैं कि तीन तलाक़ वाके हो जाती हैं।

अल्लामा नववी (रह.) "शरहे मुस्लिम 478/1" में लिखते हैं :

قد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي و مالك و ابو حنيفة و احمد و جماهير العلماء من السلف و الخلف يقع الثلث

यानी जिस शख़्स ने अपनी बीवी को कहा तुझे तीन तलाक़! उस के हुक्म में उलमा का इख़्तिलाफ हुआ है। इमाम शाफई (रह.), इमाम अबू हनीफा (रह.), इमाम मालिक (रह.), इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) और जम्हूर उलमा सलफ-व-ख़लफ फरमाते हैं कि तीन तलाक़ें वाकेअ् हो जाती हैं।

इमाम अबू बेकर जस्सास (रह.) लिखते हैं :

فالكتاب و السنة و اجماع السلف توجب ايقاع الثلاث معا و ان كانت معصية.

यानी किताब-व-सुन्नत और इज्माए सल्फ़ का फ़ैसला है कि एक साथ की तीन तलाक़ें वाक़ेअ् हो जाती हैं अगरचे (यानी एक साथ तीन तलाक़ें देना) गुनाह है।

(احكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٨٨)

मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना शम्सुल् हक़ साहब लिखते हैं :

و ذهب الائمة الاربعة و جمهور العلماء الیٰ ان الثلاث تقع ثلاثاً۔

(عون المعبود: ٦/ ٢٢٤)

यानी अइम्मए अरबआ़ और जम्हूरे उलमाए इस्लाम का यही मज़हब है कि तीनों तलाक़ें वाक़ेअ् हो जाती हैं।

नीज़ सऊदी अरब के मुफ़्तीए आज़म शैख़ अब्दुल् अज़ीज़ बिन बाज़ (रह.) तहरीर फ़रमाते हैं :

जम्हूरे उलमा की राए यह है कि तीनों तलाक़ें वाक़ेअ् हो जाएंगी और औरत शौहर पर हराम हो जाएगी।

(فتاوىٰ علامة عبد العزيز بن باز صفحة ٧٠)

एक मुग़ालता और उस का जवाब

आज लोग यह कह कर मुग़ालता देते हैं कि एक साथ तीन तलाक़ देना चूँकि नाजाइज़ और हराम है। लिहाज़ा वाक़ेअ् न किया जाए।

जवाब :-

यह है कि वाक़ेअतन नाजाइज़ और हराम है। हम भी मानते हैं, मगर किसी चीज़ का नाजाइज़ व हराम होना, इस पर हुक्म के मुरत्तब होने के मुनाफ़ी नहीं। इस की बहुत सी मिसालें शरीअते मुतह्हरा के अन्दर मौजूद हैं मसलन :

नम्बर–1

हालते हैज़ में तलाक़ देना मम्नूअ् है लेकिन अगर कोई तलाक़ दे दे तो वोह वाक़े हो जाती है।

चुनांचे जब हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी बीवी को हालते हैज़ में एक तलाक़ दी तो आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन को رجـعـت का हुक्म दिया अगर हालते हैज़ में तलाक़ वाक़ेअ् न होती तो आप (सल्ल.) उन को رجعت का हुक्म क्यों देते।

ولا يـجـوز أن يـومر بالمراجعة من لم يقع طلاقة فلما كان النبى صلى الله عليه وسلم قد الزمه الطلاق فى الـحيض ـــ كان كذالك۔

(तहावी शरीफ़ 34/2)

नम्बर–2

ज़िना करना हराम है।

(ولا تقربوا الزنىٰ انه كان فاحشة و سـاء سبيلا۔)

(सूरहे बनी इस्राईल 32)

अगर कोई ज़िना कर ले तो उस पर हद्दे शरई जारी होती है।

(الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الاية۔)

(सूरहे नूर 2)

नम्बर–3

ज़िहार (मर्द का अपनी बीवी को या उस के उस अज़्व् को जिस से उस का कुल मुराद लिया जाता हो या उस के किसी ग़ैर मुअय्यन हिस्साए जिस्म को अपने महारिम के ऐसे आज़ा के साथ तशबीह देना कि जिन का देखना उस के लिए हराम है, चाहे वोह महारिमे नस्बी हों या रज़ाई ज़िहार कहलाता है) (शरहे विक़ायह 113/2) करना हराम है जिस को क़ुरआन ने सरासर झूठ और बुरा क़ौल कहा है।

(الـذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهتكم ان امهتهم الا الئى ولدنهم و انهم ليقولون منكرا من القول و زورا.)

(سورة مجادله ٢)

मगर इस से बीवी कफ़्फ़ारे की अदाइगी तक हराम हो जाती है।

(و الـذيـن يـظهـرون من نسـآئهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتـمـآسـا الآية. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا الآية.)

(سورة مجادله ٣، ٤)

नम्बर–3

शराब हराम है मगर इस के बावुजूद अगर कोई बहालते रोज़ा पी ले तो रोज़ा टूट जाता है।

हासिल यह है कि किसी फ़ेअल का हराम होना अलग चीज़ है, और उस पर शरीअत के हुक्म का मुरत्तब होना अलग चीज़ है यानी अमल के हराम होने के बावुजूद शरीअत का हुक्म उस पर मुरत्तब होता है। लिहाज़ा बयक वक़्त तीन तलाक़ें देना अगरचे मबग़ूज़-व-हराम है मगर उस पर भी शरीअत का हुक्म मुरत्तब होगा, यानी तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाएंगी। अगरचे एक साथ तीन तलाक़ देना शरअन मबग़ूज़ है।

(فالكتاب و السنة و اجماع السلف توجب ايقاع الثلاث معاوان كانت معصية.)

(احكام القرآن للجصاص ١ / ٣٨٨)

एक मजलिस की तीन तलाक़ों से मुतअ़ल्लिक़

उलमाए अरब का एक अहम फ़तवा :

सऊदी हुकूमत की तरफ़ से एक मजलिस "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء" क़ाइम है जिस में पूरे मुल्क के अकाबिर, उलमा, व सुलहा शरीक हैं जिस के तहत मुख़्तलिफ़ मसाइल पर वोह बहस करके अपना आख़री फ़ैसला देते हैं।

इस सिलसिले में उन्होंने एक मजलिस में दी गई तीन तलाक़ों से मुतअ़ल्लिक़ क़ुरआन-व-हदीस के नुसूस के अलावा तफ़सीर-व-हदीस की 47 किताबें खंगालने और सैर हासिल बहस के बाद फ़ैसला सादिर किया है कि :

एक मजलिस में दी गई तीन तलाक़ें अ़हदे नबवी (सल्ल.) में तीन ही समझी जाती रही हैं और उसी पर अमल होता रहा है और उसी के मुताबिक़ हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने उसे बाक़ाइदा क़ानूनी शक्ल दे दी और फिर पूरी उम्मत उस पर अमल करती रही है।

तमाम रिवायतों को नक़ल करने के बाद मजलिस इस नतीजे पर पहुँची है कि "القول بوقوع الطلاق الثلث بلفظ واحد ثلاثاً" (यानी एक जुमले में तीन तलाक़ देने से तीनों वाक़ेअ़ हो जाती हैं)

इस फ़ैसले में सऊदी अरब के जो अकाबिर उलमा शरीक रहे, उन के अस्माए गिरामी यह हैं :

(1).शैख़ अब्दुल् अज़ीज़ बिन बाज (रह.) (10).शैख़ सालिह बिन ग़सून (रह.)

(2).शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुल् हमीद (रह.) (11).शैख़ मुहम्मद बिन जुबैर (रह.)

(3).शैख़ मुहम्मद बिन अमीन अश्शन्क़ीती (12).शैख़ अब्दुल् मजीद हसन (रह.)

(4).शैख़ सुलैमान बिन उबैद

(5).शैख़ अब्दुल् खय्यात (रह.)

(6).शैख़ मुहम्मद बिन हरकान (रह.)

(7).शैख़ इब्राहीम बिन मुहम्मद आले शैख़

(8).शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक अफीफी (रह.)

(9).शैख़ अब्दुल् अज़ीज़ बिन सालिह (रह.)

(13).राशिद बिन ख़ुनेन (रह.)

(14).शैख़ सालिह बिन लहदान (रह.)

(15).शैख़ महज़ार अक़ील (रह.)

(16).शैख़ अब्दुल्लाह बिन ग़दयान (रह.)

(17).शैख़ अब्दुल्लाह बिन मुनीअ् (रह.)

मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी (रह.) की मुन्सिफ़ाना शहादत

अख़ीर में हम इस मसले से मुतअल्लिक़ ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक बड़े मशहूर आलिम मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी (रह.) की मुन्सिफ़ाना शहादत नक़ल करते हैं जिस से मसअलए हाज़ा की हक़ीक़त खुल कर सामने आ जाती है। दरअसल मौलाना देहलवी (रह.) अपनी जमाअत के एक नामवर आलिम मौलाना सनाउल्लाह अम्रितसरी (रह.) के इस फ़तवे के बारे में कि जिस में मौलाना अम्रितसरी (रह.) ने एक मजलिस की तीन तलाक़ों के एक तलाक़ होने की निसबत मुहद्दिसीन की तरफ़ की है, फ़रमाते हैं।

असल बात यह है कि मुजीब मरहूम ने जो लिखा है कि तीन तलाक़ मजलिसे वाहिद की मुहद्दिसीन के नज़दीक एक के हुक्म में है।

यह (तीन तलाक़ को एक मानने का) मसलक सहाबा, ताबईन व तबए ताबईन वग़ैरह मुहद्दिसीन-व-मुतक़द्दिमीन का नहीं है, यह मसलक सात सौ साल बाद के मुहद्दिसीन का है जो शैख़ुल् इस्लाम इब्ने तैमियह के फ़तावा के पाबन्द और उन के मोतक़िद हैं। यह फ़तवा शैख़ुल् इस्लाम ने सातवीं सदी के आख़िर या अवाइल आठवीं में दिया था, तो उस वक़्त के उलमा ने उन की सख़्त मुख़ालफ़त की थी। नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब ने "اتحاف النبلاء" में जहाँ शैख़ुल् इस्लाम इब्ने तैमियह के تفردات लिखे हैं। इस फ़िहरिस्त में तलाक़े सलास का मसला भी लिखा है, कि जब शैख़ुल् इस्लाम इब्ने तैमियह (रह.) ने तीन तलाक़ की एक मजलिस में एक तलाक़ होने का फ़तवा दिया तो बहुत शोर हुआ, शैख़ुल् इस्लाम और उन के शागिर्द इब्ने क़य्यिम पर मसाइब बरपा हुए। उन को ऊँट पर सवार करके दुर्रे मार मार कर शहर में फिरा कर तौहीन की गई। क़ैद किए गए इस लिए कि उस वक़्त यह मसला अलामते रवाफ़िज़ की थी।

(اتحاف، ص ۳۱۸)

यह फ़तवा या मज़हब आठवीं सदी में वुजूद में आया और अइम्मए अरबअ़ह की तक़लीद चौथी सदी हिजरी में राइज हुई। इस (मसलक को मुहद्दिसीन का मसलक क़रार देने) की मिसाल ऐसी है जैसे बरेलवी लोगों ने क़ब्ज़ए ग़ासिबाना करके अपने आप को अहले सुन्नत वल्‌जमाअत मशहूर कर रखा है। औरों को ख़ारिज। या जैसे मौलवी मौदूदी की जमाअत ने अपने आप को जमाअते इस्लामी मशहूर कर दिया है। बावुजूद यह कि उन का इस्लाम भी खुद साख़्ता है। जो चौदहवीं सदी हिजरी में बनाया गया।

و لعل فيه كفاية لمن له دراية و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم يستئلونك احق هو قل اى و ربى انه لحق.

(अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी, फ़तावाए सनाइयह जिल्द 2, सफ़हा 219-220)

मौलाना अबू सईद शरफुद्दीन देहलवी (रह.) की इस मुन्सिफ़ाना शहादत को हर मुन्सिफ मिज़ाज अहले हदीस को ठण्डे दिल से बार-बार पढ़ना चाहिए। मौलाना मरहूम की इस मज़कूरा इबारत से मुन्दर्जा ज़ेल चन्द बातें वाज़ेह हो जाती हैं।

(1). एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक शुमार करने का मसलक, सहाबाए किराम (रज़ि.), ताबईन इज़ाम (रह.) व तबए ताबईन (रह.) वग़ैरह अइम्मा, मुहद्दिसीन मुतक़द्दिमीन का नहीं है। लिहाज़ा इस को मुहद्दिसीन का मसलक क़रार देना ऐसा ही है जैसा कि बरेलवी हज़रात का अपने आप को अहले सुन्नत वल्‌जमाअ़त और मौदूदियों का अपने आप को जमाअते इस्लामी कहना।

(2). यह मसलक आठवीं सदी हिजरी में वुजूद में आया है। इस से पहले सात सौ साल तक एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही शुमार होती थीं।

(3). तीन तलाक़ों को एक शुमार करने का मसलक रवाफ़िज़ का है।

इसी लिए अल्लामा इब्ने तैमियह (रह.) ने जब यह फ़तवा दिया तो उन्हें सख़्त परेशानियों का सामना करना पड़ा।

शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल् वह्हाब और उन के साहबज़ादे शैख़ अब्दुल्लाह का मसलक

शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल् वह्हाब के साहबज़ादे शैख़ अब्दुल्लाह अपने एक रिसाले "الهدية السنية" में तलाक़े सलास के मुतअल्लिक़ अपने और अपने वालिद के मसलक की वज़ाहत करते हुए तहरीर फ़रमाते हैं :

"और हमारे नज़दीक शैख़ुल् इस्लाम इब्ने क़य्यिम और उन के उस्ताद शैख़ुल् इस्लाम इब्ने तैमियह (रह.) अहले हक़ व अहलुस्-सुन्नत के इमाम व पेशवा हैं और उन दोनों बुज़ुर्गों की किताबें हमें निहायत अज़ीज़ हैं। लेकिन हर मसअले में हम उनके भी मुक़ल्लिद और पैरोकार नहीं हैं। और मुतअद्दिद मसाइल में उन से हमारा इख़्तिलाफ़ मालूम-व-मारूफ़ है। मिन्जुम्ला उन के एक मजलिस की तीन तलाक़ का मसला है इस में हम (इन दोनों बुज़ुर्गों की तहक़ीक़ के ख़िलाफ़) अइम्मए अरबअह के मुत्तफ़िक़ा मसलक का इत्तिबा करते हैं। अल्ख़।

(बहवालह "शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल् वह्हाब के ख़िलाफ़ प्रोपगैण्डा और हिन्दुस्तानी उलमाए हक़ पर इस के असरात"। मुसन्निफ़ा मौलाना मुहम्मद मन्ज़ूर नौमानी 63,64)

(देखिए : "फ़तावाए रहीमियाह 5/299")

नीज़ इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी बावुजूद शैख़ुल इस्लाम के शागिर्द और मोतक़िद होने के इस मसले में सख़्त मुख़ालिफ़ हैं :

(التاج المكلل مصنفه نواب صديق حسن خان صاحب صفحة ٢٨٦ بحوالة طلاق ثلاثة، صفحة ٤٩)۔

नोट :

मसअलए हाज़ा की मज़ीद तफ़सील के लिए मुलाहज़ा फ़रमाइये, अहक़र अल्ख़रा की किताब "तीन तलाक़"

ग़ैर मुक़ल्लिदों के लिए लम्हए फ़िक्र

ग़ैर मुक़ल्लिद हज़रात तअस्सुब-व-इनाद को बालाए ताक़ रखते हुए मस्अलए हाज़ा की नज़ाकत व अहमियत के पेशे नज़र अपने मौक़िफ़ में नज़रे सानी करें, क्योंकि आप हज़रात तीन तलाक़ वाली औरत को उस के शौहर के लिए हलाल करार देते हैं जबकि कुरआन-व-सुन्नत व इज्माए उम्मत से साबित होता है कि मुतल्लक़ाए सलासा अपने शौहर के लिए हलाल नहीं। जैसा कि रिसालए हाज़ा में बित्तफ़सील आप पढ़ चुके हैं।

क़ारिईने किराम मुतवज्जोह हों

क़ारिईने किराम इस रिसाले को पढ़ने के बाद आप हज़रात को बख़ूबी अन्दाज़ा हो गया होगा कि अपने आप को अहले हदीस (ग़ैर मुक़ल्लिदीन) कहने वाला गिरोह वोह क़ुरान-व-हदीस पर कितना अमल करने वाला है।

आपने महसूस किया होगा कि उनके मसलक की बुनियाद जिन अहादीस पर है वोह अहादीस या तो ज़ईफ़ हैं, या अगर वोह सही हैं तो वोह मन्सूख़ हैं। या फिर इन अहादीस की यह गिरोह (अहले हदीस) अपना मसलक साबित करने के लिए ऐसी तशरीह करता है जो हज़रात मुहद्दिसीन की तसरीह-व-तौज़ीह के ख़िलाफ़ होती है। हालांकि यह लोग बराबर यह दावा करते हैं कि कुरआन व हदीस पर हम (अहले हदीस) अमल करते हैं और हनफ़िया तो इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद करते हैं और सहीह अहादीस को छोड़ देते हैं। हालांकि यह सरासर उन लोगों का हनफ़िया पर झूठा इल्ज़ाम है। हक़ीक़त से इसका कोई तअल्लुक़ नहीं, जैसा कि आप हज़रात ने रिसालए हाजा में हनफ़िया का मसलक भी बनज़रे ग़ाइर पढ़ा होगा कि मसलके अहनाफ़ कुरआन व हदीस के मुवाफ़िक़ है। बल्कि अगर हम यह कहें कि हनफ़ी मसलक कुरआन-व-हदीस के सबसे ज़्यादा क़रीब है तो बजा होगा।

चुनांचे इमामुल् मुहद्दिसीन हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी क़ुद्दिसा सिर्रहू अपनी एक किताब "فیوض الحرمین" में तहरीर फ़रमाते हैं :

عرفنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان فی المذهب الحنفی طریقة انیقة، هی اوفق الطرق بالسنة المعروفة، التی جمعت و نقحت فی زمان البخاری رحمة الله!

तरजुमा :-

मुझे (कश्फ़ में) आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हक़ीक़त

समझायी कि फ़िक़्हे हनफ़ी की शक्ल में एक उम्दा तरीक़ा है। जो दीगर तरीक़ों से ज़्यादा हम-आहँग है। इन अहादीसे मशहूरा से जो इमाम बुख़ारी (रह.) के ज़माने में जमा की गईं, और उन की तन्क़ीह की गई (यानी तदवीने हदीस के तीसरे दौर में जो अहादीसे सहीहा मुनक़्क़ह होकर किताबों में मुदव्वन की गईं। इन से फ़िक़्हे हनफ़ी बनिस्बत दूसरी फ़िक़्हों के ज़्यादा हम-आहँग है), (बहवालह मुक़द्दमए हदीस और अहले हदीस/ب)

ग़ैर मुक़ल्लिदीन सीधे-साधे अवाम को महज़ धोका देने के लिए उनसे कहते हैं कि हम तो कुरआन-व-हदीस पर अमल करते हैं और हनफ़िया इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं, उनके क़ौल के मुक़ाबले में सहीह हदीस को छोड़ देते हैं।

हालांकि अहनाफ़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तक़्लीद सिर्फ़ उन मसाइल में करते हैं जिनका हुक्म कुरआन-व-हदीस में वाज़ेह न हो, या उनके बारे में अहादीस में बज़ाहिर तआरुज़ हो, वहाँ अहनाफ़ इमाम साहब की तक़्लीद करते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक वतआला ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) को इज्तिहाद का ख़ास मल्का इनायत फ़रमाया था नीज़ फ़रमाने बारी तआला है :

"فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون"

कि अहले इल्म से मालूम कर लो, अगर तुम नहीं जानते।

आप ज़रा सोचें कि जो मसाइल कुरआन-व-हदीस में वाज़ेह नहीं हैं, या उनके बारे में अहादीस मुतआरिज़ हैं। वहाँ अगर हर आदमी अपने तौर से इज्तिहाद करने लग जाए तो दीन तो मज़ाक़ बन जाएगा।

लोग अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक़ कुरआन-व-हदीस का मतलब तराशने लगेंगे। चुनांचे एक ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम के यहाँ जाना हुआ तो कहने लगे कि चाय पीना हराम है क्योंकि चाय गर्म होती है।

इसलिए अहनाफ़ मुजतहद फ़ीहि मसाइल में हज़रत इमाम आज़म (रह.) की तक़्लीद करते हैं। और यह ग़ैर मुक़ल्लिद कुरआन-व-हदीस से बराहे रास्त खुद मस्अला मुस्तम्बित करते हैं। हत्ता कि सहाबा किराम (रज़ि.) के फ़हम पर

उनको एतमाद नहीं। चुनांचे कहते हैं :

"क़ौले सहाबी हुज्जत नहीं"

(फ़तावाए नज़ीरियह /340 बहवालह मसाइले ग़ैर मुक़ल्लिदीन /12)

यानी यह लोग जो मतलब समझें, वोह तो हुज्जत हैं। और जो मआनी सहाबी रसूल (सल्ल.) ने समझे हैं, वोह हुज्जत नहीं (استغفر الله)

उसकी एक मिसाल मुलाहज़ा फ़रमाइये। हदीस शरीफ़ "لا صلوٰة الا بفاتحة الكتاب" कि सूरहे फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ नहीं होती।

यह हदीस मुन्फ़रिद के बारे में है। उस शख़्स के बारे में नहीं है जो इमाम के पीछे हो। सहाबीए रसूल (सल्ल.) हज़रत जाबिर (रज़ि.) इस हदीस शरीफ़ को मुन्फ़रिद के बारे में ही बताते हैं (तिर्मिज़ी 71/1)। मगर ग़ैर मुक़ल्लिदीन सहाबी रसूल (सल्ल.) की तसरीह को छोड़कर कहते हैं कि "नहीं यह मुक़तदी के बारे में है"।

आप जब इन के मसाइल पर नज़र डालेंगे तो इनके मसाइल सहाबा किराम (रज़ि.) व इज्माए उम्मत वग़ैरह से टकराते हुए नज़र आएंगे। और मुख़्तलफ़ फ़ीहि मसाइल में यह लोग अपनी नफ़सानी ख़्वाहिशात की पैरवी करते हुए आसानी की तरफ़ दौड़ते हुए नज़र आएंगे। इसकी चन्द मिसालें मुलाहज़ा फ़रमाइये।

(1). तरावीह बीस रकात है। बिल्कुल इज्माई मसअला है। आज तक हरमैन शरीफ़ैन मे बीस रकअत तरावीह होती चली आ रही हैं। लेकिन ग़ैर मुक़ल्लिदीन सिर्फ़ आठ रकअत पढ़ते हैं।

(2). एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही वाक़े होती हैं। पूरी उम्मत का इज्मा है। मगर यह लोग सिर्फ़ एक तलाक़ शुमार करते हैं।

(3). चाँदी और सोने के ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है। अहादीसे सहीहा इस पर दलालत करती हैं। मगर यह लोग कहते है कि चाँदी और सोने के ज़ेवरात में ज़कात नहीं।

(4). माले तिजारत में ज़कात फ़र्ज़ है, मगर यह लोग कहते हैं कि माले तिजारत में ज़कात नहीं।

(5). वित्र की तीन रकअ़त हैं, मगर यह लोग कहते हैं कि तीन रकअ़त वित्र पढ़ना मम्नूअ़ है।

(6). कुरआन शरीफ़ को बग़ैर वुज़ू के छूना जाइज़ नहीं, मगर यह लोग कहते हैं कि जाइज़ है।

(7). थोड़ा पानी निजासत गिरने से नापाक हो जाता है, मगर यह लोग कहते हैं कि नापाक नहीं होता।

(8). हलाल जानवरों का पेशाब नापाक है, मगर यह लोग कहते हैं कि पाक है।

(9). फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है, मगर इन लोगों के यहाँ फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा है ही नहीं।

(10). मनी नापाक है, मगर यह लोग कहते हैं कि मनी पाक है। वग़ैरह, वग़ैरह।

ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी (रह.) की अदालत में

इस उन्वान के तहत हम आप हज़रात के सामने ग़ैर मुक़ल्लिदों के कुछ ऐसे मसाइल की निशान्दही करेंगे, जो मसाइल उनके हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और बुख़ारी शरीफ़ में मज़कूर अहादीसे रसूल (सल्ल.) के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि यह लोग सीधे-साधे अवाम को धोका देने के लिए बात बात पर कहते हैं कि बुख़ारी दिखाओ। बुख़ारी शरीफ़ की हदीस पेश करो। जिस से जाहिल अवाम समझते हैं कि यह लोग اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى बुख़ारी शरीफ़ पर अमल करते होंगे, हालांकि यह महज़ उन का दावा है अमल नहीं। मुलाहज़ा फ़रमाइये उन के मुन्दर्जा ज़ेल चन्द मसाइल।

मसअला-1

ग़ैर मुक़ल्लिदीन फ़िक़ह और फ़ुक़हाए किराम (रह.) के सख़्त मुख़ालिफ़ हैं, बिल्ख़ुसूस फ़िक़हे हनफ़ी के जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़िक़ह को बड़ी अज़्मत-व-तक़द्दुस की नज़र से देखते हैं। चुनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ़ 16/1" पर एक बाब क़ाइम किया है "باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"

यानी अल्लाह तआला जिस के साथ भलाई का इरादह फ़रमाते हैं, उस को फ़क़ाहत फ़िद्दीन इनायत फ़रमाते हैं। इस बाब के तहत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यह हदीस शरीफ़ ज़िक्र फ़रमाई है।

قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيباً يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم : يقول من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين الخ.

तरजुमा :-

हज़रत हमीद बिन अब्दुर्रहमान (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत मुआविया (रज़ि.) को ख़ुतबा देते हुए सुना, आप (हज़रत मुआवियह रज़ि.)

फ़रमा रहे थे कि मैं ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह तआला जिस शख़्स के साथ भलाई का इरादह फ़रमाते हैं उसे दीन की फ़ुक़ाहत इनायत फ़रमाते हैं।

(बुख़ारी शरीफ़ 16/1)

मसअला–2

ग़ैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक थोड़ा पानी निजासत गिरने से नापाक नहीं होता जब तक कि उस का रँग, बू और मज़ा न बदल जाए। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक थोड़ा पानी निजासत गिरने से फ़ौरन नापाक हो जाता है, चाहे उस का रँग, बू और मज़ा बदले या न बदले।

चुनांचे हज़रत (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 37/1" पर बाब क़ाइम किया है। "باب البول فی الماء الدائم" यानी ठहरे हुए पानी में पेशाब करना कैसा है। इस के बाद मुन्दर्जा ज़ेल हदीस शरीफ़ ज़िक्र फ़रमाई है :

قال (رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم) لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ.

तरजुमा :–

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि तुम में से कोई शख़्स ठहरे हुए पानी में, जो बह न रहा हो, पेशाब न करे (कि उस के बाद) फिर उसी में ग़ुस्ल करने लगे।

तौज़ीह :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि थोड़े पानी में अगर निजासत गिर जाए तो वोह फ़ौरन नापाक हो जाए गा, क्योंकि ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से उस का रँग, बू और मज़े में तब्दीली नहीं आए गी।

मसअला–3

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ मनी पाक है जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक मनी नापाक है। चुनांचे हज़रत मौसूफ़ ने "बुख़ारी शरीफ़ 36/1" पर एक

बाब क़ाइम किया है। "باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره" यानी जब कोई मनी वग़ैरह धोए और उस का असर न जाए।

इस बाब के बारे में मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम अल्लामा वहीदुज़्ज़माँ साहब तहरीर फ़रमाते हैं :

"इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब में मनी के सिवा और निजासतों का ज़िक्र नहीं किया, शायद उन को मनी पर क़यास किया। इससे यह निकलता है कि इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक भी मनी नजिस है।

("तैसीरुल् बारी 170/1" बहवालह "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी (रह.) की अदालत में /104")

इस के बाद बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत मुलाहज़ा फ़रमाइये इस उन्वान के तहत "मनी पाक है या नापाक"

मसअला-4

ग़ैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक वाजिब नहीं बल्कि अफ़ज़ल व सुन्नत है।

चुनांचे हज़रत (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 120/1" पर एक बाब क़ाइम किया है "باب فضل الغسل يوم الجمعة" यानी यह बाब है जुमे के दिन गुस्ल करने की फ़ज़ीलत के बयान में। इस से मालूम हुआ कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक जुमे के दिन गुस्ल करना बाइसे फ़ज़ीलत व अज्र-व-सवाब है वाजिब नहीं।

मसअला-5

ग़ैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़ है जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक जुमे का वक़्त ज़वाल के बाद शुरू होता है।

चुनांचे हज़रत (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 123/1" पर एक बाब क़ाइम किया है "باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس و كذالك يذكر عن عمرو على و النعمان بن بشير و عمرو بن حريث" यानी जुमे का वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज

ढल जाए। ऐसे ही मन्कूल है।

हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत नौमान बिन बशीर और हज़रत अमर बिन हुरैस (रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम) से इस से मुतअल्लिक बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत किताबे हाज़ा में इस उन्वान के तहत मुलाहज़ा फ़रमाएं।

(क्या जुमे की नमाज़ को ज़वाल से पहले पढ़ना जाइज़ है?)

मसअला–6

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ कुत्ते का झूठा पाक है। जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 29/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि कुत्ते का झूठा नापाक है।

عن ابی هریرة ان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و سلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعاً۔

तरजुमा :–

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बरतन से पी ले तो वोह इस को सात मरतबा धोए।

फ़ाइदा :–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि कुत्ते का झूठा नापाक है वरना बरतन को सात मरतबा धोने का हुक्म न दिया जाता।

मसअला–7

ग़ैर मुक़ल्लिदीन गर्मियों में भी ज़ोहर की नमाज़ को जल्दी पढ़ते हैं। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) गर्मियों में ज़ोहर की नमाज़ ठण्डी करके यानी ताख़ीर से पढ़ने के क़ाइल हैं।

चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 76/1" पर एक बाब क़ाइम किया है "باب الابراد بالظهر فی شدة الحر" यानी यह बाब है सख़्त गर्मी के मौसम में

ज़ोहर की नमाज़ को ठण्डे (ताख़ीर से) वक़्त में पढ़ने के बयान में।

बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत किताबे हाज़ा में इस उन्वान के तहत मुलाहज़ा फ़रमाएं।

मसअला–8

ग़ैर मुक़ल्लिदीन इशा की नमाज़ को जल्दी पढ़ते हैं, जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 80/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है।

عن ابی هریرة کان النبی صلی الله علیه وسلم یؤخر العشاء

तरजुमा :–

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ को ताख़ीर से पढ़ते थे।

मसअला–9

ग़ैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक रुकू में शरीक होने वाले की रकअ़त शुमार नहीं होती जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 108/1" की इस रिवायत से साबित होता है कि उस की रकअ़त शुमार होगी।

عن ابی بکرة انه انتهیٰ الی النبی صلی الله علیه وسلم و هو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذالك للنبی صلی الله علیه وسلم فقال زادك الله حرصاً و لا تعد

तरजुमा :–

हज़रत अबू बकरह (रज़ि.) से रिवायत है कि वोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास (मस्जिद में) पहुँचे तो देखा कि आप (सल्ल.) रुकू में हैं तो उन्होंने (रकअ़त छूटने के ख़ौफ़ से) सफ़ में पहुँचने से पहले ही रुकू कर लिया (नमाज़ के बाद) आप (सल्ल.) से इस का तज़किरा किया तो आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला आप की चाहत को ज़्यादा

करे, आइन्दा ऐसा न करना।

फ़ाइदा :-

हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि रुकू में शरीक होने वाले की रकअ़त शुमार होगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकरह (रज़ि.) को रकअ़त लौटाने का हुक्म नहीं फ़रमाया, हालांकि आप (रज़ि०) रुकू में शरीक हुए थे।

मसअला-10

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक वित्र की तीन रकअ़त पढ़ना मम्नूअ़ है जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 54/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की तीन रकअ़त पढ़ते थे।

عن عائشة....... يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى اربعاً فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلى ثلاثاً.

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार रकअ़त नमाज़ पढ़ते थे और ऐसी पढ़ते थे कि तुम उन की ख़ूबी और तूल के बारे में मत पूछो और फिर चार रकअ़त इसी तरह पढ़ते थे, इस के बाद तीन रकअ़त (वित्र) पढ़ते थे।

मसअला-11

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक नमाज़ी के सामने से अगर औरत गुज़र जाए तो उस की नमाज़ फ़ासिद हो जाती है जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से मालूम होता है कि इस की वजह से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصّلوة الكلب و الحمار و المرأة فقالت شبهتمونا بالحمر و الكلاب و الله لقد رأيت النبى صلى الله عليه و سلم يصلى وانى على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة فتبدولى الحاجة فاكره ان اجلس

فاوذى النبى صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجليه۔

(बुख़ारी शरीफ़ 73/1)

तरजुमा :-

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन के सामने उन चीज़ों का तज़किरा किया गया जो नमाज़ को क़तअ कर देती हैं यानी कुत्ता, गधा, और औरत का तो हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि तुम लोग हम (औरतों) को गधों और कुत्तों के मुशाबेह क़रार देते हो। ख़ुदा की क़सम मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप (सल्ल०) नमाज़ पढ़ते और मैं चारपाई पर आप (सल्ल.) के और क़िबले के दरमियान लेटी रहती, फिर मुझे कोई ज़रूरत पेश आती तो मैं इस बात को पसन्द न करती कि मैं आप (सल्ल.) के सामने बैठकर आप (सल्ल.) को तकलीफ़ दूँ। तो मैं चारपाई की पाइंती से खिसक कर निकल जाती।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि औरत अगर नमाज़ी के सामने से गुज़र जाए तो उस से नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई होती।

मसअला-12

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक फ़जर की सुन्नतों को नमाज़े फ़जर के बाद तुलूए आफ़ताब से पहले पढ़ना जाइज़ है, जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से उसका नाजाइज़ होना साबित होता है।

عن ابن عباس ؓ ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتىّٰ تشرق الشمس و بعد العصر حتىّٰ تغرب الشمس۔

(बुख़ारी शरीफ़ 82/1)

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (नमाज़े) सुबह के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है, यहीं

तक आफ़्ताब तुलू हो जाए और (नमाज़) असर के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है, यहाँ तक कि आफ़्ताब ग़ुरूब हो जाए।

मसअला–13

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है। चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 84/1" पर दो बाब क़ाइम किये हैं :

(١)۔ "باب قضاء الصلوات الاولیٰ فالاولیٰ"

यानी यह बाब है क़ज़ा नमाज़ों की क़ज़ा ऊला फ़िलऊला की तरतीब से अदा करने के बयान में।

(٢)۔ "باب من نسی صلوٰۃ فلیصل اذا ذکر"

यानी यह बाब है उस शख़्स के बयान में जो नमाज़ को भूल गया हो तो वोह उस को पढ़ ले, जब उस को याद आए।

बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत किताबे हाज़ा में इस उन्वान के तहत देख ली जाए।

मसअला–14

ग़ैर मुक़ल्लिदीन वित्र की तीन रकअ़तों को दो सलामों से पढ़ते हैं। जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 154/1" की एक रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ "ثم یصلی ثلاثاً" (यानी फिर आप (सल्ल.) तीन रकअ़त (वित्र) पढ़ते थे) से मालूम होता है कि आप (सल्ल.) वित्र की तीनों रकअ़तों को एक सलाम से पढ़ते थे।

मसअला–15

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ रात में मय्यत को दफ़न करना मम्नूअ़ है। जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक दुरुस्त है। चुनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ़ 178/1" पर एक बाब क़ाइम किया है : "باب الدفن باللیل و دفن ابو بکر لیلاً" यानी यह बाब है रात में दफ़न करने के बयान में और हज़रत अबू बकर (रज़ि.) रात ही दफ़न किये गए।

बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत किताबे हाज़ा में इस उन्वान के तहत मुलाहज़ा फ़रमा ली जाए।

मसअला–16

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ मुसाफ़हा एक हाथ से है जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक मुसाफ़हा दो हाथों से है, चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 926/2" पर एक बाब क़ाइम किया है "باب الاخذ باليدين" صافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه" यानी यह बाब है दो हाथों से मुसाफ़हा करने के बयान में, हज़रत हम्माद बिन ज़ैद ने इब्ने मुबारक से दो हाथों से मुसाफ़हा किया।

मसअला–17

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक माले तिजारत में ज़कात वाजिब नहीं, जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक माले तिजारत में ज़कात फ़र्ज़ है। चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "इमाम बुख़ारी शरीफ़ 194/1" में एक बाब क़ाइम किया है "باب صدقة الكسب و التجارة" यानी यह बाब है कमाई और तिजारत के अन्दर ज़कात से मुतअल्लिक़।

मसअला–18

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ तसवीर वाली अश्या का इस्तेमाल जाइज़ है जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से इस का नाजाइज़ होना साबित होता है।

عن عائشة ان النبى صلى اللّه عليه و سلم لم يكن يترك فى بيته شيئاً فيه تصاليب الانقضة.

(बुख़ारी शरीफ़ 179/1)

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जिस चीज़ में भी तसवीर देखते, उस को तोड़–फोड़ देते।

मसअला–19

ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ शहीद को न कफ़न दिया जाएगा, और न उस पर जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाएगी। जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल दो

रिवायतों के मजमूए से मालूम होता है कि शहीद को भी कफ़न दिया जाएगा। और उस पर नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी।

(١)۔ عـن جابر بن عبد اللّٰہ قال کان النبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم یجمع بین الرجلین من قتلیٰ احد فی ثوب واحد۔

(बुख़ारी शरीफ़ 179/1)

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद में से दो-दो आदमियों को एक कपड़े में जमा फ़रमाते यानी दो-दो आदमियों को एक कपड़े में कफ़न देते।

(٢)۔ عـن عـقبـیٰ بـن عامرؓ قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم علی قتلیٰ احد بعد ثمان سنین۔

(बुख़ारी, 978/2)

हज़रत उक़्बः बिन आमिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद पर आठ साल बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

मसअला-20

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक एक मजलिस की तीन तलाक़ें सिर्फ़ एक तलाक़ वाक़ेअ् होती है। जबकि इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही वाक़ेअ् होती हैं। चुनांचे हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 791/2" पर एक बाब क़ाइम किया है "بـــاب مـن اجـــاز الـطـلاق الثـــلاث" यह बाब (एक मजलिस की) तीन तलाक़ों के वाक़े होने के बयान में है। (तफ़सील किताबे हाज़ा में इस मसअले के तहत देख ली जाए।)

मसअला-21

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक पेशाब, पाख़ाने के वक़्त क़िबले की तरफ़ रुख़ करना जाइज़ है। नाजाइज़ होना तो दरकिनार, मकरूह भी नहीं। (देखिए : "तैसीरुल् बारी 170/1" बहवालए "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी (रह.) की अदालत में /104).

जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 26/1" की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से इस का नाजाइज़ होना साबित होता है।

عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یولها ظهره.

तरजुमा :-

हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब तुम में से कोई पाख़ाने को जाए तो बैतुल्लाह की तरफ़ न रुख़ करे, न पीठ।

मसअला-22

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक आज़ाए वुज़ू में मवालात (पै दर पै धोना ज़रूरी है, इसको तर्क करना बिदअत है। देखिए : "बुदूरुल् अहिल्लाह /28" बहवालए "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी की अदालत में 109"

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक आज़ाए वुज़ू के धोने में मवालात ज़रूरी नहीं। चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ /40" पर एक बाब क़ाइम किया है। "باب تفریق الغسل والوضو و یذکر ان ابن عمر انهٔ غسل قدمیه بعد ماجف" यानी यह बाब है गुस्ल और वुज़ू के आज़ा के दरमियान फ़सल करने के बयान में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि उन्होंने आज़ाए वुज़ू के ख़ुश्क हो जाने के बाद पैरों को धोया।

मसअला-23

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक औरत को छूना नाक़िज़े वुज़ू है। ("तैसीरुल् बारी, 142/1" बहवालए "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी की अदालत में /114")।

जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि مس مرأة (औरत को छूना) नाक़िज़े वुज़ू नहीं है।

عن عائشة زوج النبی صلی الله علیه وسلم انها قالت کنت انام بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و رجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی

فاذا قام بسطتهما قالت و البيوت يومئذ ليس فيها مصباح-

(बुख़ारी शरीफ़ 56/1)

ज़ौजए मोहतरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) इरशाद फ़रमाती हैं कि मैं आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाती, और मेरे पाँव आप (सल्ल.) के क़िबले में होते। आप (सल्ल.) जब सजदे में जाते तो मुझे छू देते, मैं अपने पाँव समेट लेती। और जब आप (सल्ल.) खड़े होते तो मैं पाँव फैला देती। और इन दिनों घरों में चिराग़ न थे।

मसअला–24

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक इमाम अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ाये तो मुक़्तदी भी बैठ कर नमाज़ पढ़ें।

("तैसीरुल् बारी 439/1", बहवालए "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी (रह.) की अदालत में /12।")

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक इमाम जब बैठकर नमाज़ पढ़ाये तो मुक़्तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। चुनांचे हज़रत मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 91/1" में एक बाब क़ाइम किया "باب حد المريض ان يشهد الجماعة" बीमार को किस हद तक जमाअत में आना चाहिए। इस के तहत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस नक़ल की है। जिसका ख़ुलासा यह है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरज़ुल् वफ़ात में जब कुछ इफ़ाक़ह हुआ तो आप (सल्ल.) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और मुक़्तदियों ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी।

(बुख़ारी शरीफ़ 91/1)

मसअला–25

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक اعلم بالسنة (सुन्नत का इल्म ज़्यादा रखने वाल) के मुक़ाबले में اقرأ (क़ुरआन का ज़्यादा क़ारी) इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक़ है, जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक اعلم بالسنة، اقرأ से इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। चुनांचे इमाम बुख़ारी ने "बुख़ारी शरीफ़

93/1" पर एक बाब क़ाइम किया है "باب اهل العلم و الفضل احق بالامامة" यानी सबसे ज़्यादा इमामत का मुस्तहिक़ वोह है, जो ज़्यादा इल्म-व-फ़ज़ीलत वाला हो।

मसअला-26

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक "بسم الله" को جهری नमाज़ों में جهراً और سرّی नमाज़ों में سرّاً पढ़ना चाहिए।

(अर्फ़ुल् शादी /36 बहवालए मज़कूर)

जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल रिवायत से साबित होता है कि "بسم الله" को على الاطلاق जैहरी और सिर्री दोनों तरह की नमाज़ों में سرّاً (आहिस्ता) ही पढ़ा जाएगा।

عن انس ان النبی صلی الله علیه و سلم و ابا بکر و عمر کانو یفتتحون الصلوة بالحمد لله ربّ العالمین۔

तरजुमा :-

हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.), और हज़रत उमर (रज़ि.) नमाज़ को "الحمد لله ربّ العالمین" से शुरू फ़रमाते थे। यानी "तअव्वुज़ व तस्मियह" को आहिस्ता पढ़ कर جهراً क़ुरआन का आग़ाज़ سوره فاتحة से फ़रमाते थे।

मसअला-27

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक फ़र्ज़ों की आख़री दो रकअ़तों में "सूरहे फ़ातिहा" के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ सकते हैं। चुनांचे देखिए : ("नज़्लुल अबरार 78/1" बहवालए मज़कूर)।

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक फ़र्ज़ की अख़ीर की दो रकअ़तों में सिर्फ़ सूरहे फ़ातिहा पढ़ी जाएगी। चुनांचे हज़रत मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 107/1" पर एक बाब क़ाइम किया है : "باب یقرأ فی الآخرین بفاتحة الکتاب" यानी यह बाब है अख़ीर की दो रकअ़तों में सूरहे फ़ातिहा पढ़ने

के बयान में। इस बाब के तहत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुन्दर्जा ज़ेल हदीसे मुबारक ज़िक्र की है।

عن ابی قتادة ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولین بام الکتاب و سورتین و فی الرکعتین الآخرین بام الکتاب۔

(الحدیث)

तरजुमा :–

हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली दो रकअ़तों में सूरते फ़ातिहा और दो सूरतें पढ़ते थे और अख़ीर की दो रकअ़तों में (सिर्फ़) सूरते फ़ातिहा पढ़ते थे।

मसअला–28

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक जुमे की दूसरी अज़ान बिद्अत है। देखिए : ("फ़तावाए सत्तारियह 85/3", "फ़तावाए उलमाए अहले हदीस 179/2" बहवालए मज़कूर)।

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक जुमे की दो अज़ाने मसनून हैं। चुनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ़ 125/1" पर एक बाब क़ाइम किया है : "باب التاذین عند الخطبة" ख़ुत्बे के वक़्त अज़ान देने का बयान। इस के बाद हज़रत ने मुन्दरजा ज़ेल हदीस शरीफ़ ज़िक्र की है।

عن الزہری قال: سمعت السائب بن یزید یقول: ان الاذان یوم الجمعة کان اولہ حین یجلس الامام علی المنبر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و ابی بکر و عمر فلما کانت فی خلافة عثمان و کثر الناس امر عثمان یوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن بہ علی الزوراء فثبت الامر ذالک۔

तरजुमा :–

हज़रत इमाम ज़ुहरी (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत साइब बिन यज़ीद

को यह फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में जुमे की अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठ जाता था। फिर जब हज़रत उस्मान (रज़ि.) का दौरे ख़िलाफ़त आया, और लोग ज़्यादा हो गए तो हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने तीसरी अज़ान (जुमे की पहली अज़ान) का हुक्म दिया। चुनांचे मक़ामे ज़ोरा पर वोह अज़ान कही गई, और फिर यह एक मुस्तक़िल सुन्नत बन गई।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम होता है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में जब लोगों की कसरत हुई तो आप (रज़ि.) के हुक्म से एक अज़ान का इज़ाफ़ह हो गया। इस दूसरी अज़ान का इज़ाफ़ह सहाबा किराम (रज़ि.) की मौजूदगी में हुआ। किसी ने इस पर नकीर नहीं फ़रमायी। चुनांचे बिलइज्मा यह अज़ाने सानी राइज हो गई। और हर ज़माने में इस पर अमल होता रहा, और होना भी चाहिए था। क्योंकि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है:

"فعليكم بسنتي بسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضو عليها بالنواخذ"

(अबू दाऊद शरीफ़ 635/2)

बस तुम पर लाज़िम है कि मेरी सुन्नत और मेरे इन ख़ुलफ़ा की सुन्नत जो राह याब और हिदायते मआब हैं उसको मज़बूती से थाम लो और डाढ़ों से दबा लो।

मसअला-29

ग़ैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक वित्र में دعاء قنوت को रुकू के बाद पढ़ना मुस्तहब है।

(फ़तावाए उलमाए ऐहले हदीस 205/3 बहवालए मज़कूर /142)

जबकि बुख़ारी शरीफ़ की मुन्दर्जा ज़ेल हदीस शरीफ़ से मालूम होता है कि दुआए क़ुनूत रुकू से पहले क़िराअत के बाद है।

قال عبد العزيز و سأل رجل انسا عن القنوت ابعد الركوع او عند فراغ من

القرأة؟ قال لا بل عند فراغ من القرأة

(बुख़ारी शरीफ 586/2)

तरजुमा :–

हज़रत अब्दुल् अज़ीज़ फरमाते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत अनस (रज़ि.) से "दुआए कुनूत" के बारे में पूछा कि वोह रुकू के बाद है या किराअत के बाद? तो आप (रज़ि.) ने फरमाया, नहीं, बल्कि वोह किरात के बाद (रुकू से पहले) है।

मसअला–30

ग़ैर मुकल्लिदीन में से बाज़ तो मुसाफ़ते क़स्र का सिरे से ही इन्कार करते हैं। बाज़ तीन मील और बाज़ नौ मील बताते हैं।

(देखिए : "तैसीरुल् बारी 136/2", "फतावाए सनाइयह 630/1", "फतावाए सत्तारियह 57/3", बहवालए मज़कूर)

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक मुसाफ़ते क़स्र 48 मील है। चुनांचे मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ 147/1" पर एक बाब क़ाइम किया है– "باب فی کم تقصر الصلوٰۃ و سمی النبی صلی اللّٰہ علیہ و سلم السفر یوماً و لیلۃ و کان ابن عمر و ابن عباس یقصران و یفتران فی اربعة بردو ھو ستة عشر فرسخاً" यानी यह बाब है इस बयान में कि कितने (सफर में) क़स्र नमाज़ पढ़ी जाए, और नबी (सल्ल.) ने एक दिन व एक रात को सफ़रे शरई करार दिया है। और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) व इब्ने अब्बास (रज़ि.) चार बुर्द के सफ़र में नमाज़े क़स्र व इफ़्तार करते थे। और वोह (चार बुर्द) 16 फरसख़ का होता है।

फ़ाइदा :–

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के क़ाइम करदा इस बाब से साबित होता है कि मसाफ़ते क़स्र 48 मील है। क्योंकि 4 बुर्द के 16 फरसख़ होते हैं और एक फरसख़ 3 मील का होता है। 16 को 3 में ज़रब दें तो 48 होता है।

मसअला–31

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक हालते एहराम में निकाह दुरुस्त नहीं।

("तोहफ़तुल् अहवज़ी 88/2" बहवालए "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी (रह.) की अदालत में")

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक हालते एहराम में निकाह जाइज़ है। चुनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ़ 248/1" पर एक बाब क़ाइम किया है : باب تزويج المحرم यानी यह बाब है मोहरिम के निकाह के बयान में। इस के बाद मौसूफ़ (रह.) ने यह हदीस शरीफ़ ज़िक्र की है।

عن ابن عباس ان النبی صلی اللّٰه علیه و سلم تزوج میمونة و هو محرم۔

तरजुमा :-

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूनह (रज़ि.) से इस हाल में निकाह किया कि आप (सल्ल.) मोहरिम (हालते एहराम में) थे।

मसअला–32

ग़ैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक हुरमते रज़ाअत कम–से–कम पाँच मरतबा दूध चूसने से होती है।

(तैसीरुल् बारी 23/7)

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक रज़ाअत क़लील हो या कसीर, हुरमते रज़ाअत साबित हो जाती है। चुनांचे हज़रत मौसूफ़ (रह.) ने "बुख़ारी शरीफ़ 764/2" पर एक बाब क़ाइम किया "باب من قال لا رضاع بعد حولین لقوله تعالیٰ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة و ما یحرم من قلیل الرضاع و کثیره" यानी यह बाब है उस शख़्स की दलील के बयान में जो कहता है कि दो बरस के बाद फिर रज़ाअत से हुरमत साबित न होगी। क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है "और बच्चे वाली औरतें दूध पिलायें अपने बच्चे को, दो बरस पूरे, जो कोई चाहे पूरी करे दूध की मुद्दत और रज़ाअत क़लील हो या

कसीर, उस से हुरमत साबित हो जाए गी।"

इस बाब से मालूम हुआ कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक बच्चा थोड़ा दूध पिये या ज़्यादा, उस से हुरमते रज़ाअत साबित हो जाती है। बच्चे का तीन बार चूसना या पाँच बार चूसना शर्त नहीं।

मसअला–33

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक हाइज़ा को दी जाने वाली तलाक़ वाक़ेअ् नहीं होती।

(तैसीरुल् बारी 235/7)

जबकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक वाक़ेअ् हो जाती है। चुनांचे हज़रत ने "बुख़ारी शरीफ़ 790/2" पर एक बाब क़ाइम किया है "بـاب اذا طـلـقـت الـحـائض يعتد بذالك الطلاق" यानी अगर हाइज़ा औरत को तलाक़ दी जाए तो वोह तलाक़ शुमार की जाए गी। इस बाब के तहत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की हदीस ज़िक्र की है जिस के अख़ीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का यह क़ौल नक़्ल किया है।

"حسبت على بتطليقة."
(जो तलाक़ मैं ने हालते हैज़ में दी थी) वोह मुझ पर शुमार की गई।

मसअला–34

ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक क़ुरबानी के चार दिन हैं। जबकि "बुख़ारी शरीफ़ 835/2" पर मुतअद्दद रिवायात मौजूद हैं। जिनसे साफ़ मालूम होता है कि क़ुरबानी सिर्फ़ तीन दिन जाइज़ है। इससे ज़्यादा नहीं। मुलाहज़ा फ़रमाइये। मसलन –

عن سلمة بن الاكوع قال قال النبي صلى الله عليه و سلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة و بقي في بيته منه شئى.

(अलहदीस)

तरजुमा :-

हज़रत सल्मा बिन अकवअ फ़रमाते हैं कि नबीए करीम (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया कि जो तुम में से क़ुरबानी करे तो वोह इस हालत में सुबह न करे कि तीसरे दिन के बाद भी उसके घर क़ुरबानी के गोश्त में कुछ बाक़ी हो।

फ़ाइदा :-

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि क़ुरबानी के गोश्त को तीन दिन से ज़्यादा रखना मना है। जब तीन दिन से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त रखना सही नहीं, तो तीन दिन से ज़्यादा यानी चौथे दिन क़ुरबानी करना कैसे जाइज़ होगा।

नोट :

तीन दिन से ज़्यादा क़ुरबानी के गोश्त को रखने की मुमानअत बाद में ख़त्म हो गई थी। अल्बत्ता, क़ुरबानी न करने का हुक्म बदस्तूर बाक़ी रहा। जैसा कि दीगर अहादीस और शुरूअ़ में मुफ़स्सल मज़कूर है।

ग़ैर मुक़ल्लिदों के और भी बहुत से मसाइल हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के इज्तिहाद के मुख़ालिफ़ हैं। मज़ीद तफ़सील के साथ देखिए हज़रत मौलाना अनवार ख़ुरशीद मद्देज़िल्लहुल् आली की किताब "ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमाम बुख़ारी की अदालत में" बाक़ी इन मज़कूरा मसाइल से आप हज़रात के सामने यह बात रोज़े रौशन की तरह अयाँ हो गई होगी कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन हज़रात जो बात बात पर हज़रत इमाम बुख़ारी और बुख़ारी शरीफ़ की दुहाई देते हैं, यह महज़ इनका दावा है, अमल नहीं। यह सिर्फ़ सीधे-साधे अवाम को धोखे में डालने का हरबा है। वरना ग़ैर मुक़ल्लिदीन का बुख़ारी शरीफ़ पर दूर तक भी अमल नहीं। अल्लाह तआला इनके मक्र-व-फ़रेब से उम्मते मुस्लिमा को महफ़ूज़ फ़रमाएं! आमीन!

ग़ैर मुक़ल्लिदीन और मक़ामे सहाबा (रज़ि.)

सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ही की वोह पाकीज़ा व मुक़द्दस जमाअत है जो दीन के अव्वलीन सुतून हैं, जिन्होंने दीन को बराहे रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, जिन्होंने दीन की ख़ातिर बड़ी बड़ी मशक़्क़तों को बरदाश्त किया है। यही वोह क़ुदसी सिफ़ात जमाअत है जिस के ज़रीए दीने इस्लाम हम तक पहुँचा। क़ुरआने मुक़द्दस से ले कर जुमला ज़ख़ीराए अहादीस उन्हीं के ज़रीए से हम तक पहुँची हैं।

यही वजह है कि क़ुरआन-व-हदीस में सहाबा किराम (रज़ि.) की नूरानी जमाअत को बड़ी अज़मत व तक़द्दुस की नज़र से देखा गया है। मुलाहज़ा फ़रमाइये। हम आप के सामने उन में से चन्द आयात और कुछ अहादीस को पेश करते हैं, फिर उस के बाद सहाबा किराम (रज़ि.) के बारे में ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मौक़फ़ को उजागर किया जाए गा।

सहाबा किराम (रज़ि.) क़ुरआन की रौशनी में :-

बारी तआला इरशाद फ़रमाते हैं :

(١). محمد رسول الله و الذين معهٗ اشدآء على الكفار رحمآء بينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود.

(فتح/٢٩)

तरजुमा :-

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और जो लोग आपके साथ हैं, सहाबा किराम (रज़ि.) वोह काफ़िरों पर ज़ोर आवर हैं और आपस में मेहरबान हैं। (ऐ मुख़ातिब) तू उनको देखेगा। कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल और रज़ामन्दी की जुस्तुजू में लगे हुए हैं। इनकी निशानी सजदों की तासीर से इनके चेहरों पर साफ़ नुमायाँ है।

तरजुमा :-

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया (जहन्नम की) आग उस मुसलमान को नहीं छूए गी जिस ने मुझे देखा या उसे देखा जिस ने मुझे देखा।

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الله الله فی اصحابی الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضاً من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم و من ابغضهم فببغضی ابغضهم و من آذاهم فقد اذانی و من آذانی فقد اذی الله و من آذی الله فیوشك أن یأخذه۔

(ترمذی کما فی مشکوۃ ر٥٥٤)

तरजुमा :-

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह तआला से डरो, मेरे बाद उन को निशाना मत बनाना, जो उन से मुहब्बत करेगा, तो मेरी मुहब्बत की वजह से उन से मुहब्बत करेगा, और जो उन से बुग़ज़ रखेगा तो मुझ से बुग़ज़ रखने की वजह से उन से बुग़ज़ रखेगा। जिस ने उन को तकलीफ़ पहुँचाई, तहक़ीक़ कि उस ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई और जिस ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उस ने अल्लाह तआला को तकलीफ़ पहुँचाई और जिस ने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई तो क़रीब है कि वोह उस की पकड़ कर ले।

قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابی کالنجوم فبایهم اقتدیتم اهتدیتم۔

(مشکوۃ ر٥٥٤)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मेरे सहाबा (रज़ि.) सितारों के मानिन्द हैं, पस (उन में से) जिस की भी तुम इत्तिबा कर लोगे, हिदायत पा जाओगे।

नीज़ :-

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्‌ख़ुसूस ख़ुलफ़ाए राशिदीन (हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत उस्मान (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.)) के बारे में फ़रमाया :

"فعليكم بسنتی و سنة الخلفاء الرّاشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ"

(अबू दाऊद शरीफ़ /635)

तुम पर मेरी सुन्नत और इन ख़ुलफ़ा की सुन्नत की इत्तिबा लाज़िम है। जो राहयाब और हिदायते मआब हैं। सुन्नते ख़ुलफ़ा को थाम लो और इस सुन्नते ख़ुलफ़ा को दाढ़ों से मज़बूत पकड़ लो।

इस हदीसे मज़कूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नते ख़ुलफ़ा को मज़बूत थामने की पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में उम्मत को ताकीद फ़रमाई है।

यह तो था सहाबा किराम अलैहिम अजमईन का मक़ाम-व-मरतबा, क़ुरआन-व-हदीस की रौशनी में, अब आप मुलाहज़ा फ़रमाएं सहाबा किराम (रज़ि.) का मक़ाम ग़ैर मुक़ल्लिदीन की नज़र में।

तरजुमा :–

हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया (जहन्नम की) आग उस मुसलमान को नहीं छूए गी जिस ने मुझे देखा या उसे देखा जिस ने मुझे देखा।

عن عبد اللّٰه بن مغفل قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم اللّٰه اللّٰه فى اصحابى اللّٰه اللّٰه فى اصحابى لا تتخذوهم غرضاً من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم و من ابغضهم فببغضى ابغضهم و من اٰذاهم فقد اٰذانى و من اٰذانى فقد اٰذى اللّٰه و من اٰذى اللّٰه فيوشك اٌن ياٌخذه.

(ترمذى كما فى مشكوٰة ٥٥٤)

तरजुमा :–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह तआला से डरो, मेरे बाद उन को निशाना मत बनाना, जो उन से मुहब्बत करेगा, तो मेरी मुहब्बत की वजह से उन से मुहब्बत करेगा, और जो उन से बुग़ज़ रखेगा तो मुझ से बुग़ज़ रखने की वजह से उन से बुग़ज़ रखेगा। जिस ने उन को तकलीफ़ पहुँचाई, तहक़ीक़ कि उस ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई और जिस ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उस ने अल्लाह तआला को तकलीफ़ पहुँचाई और जिस ने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई तो क़रीब है कि वोह उस की पकड़ कर ले।

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم اصحابى كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم.

(مشكوٰة ٥٥٤)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मेरे सहाबा (रज़ि.) सितारों के मानिन्द हैं, पस (उन में से) जिस की भी तुम इत्तिबा कर लोगे, हिदायत पा जाओगे।

नीज़ :-

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ख़ुसूस ख़ुलफ़ाए राशिदीन (हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत उस्मान (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.)) के बारे में फ़रमाया :

"فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ"

(अबू दाऊद शरीफ़ /635)

तुम पर मेरी सुन्नत और इन ख़ुलफ़ा की सुन्नत की इत्तिबा लाज़िम है। जो राहयाब और हिदायते मआब हैं। सुन्नते ख़ुलफ़ा को थाम लो और इस सुन्नते ख़ुलफ़ा को दाढ़ों से मज़बूत पकड़ लो।

इस हदीसे मज़कूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नते ख़ुलफ़ा को मज़बूत थामने की पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में उम्मत को ताकीद फ़रमाई है।

यह तो था सहाबा किराम अलैहिम अजमईन का मक़ाम-व-मरतबा, क़ुरआन-व-हदीस की रौशनी में, अब आप मुलाहज़ा फ़रमाएं सहाबा किराम (रज़ि.) का मक़ाम ग़ैर मुक़ल्लिदीन की नज़र में।

मक़ामे सहाबा (रज़ि.) ग़ैर मुक़ल्लिदीन की नज़र में

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक जय्यिद आलिम मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी (रह.) लिखते हैं:

"قول صحابی حجت نیست"

यानी सहाबी का क़ौल दीन में हुज्जत (दलील) नहीं।

("फ़तावाए नज़ीरियह 340/1" बहवालए "सहाबा किराम (रज़ि.) का मक़ाम और ग़ैर मुक़ल्लिदीन का मौक़िफ़ /22")

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक दूसरे बड़े आलिम नवाब वहीदुज़्ज़माँ साहब फ़रमाते हैं:

"و لا يلتزمون ذكر الخلفاء لكونه بدعة"

(ग़ैर मुक़ल्लिदीन) ख़ुतबाए जुमे में ख़ुलफ़ाए राशिदीन (हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.), और हज़रत उमर (रज़ि.) वग़ैरा) का ज़िक्र नहीं करते, क्योंकि यह बिद्अत है।

मौसूफ़ एक दूसरी जगह लिखते हैं:

منه يعلم ان من الصحابة من هو فاسق كالوليد و مثله يقال فى حق معاوية و عمرو ومغيرة و سمرة.

यानी इस से मालूम हुआ कि कुछ सहाबा फ़ासिक़ हैं जैसे वलीद (बिन उक़्बा), ऐसे ही मुआवियह, अमर, मुग़ैरा (बिन शोअ्बा) और सुमरा (बिन जुन्दुब) के हक़ कहा जाएगा (कि वोह भी फ़ासिक़ थे), (نعوذ بالله)

(नज़्लुल अबरार बहवालए मज़्कूर)

एक दूसरी जगह लिखते हैं :

و يستحب الترضي للصحابة غير ابي سفيان و معاوية و عمرو بن العاص و مقيرة بن شعبة و سمرة بن جندب.

(कन्जुल् हक़ाइक़ /234 बहवाला सहाबए किराम के बारे में ग़ैर मुक़ल्लिदीन का नुक़्तए नज़र /14)

सहाबा किराम (रज़ि.) के साथ तरज़्ज़ी यानी उन के नाम के बाद "رضی الله تعالیٰ عنه" लगाना मुस्तहब है मगर अबू सुफ़्यान, मुआविया, अमर बिन अल्‌आस, मुग़ीरा बिन शोअ्‌बा, और सुमरा बिन जुन्दुब के अलावा।

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक और आलिम हज़रत मौलाना नूनम्की लिखते हैं:

"पस आओ सुनो बहुत से साफ़-साफ़ मोटे-मोटे मसाइल ऐसे हैं कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म ने उनमें ग़लती की और आपका इत्तिफ़ाक़ है कि فی الواقع हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) बेख़बर थे।

(तरीक़े मुहम्मदी /41 बहवाला मज्मूआ /24)

क्या ग़ैर मुक़ल्लिदीन का अपने आप को अहले-हदीस कहना सही है?

क़ारिईने किराम ख़ुद फ़ैसला करें कि इस सब के बावुजूद क्या ग़ैर मुक़ल्लिदों का अपने आप को अहले हदीस कहना सही है। और उनका यह दावा करना कि क़ुरआन-व-हदीस पर हम अमल करते हैं, हनफ़िया तो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तक़लीद करते हैं।

हालांकि यह उनका महज़ दावा है। हक़ीक़त से इसका कोई तअल्लुक़ नहीं। और यह ऐसा ही है जैसे एक फ़िरक़ा है, अहले क़ुरआन जो कहता है कि हमारे लिए सिर्फ़ अल्लाह की किताब "क़ुरआन" काफ़ी है। अहादीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि, अहादीसे नबविय्या क़ुरआने मुक़द्दस की तफ़सीर है। बग़ैर अहादीसे रसूल (सल्ल.) के क़ुरआन पर अमल करना नामुम्किन है।

ऐसे ही यह लोग भी कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। हमारे लिए सिर्फ़ क़ुरआन-व-हदीस काफ़ी है। बाक़ी रहा इज्माए उम्मत और क़यास, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हम तो हर मसअले को क़ुरआन-व-हदीस से निकाल लेते हैं।

इनके इस दावे के पेशे नज़र कि हमको सिर्फ़ क़ुरआन-व-हदीस काफ़ी है, उनकी ख़िदमत में चन्द सवालात पेश करते हैं, जिनका जवाब यह लोग सिर्फ़ क़ुरआन-व-हदीस से दें। इज्माए उम्मत, क़यास और किसी इमाम के क़ौल को पेश न करें।

ग़ैर मुक़ल्लिदीन की ख़िदमत में हमारे चन्द सवालात

1. लाउडस्पीकर पर अज़ान कहना कैसा है? सिर्फ़ कुरआन-व-हदीस से जवाब दें।
2. जिन कैसिटों में कुरआन पाक भरा हुआ हो, उनको बग़ैर वुज़ू के छूना जाइज़ है या नहीं?
3. हवाई जहाज़ में अगर कोई नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ होगी या नहीं?
4. घड़ी बांधना कैसा है?
5. टेप रिकार्डर से आयाते सजदा सुनी, बताइये कि सजदए तिलावत वाजिब हुआ या नहीं?
6. इन्जेक्शन व गुलूकोज़ से रोज़ा टूटता है या नहीं?
7. रेल में बग़ैर टिकट सफ़र करना कैसा है?
8. प्रौविडैन्ट फन्ड पर ज़कात है या नहीं?
9. चश्मा लगाकर नमाज़ पढ़ना व पढ़ाना कैसा है?
10. मशीन के ज़रीए किये गए ज़बीहे का क्या हुक्म है?

खुलासए कलाम

खुलासए कलाम यह है कि ग़ैर मुक़ल्लिदों का अपने आप को अहले-हदीस बतलाकर यह दावा करना कि कुरआन-व-हदीस पर सिर्फ़ हम अमल करते हैं। बाक़ी रहे हनफ़ी, तो वोह इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तक़लीद करते हैं, सरासर अवाम को धोखा देना और हनफ़िया के ख़िलाफ़ प्रौपगैन्डा करना है। वरना हक़ीक़त में अहनाफ़ कुरआन-व-सुन्नत के सबसे ज़्यादा क़रीब हैं। जैसा कि आप हज़रात को रिसालए हाज़ा को पढ़कर महसूस हुआ होगा।

इन लोगों ने महज़ सीधे-साधे अवाम को धोखे में डालने के लिए अपने ऊपर "कुरआन-व-हदीस" का ख़ूबसूरत टाइटल लगा रखा है।

दुआ है अल्लाह रब्बुल् इज़्ज़त इनको हिदायत नसीब फ़रमाये, और उम्मते मुस्लिमा को इनके फ़रेब से महफ़ूज़ फ़रमाये। (आमीन। या रब्बल् आलमीन)

मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी
6 रजब 1430 हिजरी

ग़ैर मुक़ल्लिदीन की चन्द ख़ुसूसियात

आप जब इन ग़ैर मुक़ल्लिदों को ज़रा क़रीब से देखेंगे, तो इनकी मुन्दर्जा ज़ेल चन्द ख़ुसूसियात आपके सामने नुमायाँ होंगी।

1. बात-बात पर बहस-व-मुबाहसा करना। नाहक़ ज़िद व हट-धरमी की वजह से अपनी ग़लत बयानी पर अड़े रहना।
2. बवक़्ते नमाज़ अगर उनकी मसाजिद का मुआयना किया जाए, तो नंगे सर नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आएंगे।
3. इनमें अक्सर, बल्कि बहुत से उलमा की भी दाढ़ी कटी हुई नज़र आएगी।
4. इनके बहुत से उलमा भी पेन्ट-शर्ट पहने हुए नज़र आएंगे।
5. पाजामा टख़नों से नीचे मिलेगा।
6. इनके अन्दर क़ुरआने करीम के हुफ़्फ़ाज़ बहुत ही कम मिलेंगे।
7. इनके उलमा के अन्दर भी कोई मुत्तक़ी व परहेज़गार बुज़ुर्ग नज़र नहीं आएगा।
8. अँग्रेज़ी फैशन सबसे ज़्यादा ग़ैर मुक़ल्लिदों में मिलेगा।
9. नवाफ़िल पढ़ते ही नहीं, बल्कि बसा औक़ात सुन्नते मोअक्कदह को भी छोड़ देते हैं। नमाज़ के वक़्त इनकी मसाजिद का मुआयना कर लिया जाए।
10. नमाज़ में पैर इतने चौड़े करके खड़े होते हैं कि देखने वाले को मज़हका ख़ेज़ सूरत नज़र आती है।
11. गुफ़्तगु में बदज़बानी का ख़ूब मुज़ाहिरा करते हैं।
12. अस्लाफ़े उम्मत की शान में गुस्ताख़ी करना इनकी आम आदत है।

फ़िरक़ए ग़ैर मुक़ल्लिदियत के बारे में ज़रूरी मालूमात

फ़िरक़ए ग़ैर मुक़ल्लिदियत की मुख़्तसर सरगुज़िश्त यह है कि इस फ़िरक़े की इब्तिदा 1246 में हज़रत शाह इस्माईल शहीद (रह.) के ज़माने में हो गई थी। मगर इस की मुनज़्ज़म शक्ल आप की वफ़ात के बाद 1246 के बाद वुजूद में आई।

इस फ़िरक़ए नौपैद के बानी मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना अब्दुल् हक़ बनारसी हैं। वरना इससे पहले हिन्दुस्तान में इस फ़िरक़े (ग़ैर मुक़ल्लिदियत) का नाम-व-निशान भी नहीं था।

ख़ुद मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब तहरीर फ़रमाते हैं:

"ख़ुलासए हाल हिन्दुस्तान के मुसलमानों का यह है, कि जब से यहाँ इस्लाम आया, चूंकि अक्सर लोग बादशाहों के तरीक़े और मज़हब को पसन्द करते हैं। इस वक़्त से लेकर आजतक यह लोग हनफ़ी मसलक पर क़ाइम रहे और हैं। और इसी मज़हब के आलिम और फ़ाज़िल क़ाज़ी और मुफ़्ती और हाकिम होते रहे हैं।

(तरजुमाने वहाबियह /10 बहवालए मुहाजराए इल्मियह बरमौज़ूए रद्दे ग़ैर मुक़ल्लिदियत /3)

उलमा का रद्दे अमल :-

जब बानिए फ़िरक़ए ग़ैर मुक़ल्लिदियत मौलाना अब्दुल् हक़ बनारसी ने अपने मज़हब (ग़ैर मुक़ल्लिदियत) को फैलाना शुरू किया तो चारों तरफ़ से उलमाए किराम ने उन की गुमराही का फ़तवा दिया।

जिन में हज़रत शाह इस्हाक़ साहब (रह.) देहलवी मुतवफ़्फ़ा 1262 हि., मुफ़्ती सदरुद्दीन साहब (रह.), ख़ाँ बहादुर देहलवी मुतवफ़्फ़ा 1285 हि., (और

मौलाना मुहम्मद अब्दुर्रब साहब के वालिद माजिद) मौलाना अब्दुल् ख़ालिक़ साहब (रह.) मुतवफ़्फ़ा 1246 हि. (उस्ताद–व–सुसर मौलवी नज़ीर हसन) ख़ास तौर से क़ाबिले ज़िक्र हैं।

बल्कि उलमाए हरमैन शरीफ़ैन ने तो (इस के बानी मौलाना अब्दुल् हक़ बनारसी के) क़त्ल का फ़त्वा दे दिया था मगर किसी तरह से वहाँ से भाग कर बच निकला।

(تنبیه الضالین بحوالۂ مذکور)

एक दूसरे मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना शाहजहाँ पुरी मुतवफ़्फ़ा 1338 हिजरी अपनी किताब "الارشاد الى سبيل الرشاد ١٣" "معركة الاراء" में लिखते हैं।

"कुछ अर्से से हिन्दुस्तान में एक ऐसे ग़ैर मानूस मज़हब के लोग नज़र आ रहे हैं। जिस से लोग बिल्कुल ना आशना हैं। पिछले ज़माने में शाज़–व–नादिर इस ख़्याल के लोग कहीं हों तो हों मगर इस कसरत से देखने में नहीं आए, बल्कि उन का नाम अभी थोड़े दिनों से सुना है, अपने आप को तो वोह "अहले–हदीस" या "मुहम्मदी" या "मुवह्हिद" कहते हैं, मगर मुख़ालिफ़ फ़रीक़ में उन का नाम "ग़ैर मुक़ल्लिद" या "ला मज़हब" लिया जाता है।"

(बहवालए ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी 249)

जमाअते ग़ैर मुक़ल्लिदीन पर अँग्रेज़ों का साया

दुनिया में जब भी कोई ख़िलाफ़े हक़ फ़िरक़ा वुजूद में आता है, तो ज़रूर उस के पीछे कुछ नापाक अज़ाइम व मक़ासिद होते हैं।

इस फ़िरक़े के सिलसिले में जो बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है वोह यह है कि इस फ़िरक़े के पीछे अँग्रेज़ों का हाथ है।

क्योंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर अँग्रेज़ों के बारे में जो इन के उलमा की तहरीरात हैं, उन से यह बात साफ़ समझ में आती है।

क़ब्ल इस के कि इन के उलमा की तहरीरों को पेश किया जाए, यह बतला ज़रूरी मालूम होता है कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर उलमाए हक़, मशाइख़ व औलिया अल्लाह सब अँग्रेज़ों के सख़्त ख़िलाफ़ थे। उन्होंने अँग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़त्वा दिया। अँग्रेज़ों की हर मुहाज़ पर मुख़ालफ़त की। "तहरीके रेशमी रूमाल" वग़ैरा इसी सिलसिले की मज़बूत कड़ी हैं। जिस के नतीजे में अँग्रेज़ों ने उलमा व औलिया अल्लाह पर ज़ुल्म-व-सितम के वोह पहाड़ तोड़े कि जिस के तसव्वुर से भी बदन काँप जाता है।

उलमाए हक़ में से कितनों को फाँसी के फन्दे पर लटकाया गया, कितनों को दहकती हुई आग में डाला गया, कितनों को गोलियों का निशाना बनाया गया, कितनों को जेलों में सड़ाया गया और काला पानी भेजा गया। मुस्लिम औरतों की इज़्ज़त-व-अस्मत को तार-तार किया गया। मगर किसी ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम ने अँग्रेज़ों की मुख़ालफ़त नहीं की। ख़ुद ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब भोपाली (जो गिरोहे अहले-हदीस के बड़े मायानाज़ आलिम हैं) को इस का एतराफ़ है।

चुनांचे मौसूफ़ "तरजुमाने वहाबियह /21" पर लिखते हैं :

"ऐसा आज तक नहीं पाया गया कि जिस ने दावाए इत्तिबाए क़ुरआन व हदीस करके (यानी अहले-हदीस होकर) (अँग्रेज़) सरकार से मुख़ालफ़त किसी

किस्म की किसी शहर में की हो, या खुद जिहाद का इरादा या दूसरों को इस पर आमादह किया हो (बहवालए "ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी /86")

बल्कि इन के उलमा ने हमेशा अँग्रेज़ों की खुशनूदी हासिल करने की भरपूर कोशिश की। यह ही नहीं, इस से आगे बढ़कर अँग्रेज़ों की हिमायत में जिहाद के ख़िलाफ़ रसाइल जारी किये, जिन में अँग्रेज़ों से लड़ने को बिल्कुल हराम और बग़ावत कहा गया। इन की इस वफ़ादारी को देखते हुए अँग्रेज़ों ने भी उन को इन्आमात से नवाज़ा, किसी को जागीर दी और किसी को شمس العلماء का लक़ब दिया।

चुनांचे मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी ने एक रिसाला लिखा "الاقتصاد في مسائل الجهاد" जिस में मौलाना ने अँग्रेज़ों से लड़ने वालों के बारे में क्या कुछ लिखा है, मुलाहज़ा फ़रमाइये :-

मौसूफ़ तहरीर फ़रमाते हैं:

"इस गवर्नमैन्ट से लड़ना या इन से लड़ने वालों की किसी नौअ़ से मदद करना सरीह ग़दर और हराम है /49"।

रिसाले के इसी सफ़हे में लिखते हैं:

ग़ज़वए 1857 ई॰ में जो मुसलमान शरीक हुए थे वोह सख़्त गुनहगार और बहुक्मे क़ुरआन-व-हदीस वोह मुफ़्सिद-व-बाग़ी व बदकिरदार थे।

(बहवालए ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी /49)

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक दूसरे बड़े आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब भोपाली ने अँग्रेज़ों की हिमायत में एक रिसाला जारी किया "ترجمان وهابية" इस में देखिए, नवाब साहब ने क्या-क्या गुल खिलाए हैं।

मौसूफ़ रिसालाए मज़कूरा के सफ़हा /7 पर लिखते हैं :

"फ़िक्र करना उन लोगों का, जो अपने हुक्मे मज़हबी से जाहिल हैं, इस अम्र में है कि हुकूमते ब्रिटिश मिट जाए और यह अमन-व-अमान जो हासिल है फ़साद के परदे में जिहाद का नाम ले कर उठा दिया जाए, सख़्त नादानी व बेवुक़ूफ़ी की बात है।

(बहवालए मज़कूर /74)

इसी रिसाले के सफ़हा /8 पर लिखते हैं :

"कुतुबे तारीख़ देखने से मालूम होता है कि जो अमन-व-आसाइश व आज़ादगी इस हुकूमते अँग्रेज़ में तमाम मख़्लूक़ को नसीब हुई है किसी हुकूमत में न थी।"

इसी तहरीके अहले-हदीस की एक शाख़ "गुरबाए अहले-हदीस" है। जिस के बारे में ख़ुद एक ग़ैर मुक़ल्लिद मुहम्मद मुबारक साहब लिखते हैं :

"जमाअते गुरबाए अहले हदीस की बुनियाद मुहद्दिसीन की मुख़ालफ़त पर रखी गई थी। सिर्फ़ यही मक़सद नहीं बल्कि "तहरीके मुजाहिदीन" यानी सय्यद अहमद बरेलवी की तहरीक (जिहाद) की मुख़ालफ़त करके अँग्रेज़ों को ख़ुश करने का मक़सद पिन्हां था।

(उलमाए अहनाफ़ और तहरीके मुजाहिदीन /48 बहवालए मुहाज़रए इल्मियह बर-मौज़ूए रद्दे ग़ैर मुक़ल्लिदियत /8)

ग़ैर मुक़ल्लिदों के शैख़ुल्-कुल फ़िल्-कुल, मियाँ नज़ीर हुसैन के शागिर्द मौलवी तलत्तुफ़ हुसैन फ़रमाते हैं :

"अँग्रेज़ी गवर्नमैन्ट हिन्दुस्तान में हम मुसलमानों के लिए ख़ुदा की रहमत है। (अल्अयाज़ बिल्लाह)

(الحیاۃ بعد المماۃ/۹۳ بحوالہ مذکور)

तवालत के ख़ौफ़ की वजह से इसी पर इक्तिफ़ा किया जाता है। तफ़सील के लिए देखिए : ("ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी" मुसन्नफ़ा हज़रत मौलाना अबू बकर ग़ाज़ीपुरी मद्देज़िल्लाहुल् आली)

अहले-हदीस नाम की इब्तिदा

पहले इन्होंने अपने आप को "मुवह्हिदीन" का लक़ब दिया, उस के बाद "मुहम्मदी" फिर अपने आप को "ग़ैर मुक़ल्लिद" मशहूर किया, मगर यह भी इन को रास नहीं आया।

इन के बाज़ अक़ाइद की वजह से अवाम ने इन्हें "वहाबी" कहना शुरू कर दिया। "वहाबी" का लफ़्ज़ इनके लिए गाली से ज़्यादा सख़्त था। तो इन्होंने अपनी जमाअ़त के लिए "अहले-हदीस" नाम तजवीज़ किया और फिर बाक़ाइदा अँग्रेज़ी हुकूमत को यह दरख़्वास्त देकर इस नाम को अपने लिए अलाट कराया। देखिए : "ग़ैर मुक़ल्लिदीन की डायरी /255-256"।

"अहले हदीस" नाम अलाट कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत की ख़िदमत में दी गई दरख़्वास्त मुलाहज़ा फ़रमाइये :

"बख़िदमत जनाब सैक्रैटरी गवर्नमैन्ट।

मैं आप की ख़िदमत में सुतूरे ज़ेल पेश करने की इजाज़त और मुआ़फ़ी का ख़्वासतगार हूं। सन-1886 ई० में मैं ने माहवारी रिसाला "اشاعة السنة" में शाएअ किया था, जिस में इस बात का इज़्हार था कि लफ़्ज़े वह्हाबी जिस को उमूमन बाग़ी और नमक हराम के मआ़नी में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाज़ा इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल मुसलमानाने हिन्दुस्तान के उस गिरोह के हक़ में जो अहले-हदीस कहलाते हैं और हमेशा से सरकारे अँग्रेज़ के नमक हलाल और ख़ैर-ख़्वाह रहे हैं, और यह बात बार-हा साबित हो चुकी है, और सरकारी ख़त-व-किताबत में तसलीम की जा चुकी है ....

हम कमाले अदब-व-इन्किसारी के साथ गवर्नमैन्ट से दरख़्वास्त करते हैं कि वोह सरकारी तौर पर इस लफ़्ज़ "वहाबी" को मन्सूख़ करके इस लफ़्ज़ के इस्तेमाल से मुमानअ़त का हुक्म नाफ़िज़ कर दे और इन को "अहले-हदीस" के नाम से मुख़ातिब किया जाए।

(اشاعة السنة/ ٢٤ بحوالہ مذکور ۲۵۶)

इस मज़कूरा दरख़्वास्त के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने इन के लिए "अहले-हदीस" नाम अलाट कर दिया।

पूरी तारीख़े इस्लाम में कोई एक वाक़ेआ भी ऐसा नहीं मिलेगा, कि किसी मुस्लिम जमाअत ने अपना मज़हबी व मसलकी नाम किसी ग़ैर मुस्लिम हुकूमत से अलाट कराया हो।

नोट :

जब इन्होंने देखा कि सऊदी उलमा अपने नामों के साथ "सलफ़ी" लिखते हैं तो इन्होंने भी उन से दौलत बटोरने के लालच में अपने नामों के साथ "सलफ़ी" लिखना शुरू कर दिया। अब अपने नामों के साथ "सलफ़ी" का टाइटल लगाकर ख़लीज मुमालिक से ख़ूब दौलत समेट रहे हैं।

(ماخوذ از حاشیة علی مسائل غیر مقلدین / ٢٠٢)

जमाअ़ते ग़ैर मुक़ल्लिदीन अपने उलमा की नज़र में

जमाअ़ते ग़ैर मुक़ल्लिदीन जो "क़ुरआन-व-हदीस" के नाम पर लोगों को गुमराह करती है, दीन की मन-मानी तश्रीह करती है। असलाफ़े उम्मत यहाँ तक कि दीन के अव्वलीन सुतून सहाबाए किराम (रज़ि.) की मुक़द्दस व बा-बरकत जमाअ़त व ख़ुलफ़ाए राशिदीन को भी अपनी ज़बान-व-क़लम के ज़रीए निशाना बनाने से गुरेज़ नहीं करती।

इन की इस नाशाइस्ता हरकत पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए इसी जमाअत के अकाबिर उलमा ने इस जमाअत के बारे में जो तअस्सुरात पेश किये हैं, वोह मुन्दर्जा ज़ेल हैं।

नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब भोपाली जो ग़ैर मुक़ल्लिदों के यहाँ ख़ातिमुल् मुहद्दिसीन-व-मुज्तहिद समझे जाते हैं, वोह इन ग़ैर मुक़ल्लिदों ही के बारे में तहरीर फ़रमाते हैं-

"इस ज़माने में एक शोहरत पसन्द और रियाकार फ़िरक़े ने जन्म लिया है जो हर क़िस्म की ख़ामियों और नक़ाइस के बावुजूद अपने लिए क़ुरआन व हदीस के इल्म और इस पर आमिल होने का दावे-दार है।"

(الحطة فی ذکر الصحاح الستة / ۱۵۲ بحوالة غیر مقلدین کی ڈائری / ۲٤۹)

मज़ीद फ़रमाते हैं :

"इन लोगों को देखोगे कि यह महज़ अल्फ़ाज़े हदीस की नक़ल पर इक्तिफ़ा करते हैं। और हदीस की फ़हम और उसके मआनी व मफ़ाहीम में ग़ौर-व-ख़ौज़ की तरफ़ तवज्जोह नहीं करते। इन लोगों का गुमान है कि महज़ अल्फ़ाज़ का नक़ल कर लेना काफ़ी है।"

हालांकि यह ख़याल हक़ीक़त से दूर है, क्योंकि हदीस से मक़सूद तो हदीस की फ़हम और उसके मआनी में ग़ौर-व-फ़िक्र करना है। न कि सिर्फ़ अल्फ़ाज़े हदीस की नक़ल पर इक्तिफ़ा करना।

और लिखते हैं:

"यह जाहिल (यानी ग़ैर मुक़ल्लिदीन) तो इनका हदीस के साथ बड़े से बड़ा सुलूक यह है कि यह चन्द ऐसे मसाइल को इख़्तियार कर लेते हैं जो इबादात के अन्दर मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन के माबैन इख़्तिलाफ़ी हैं। मुआमलात से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल जो रोज़मर्रा पेश आते हैं, उनसे इन्हें कोई वास्ता नहीं। और उन का सारा इत्तिबाए हदीस फ़क़त यह है कि इस इख़्तिलाफ़ को नक़ल करते रहते हैं। जो अइम्मए मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन के दरमियान इबादात में वाक़ेअ़ हुआ है, न कि इत्तिफ़ाक़ात के अन्दर ......

मज़ीद लिखते हैं :

यह हदीस पर अमल करने के बजाए, ज़बानी जमा-ख़र्च और सुन्नत की इत्तिबा के बजाए शैतानी तसवीलात (बहकावे) पर इक्तिफ़ा करते हैं। और फिर उस के ऐने दीन होने का एतक़ाद रखते हैं।

आगे लिखते हैं:

"मैंने उनको (अहले हदीसों) को बारहा आज़माया लेकिन मैंने इनमें से किसी को ऐसा नहीं पाया जिसे सालिहीन के तरीक़े पर चलने की रग़बत हो, या वोह अहले ईमान की सीरत के मुताबिक़ चलता हो। बल्कि मैंने तो इनमें से हर एक को कमीनी दुनिया में मुन्हमिक और उसके रद्दी साज़-व-सामान में मुस्तग़रक़, जाह-व-माल को जमा करने वाला, हलाल-व-हराम की तमीज़ के बग़ैर, माल का लालच रखने वाला पाया।"

(बहवालए मज़कूर /250-252)

"बाज़ अहबाब अहले हदीस की आदत हो गई है, कि किसी आयत या हदीस के जो मानी ख़ुद समझते हैं, किसी दूसरे के लिए इसके ख़िलाफ़ समझने का हक़ तसलीम नहीं करते।"

(مقالم درېزى /۵۷ بحوالۂ مذکور /۱۷۰)

और تنبیہ الضالین में है।

"सोबानी व मुबानी इस तरीक़ए नौइहदास (ग़ैर मुक़ल्लिदियत) का अब्दुल् हक़ है। जो चन्द रोज़ से बनारस में रहता है। और हज़रत अमीरुल् मुमिनीन (सय्यद शहीद अहमद) ने ऐसी हरकाते नाशाइस्ता के बाइस अपनी जमाअ़त से

उसको निकाल दिया, और उलमाए हरमैन ने उसके क़त्ल का फ़तवा लिखा। मगर किसी तरह भाग कर वहाँ से बच निकला।

(تنبیه الضالین بر حاشیة نظام اسلام ۲۷/ بحوالة مذکور ۲۰۰)

मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना अब्दुल् जब्बार साहब और मौलाना अब्दुत् तव्वाब साहब ग़ज़नवी फ़रमाते हैं:

"हमारे इस ज़माने में एक फ़िरक़ा नया खड़ा हुआ है, जो इत्तिबाए हदीस का दावा रखता है। मगर यह लोग इत्तिबाए हदीस से किनारे हैं। जो हदीसें सलफ़ और ख़लफ़ के यहाँ मामूल-बिहा हैं। उनको अदना सी क़ुव्वत और कमज़ोर सी जिरह पर मरदूद कह देते हैं। और सहाबा के अक़्वाल और अफ़आल को एक बे-ताक़त क़ानून और बेनूर से क़ानून के सबब फेंक देते हैं। और इन (अहादीसे नबविय्या और फ़रमूदाते सहाबा) पर अपने बेहुदा ख़यालों और बीमार फ़िक्रों को मुक़द्दम करते हैं। और अपना नाम मुहक़्क़िक़ रखते हैं।

(फ़तावा उलमाए अहले-हदीस /79-80 बहवालए ग़ैर मुक़ल्लिदियत पर एक नज़र /5)

ग़ैर मुक़ल्लिदों के एक दूसरे मायए-नाज़ बुज़ुर्ग नवाब साहब हैदराबादी अपनी मशहूर किताब "لغات الحديث" में तहरीर फ़रमाते हैं:

ग़ैर मुक़ल्लिदीन का गिरोह जो अपने तईं अहले-हदीस कहते हैं, उन्होंने ऐसी आज़ादी इख़्तियार की है कि मसाइले इज्माई की भी परवाह नहीं करते, न सलफ़े सालिहीन, सहाबा और ताबईन की ....

बाज़े अवाम अहले-हदीस का यह हाल है कि उन्होंने सिर्फ़ रफ़ए यदैन और आमीन बिल्जहर को अहले-हदीस होने को काफ़ी समझा है। बाक़ी और आदाब, और सुनन और अख़्लाक़े नबवी (सल्ल.) से कुछ मतलब नहीं। ग़ीबत, झूठ, इफ़्तिरा से कुछ बाक नहीं करते। अइम्मए मुज्तहिदीन (रिज़वानुल्लाह अजमईन) और औलिया अल्लाह और हज़राते सूफ़िया के बारे में बेअदबी और गुस्ताख़ी के कलिमात ज़बान पर लाते हैं। अपने सिवा तमाम मुसलमानों को मुश्रिक और काफ़िर समझते हैं। बात-बात पर हर एक को मुश्रिक और क़ब्र परस्त कह देते हैं।

(बहवालए मज़कूर /254)

यह तअस्सुरात हैं इस फ़िरक़ए ग़ैर मुक़ल्लिदियत के बारे में ख़ुद इन्हीं के उलमा के।

(علکم بسنتی، ابو داؤد ۲/ ٦٣٥)

दुआ है कि अल्लाह तआला इन लोगों को हिदायत नसीब फ़रमाये, और उम्मते मुस्लिमा को इनके फ़रेब से महफ़ूज़ फ़रमाये। आमीन! या रब्बल् आलमीन!

आज बिहम्दिल्लाह बरोज़ जुमेरात बाद-मग़रिब 8 रजब 1430 हि. मुताबिक़ 2 जौलाई 2009 यह रिसाला इख़्तिताम पज़ीर हुआ।

बन्दा बारगाहे ईज़दी में दुआ-गो है कि अल्लाह रब्बुल् आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा को सही मआनी में क़ुरआन-व-सुन्नत की इत्तिबाअ करने वाला बनाये। नीज़ इस रिसाले को शरफ़े क़ुबूलियत से नवाज़ कर बन्दे के लिए ज़ख़ीराए आख़िरत, और उम्मते मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का ज़रीआ बनाये!

"و ما ذالك على الله بعزيز" آمين يا ربّ العالمين.

ख़ाकसार अबू उज़ैर मुहम्मद रफ़ीक़ क़ासमी बिन सईद अहमद

ख़ादिमुत्-तदरीस मदरसतुल्-उलूम मदरसा हुसैन बख़्श, जामे मस्जिद देहली-6